ग़दरियों की पुकार

इंक़लाब

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
नई दिल्ली

प्रथम प्रकाशन मई, 2017
संशोधित संस्करण, फरवरी 2018

इस दस्तावेज़ के किसी भी अंश को प्रकाशक की अनुमति से और स्रोतों को उचित मान्यता देते हुए, अनुवाद किया जा सकता है व पुनः प्रकाशित किया जा सकता है।

₹ 100/–
$ 5/–

प्रकाशक : हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी
ई–392, संजय कालोनी ओखला फेस–2
नई दिल्ली – 110020
ईमेल : info@cgpi.org
वेब : www.cgpi.org

विरतक : लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
ई–392, संजय कालोनी ओखला फेस–2
नई दिल्ली – 110020
ईमेल : lokawaz@gmail.com
फोन : +91 9868811998, 9810167911

विषय–सूची

प्रकाशक की टिप्पणी 4

पूर्वकथन 5

अध्याय 1 : परिचय 7

अध्याय 2 : हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी 13

अध्याय 3 : 1915 का विद्रोह 31

अध्याय 4 : ऐतिहासिक महत्व 41

अध्याय 5 : ग़दर जारी है 65

शब्दावली 86

प्रकाशक की टिप्पणी

यह पुस्तक हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव कॉमरेड लाल सिंह की अगुवाई में पार्टी द्वारा किये गये गहन शोध और अंदरूनी चर्चाओं का नतीजा है। इसे पार्टी की केन्द्रीय समिति के निर्णय के तहत, पंजाबी, हिन्दी व अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी के कार्यकर्ताओं के जीवन व कार्यों के बारे में मेहनत से खोज करने व इन्हें दस्तावेजों में संग्रहित करने में योगदान देने वालों का हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी आभार व्यक्त करती है।

पूर्वकथन

उत्तरी अमरीका में निवासी हिन्दोस्तानी आप्रवासियों द्वारा गठित हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी ने 1915–16 में, एक क्रांतिकारी विद्रोह आयोजित किया था, जिसने बर्तानवी साम्राज्य को झकझोर दिया था। हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी से हिन्दोस्तानी क्रांतिकारियों की कई पीढ़ियां प्रेरित हुई हैं। 1920 के दशक में तथा उसके बाद आने वाले दशकों में शहीद भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारी भी उसी से प्रेरित हुए थे। 1960 और 1970 के दशकों में, उसी से कम्युनिस्टों को हिन्दोस्तानी आप्रवासियों को हिन्दोस्तानी क्रांति के समर्थन में और नस्लवादी हमलों के खिलाफ़ संगठित करने की प्रेरणा मिली। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी और वे सभी जो हिन्दोस्तानी समाज को हर प्रकार के शोषण और गुलामी से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज भी हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी से प्रेरणा और मार्गदर्शन लेते हैं।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की स्थापना की शताब्दी 2013 में हिन्दोस्तान के अनेक भागों में तथा विदेश में मनायी गई। सभी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों ने इन समारोहों में भाग लिया। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि कम्युनिस्ट आंदोलन के अंदर एक धड़ा है जो उस सरकारी विवरण के साथ समझौता करता है, जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि ग़दर पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों का एक ही लक्ष्य था, सिर्फ तौर–तरीके अलग थे। ग़दरियों को आतंकवादी करार दिये जाने की लाइन के साथ भी कुछ लोग समझौता कर लेते हैं।

कुछ हिन्दोस्तानी मार्क्सवादी विद्वानों ने यह धारणा फैलायी है कि ग़दरी बहुत बहादुर थे, परंतु उनके विचार बहुत नादान थे। उन विद्वानों के अनुसार, हिन्दोस्तानी क्रांति के सिद्धांत और कार्यक्रम को तय करने के लिए, हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी से सीखने को कुछ भी नहीं है। ऐसे विचार सिर्फ गलत ही नहीं, बल्कि बहुत हानिकारक भी हैं।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी, हिन्दोस्तानी लोगों की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी थी, जो मज़दूरों और किसानों को सत्ता में लाने पर वचनबद्ध थी। वह कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग जैसी, बर्तानवी शासकों के सौजन्य से गठित पार्टियों से बिल्कुल अलग थी। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों ने पूंजीपतियों और जमींदारों को सत्ता में लाने के लिए काम किया, ताकि उपनिवेशवादी लूट की शासन व्यवस्था को बरकरार रखा जा सके।

यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी और उसके रास्ते पर चलने वालों के कार्यों का गंभीरता से अध्ययन करना आज के प्रत्येक हिन्दोस्तानी क्रांतिकारी की राजनीतिक शिक्षा का एक अत्यावश्यक भाग है। कम्युनिस्टों की वर्तमान पीढ़ी को इस बात को मानना होगा कि बीती पीढ़ियों के हिन्दोस्तानी क्रांतिकारियों और उनके द्वारा हमें सौंपी गई विचार–सामग्री एक ऐसी विरासत है, जिसके बल पर हमें और आगे बढ़ना होगा।

बीते समय की हर मुख्य क्रांतिकारी घटना, उसकी वजह से होने वाले भौतिक परिवर्तन, उससे उत्पन्न होने वाले सोच–विचार, आदि का विश्लेषण हिन्दोस्तानी क्रांतिकारी सिद्धांत को विकसित करने के लिए अत्यावश्यक है। उपनिवेशवाद की संपूर्ण विरासत, पूंजीवाद, सामंती अवशेष और साम्राज्यवाद को चकनाचूर करने के संघर्ष में जीत हासिल करने के लिये हिन्दोस्तानी क्रांति के सिद्धांत का विस्तारपूर्वक वर्णन अत्यावश्यक है।

यह पुस्तक उन बहादुर और सूझबूझवान लोगों को समर्पित है, जिन्होंने हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की स्थापना की थी। यह पुस्तक उन सभी को समर्पित है जो उसके बाद हिन्दोस्तानी समाज की मुक्ति के लक्ष्य और आंदोलन को जागृत रखने के लिए योगदान देते रहे हैं। हिन्दोस्तान की धरती पर क्रांति की जीत सुनिश्चित करने के लिए, ग़दरियों की नयी पीढ़ियों का पोषण करना इस पुस्तक का उद्देश्य है।

इंक़लाब ज़िन्दाबाद!

लाल सिंह
महासचिव
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी

अध्याय 1

परिचय

1915 की क्रांतिकारी बग़ावत हिन्दोस्तान पर बर्तानवी उपनिवेशवादी शासन का बलपूर्वक तख्तापलट करने के अनेक प्रयासों में से सबसे बहादुर प्रयास था। हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी के आह्वान पर, विदेश में बसे हजारों–हजारों हिन्दोस्तानी अपना घर–बार बेचकर, हथियारबंद बग़ावत में शामिल होने के लिये देश वापस आये।

कैलिफोर्निया में स्टॉक्टन गुरुद्वारा जो ग़दर पार्टी के कार्यकलापों का एक केन्द्र था

स्रोत : http://gadar.homestead.com

यह हथियारबंद बग़ावत पूरी दुनिया में फैली हुई थी। दुनिया के अनेक देशों में तैनात बर्तानवी हिन्दोस्तानी सेना के सिपाहियों का विद्रोह भी उसमें शामिल था। उस बग़ावत ने बर्तानवी साम्राज्य की नींव को झकझोर दिया और 1857 की यादों को फिर से ताज़ा कर दिया।

29 अगस्त 1914 को सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह से हिन्दोस्तान को लौटने वाले ग़दरियों के एक समूह को संबोधिकत करते हुए, हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी के एक प्रमुख नेता, मौलाना बरकतुल्लाह ने कहा :

> भाइयो, आप लोग दुनिया के बेहतरीन मुजाहिदीन हैं। धर्म की आड़ में दूसरे मजहबों के बेकस लोगों को मारने वाले नहीं, शैतानी राज को जड़ से उखाड़ने वाले मुजाहिदीन। हर लाचार के पांव की बेड़ियां काटने वाले, गुलामी की जंजीरों को टुकड़े–टुकड़े कर फैंकने वाले, जालिम को मिटाने वाले मुजाहिदीन। पर याद रखो, आजादी गोरों की जगह काले साहबों का बिठा देना नहीं। आजाद मुल्क वह है, जहां गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर को भी यह अहसास हो कि वह अपने मुल्क का, अपनी किस्मत का मालिक है। हिन्दोस्तान गुलामी की परत–दर–परत का शिकार है। प्याज के छिलकों की तरह राजनीतिक गुलामी के भीतर सामाजिक, सामाजिक गुलामी के भीतर धार्मिक, फिर जातिवादी – न जाने कितनी गुलामियो के शिकार हैं हम। हमें एक–एक करके सब गुलामियों को तोड़ना है। उसी राह पर पहला कदम है – फिरंगियों के चंगल से आजाद होना, ताकि हम और लड़ाइयां लड़ सकें – मौलवियों से, पण्डितों से, गुरुद्वारों में बैठे ब्रिटिश पिट्ठुओं से, सेठों से, शासन के हर स्तर के प्यादों से, साहबों से। मैं आज बहुत खुश हूं। जाओं, अपना मिशन पूरा करो।[1]

गुलामी की इन अनेक परतों के खिलाफ़ संघर्ष आज तक जारी है। बर्तानवी शासकों की जगह पर जो नये जालिम सत्ता पर आये हैं, वे इस या उस प्रकार की गुलामी से मुक्ति की मांग करने वालों को "राष्ट्र–विरोधी" बताकर जेलों में ठूंस रहे हैं। बर्तानवी उपनिवेशवादी शासकों की ही तरह वे भी कौन देशभक्त है और कौन लोगों का दुश्मन, इस पर सरासर झूठा प्रचार कर रहे हैं। उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष

के दौरान, देशभक्ति और दुश्मन के साथ समझौता करने के बीच में अंतर बहुत स्पष्ट हो गया था। बर्तानवी उपनिवेशवादियों ने उनके साथ समझौता करने वाले हिन्दोस्तानियों को भूमि और औद्योगिक लाइसेंस ईनाम के रूप में दिये, और इस तरह पूंजीपति और जमींदार वर्गों की वृद्धि को बढ़ावा दिया। उनके साथ समझौता न करने वाले देशभक्तों पर उन्होंने खूंखार दमन का प्रयोग किया।

बर्तानवी राज ने हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी के अगुवा कार्यकर्ताओं को राज्य के दुश्मन बताकर, उन्हें मौत की सज़ा दी। लाहौर षड्यंत्र कांड–1 का फैसला 13 सितंबर, 1915 को सुनाया गया था। उसमें 82 आरोपियों में से 24 को मौत की सज़ा दी गई थी। जब लोगों ने जोरशोर से उसका विरोध किया था तो उन 24 में से 17 की सज़ाओं को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। इसके अनुसार, पहले 7 देशभक्तों को नवंबर 1915 में फांसी पर चढ़ाया गया था। उनमें थे 19 वर्षीय करतार सिंह सराभा और 22 वर्षीय विष्णु गणेश पिंगले। अनुपूरक लाहौर षड्यंत्र कांड का फैसला 30 मार्च, 1916 को सुनाया गया, जिसमें 102 आरोपियों में से पांच को मौत की सज़ा दी गई।[2]

इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। उसकी स्थापना 1885 में, इस खास उद्देश्य के साथ की गयी थी कि 1857 जैसी एक और क्रांतिकारी बग़ावत न हो सके।

आज जो भी हिन्दोस्तानी आज़ादी के लिये संघर्ष करने और साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करने के बीच में अंतर के बारे में सच्चाई को जानना चाहता है, उसके लिए यह समझना आवश्यक होगा कि उन दो विपरीत धाराओं के बीच में टक्कर किस तरह, उपनिवेशवादी काल से लेकर आज तक, हमारे देश के विकास की विशेषता रही है। 100 वर्ष पहले इन दो विपरीत धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वालों में एक तरफ हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी थी।

इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। उसकी स्थापना 1885 में, इस खास उद्देश्य के साथ की गयी थी कि 1857 जैसी एक और क्रांतिकारी बग़ावत न हो सके। कांग्रेस पार्टी की स्थापना, हिन्दोस्तान के पूंजीपतियों और जमींदारों के सबसे अमीर और प्रभावशाली तबकों को उपनिवेशवादी शासन के अन्दर शामिल करके, उपनिवेशवादी शासन को मजबूत करने की परियोजना का एक हिस्सा था।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की स्थापना 1913 में, उत्तरी अमरीका के पश्चिमी तट पर, हिन्दोस्तानी आप्रवासियों के एक दल के द्वारा की गयी थी। वे मुख्यतः पंजाब के किसान परिवारों से थे, जिन्होंने विदेश जाकर अपने देश में गुलामी की हालतों से बचने की उम्मीद की थी, परन्तु अमरीका और कनाडा में आप्रवासी मज़दूर होने के नाते, उनके साथ द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा बर्ताव किया जाता था।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की स्थापना इस समझ के साथ की गयी थी कि जब तक हिन्दोस्तानी लोग अपने देश में गुलाम रहेंगे, तब तक वे विदेश में भी सम्मान के साथ नहीं रह पाएंगे। जन सामूहिक क्रांतिकारी विद्रोह के ज़रिये बर्तानवी उपनिवेशवादी शासन का तख्तापलट करने और पूरी तरह की नयी बुनियाद पर एक स्वतंत्र संघीय हिन्दोस्तानी गणराज्य का निर्माण करने के उद्देश्य के साथ, हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की स्थापना की गयी थी।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की स्थापना करने वाले क्रांतिकारियों ने 1857 के ग़दर से महत्वपूर्ण सबक सीखे थे। उन्होंने अपने संघर्ष के रणनैतिक उद्देश्य की परिभाषा इस प्रकार दी – उपनिवेशवादी राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना और एक नए राज्य का निर्माण करना।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की स्थापना करने वाले क्रांतिकारियों ने 1857 के ग़दर से महत्वपूर्ण सबक सीखे थे। उन्होंने अपने संघर्ष के रणनैतिक उद्देश्य की परिभाषा इस प्रकार दी – उपनिवेशवादी राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना और एक नए राज्य का निर्माण करना, एक आधुनिक जनवादी हिन्दोस्तान, जो इंसान द्वारा इंसान के हर प्रकार के शोषण से मुक्त होगा, जो राष्ट्रों और लोगों के हर प्रकार के दमन से मुक्त होगा।

बड़े पूंजीवादी औद्योगिक घराने और बड़े जमींदार खुद अपने हाथों में राज्य सत्ता लेना चाहते थे और मेहनतकश बहुसंख्या को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। वे साम्राज्यवादी लूट के उतने खिलाफ़ नहीं थे जितना कि वे सामाजिक क्रांति के खिलाफ़ थे। उपनिवेशवादी व्यवस्था के ये लाभार्थी वर्ग उपनिवेशवादी राज्य के अन्दर अपने प्रतिनिधियों को शामिल करने के तौर–तरीके निकाल रहे थे।

एक तरफ, सभी उपनिवेशवादी संस्थानों से पूरी तरह नाता तोड़ने और एक सभ्य मानव सत्ता की नींव डालने की लाइन, और दूसरी तरफ, साम्राज्यवाद के साथ समझौता करने व बर्तानवी शासकों द्वारा छोड़े गए राज्य और व्यवस्था को बरकरार रखने की लाइन – इन

दोनों लाइनों के बीच संघर्ष आज भी जारी है। बड़े पूंजीवादी इज़ारेदार घरानों ने मज़दूरों और किसानों के श्रम का शोषण करके, खुद एक प्रमुख वैश्विक ताक़त बनने का रास्ता अपनाया है। वे बड़ी तेज़ी से राज्य को हथियारों से लैस कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण कर रहे हैं, जबकि "कोई विकल्प नहीं है" का नारा देकर मज़दूरों और किसानों को विचारधारात्मक तौर पर निहत्था किया जा रहा है।

कम्युनिस्ट मज़दूर वर्ग और मेहनतकश लोगों को संगठित करने में लगे हुये हैं, ताकि वे बड़े पूंजीपतियों के इस मंत्र को ठुकरा दें और मज़दूरों व किसानों को सत्ता में लाने के वैकल्पिक कार्यक्रम के इर्द–गिर्द एकजुट हो जायें और पूंजीवाद की जगह पर समाजवाद स्थापित करने के लिये सामाजिक क्रांति को कामयाब करें। हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी पहली ऐसी हिन्दोस्तानी राजनीतिक पार्टी थी जिसने मेहनतकश बहुसंख्या का राज स्थापित करने और सभी प्रकार के शोषण, दमन और भेदभाव से समाज को मुक्त कराने के उद्देश्य के साथ, क्रांति के रणनैतिक लक्ष्य की दिशा में काम किया था। इसीलिये हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी के अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखना है।

1915 की क्रांतिकारी बग़ावत ने यह स्पष्ट कर दिया कि बर्तानवी उपनिवेशवादी चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे हिन्दोस्तान के लोगों के दिलों और दिमागों से ग़दर, यानी क्रांति की आकांक्षा को कभी मिटा नहीं सकेंगे।

इस पुस्तक का उद्देश्य हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी के वीरतापूर्ण कार्यों की कहानी को बताना ही नहीं है बल्कि उस पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम का वर्णन करना भी है, जिससे हिन्दोस्तानी क्रांतिकारियों की कई लहरें आज भी प्रेरित व मार्गदर्शित हो रही हैं। इसका उद्देश्य है उस झूठ का पर्दाफाश और खंडन करना कि ग़दरी बहादुर तो थे परन्तु उग्र

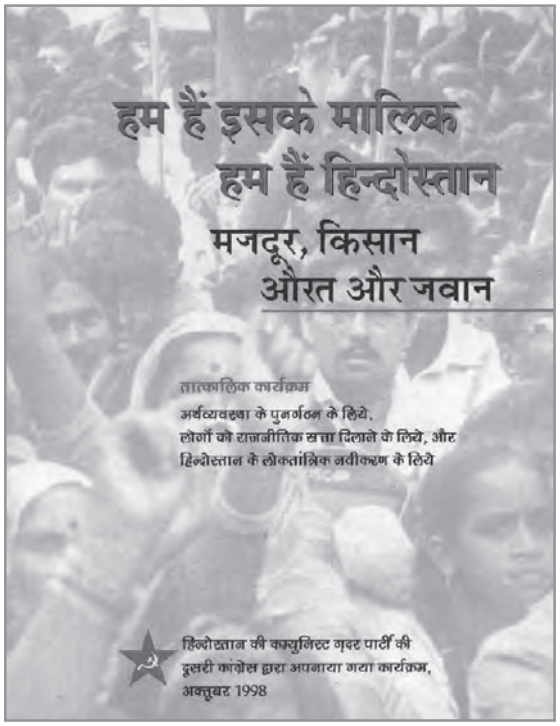

1998 में अपनाया गया कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का कार्यक्रम

स्वभाव के और हिंसक लोग थे जिनका कोई वैज्ञानिक सिद्धांत या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था।

जबकि ग़दर पार्टी की कहानी की शुरुआत बहुत स्पष्ट है, उसका अंत नहीं हुआ है क्योंकि ग़दर आज भी जारी है। 25 दिसंबर, 1980 को जब हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का जन्म हुआ था, तो उस समय से ही हमारी पार्टी ग़दरियों की लाइन को जीवित रखने तथा उसे और विकसित करने के प्रति वचनबद्ध रही है। इसमें हमारी पार्टी कम्युनिज़्म के सबसे अगुवा वैज्ञानिक सिद्धांत से मार्गदर्शित रही है और शोषण से श्रम के संपूर्ण उद्धार तथा वर्ग विभाजन से समाज की मुक्ति के लक्ष्य से प्रेरित रही है।

इस पुस्तक का समापन वर्तमान में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में पेश किया गया है। इस पुस्तक के अंत में हमारी पार्टी की ओर से सभी कम्युनिस्टों और प्रगतिशील हिन्दोस्तानियों को आह्वान दिया गया है कि वे एकजुट होकर हिन्दोस्तान के नव–निर्माण के लिए काम करें, एक ऐसे हिन्दोस्तानी संघ की स्थापना के लिए काम करें जो स्वेच्छा पर आधारित एक सभ्य संघ हो, वास्तव में आज़ाद एक ऐसे हिन्दोस्तान के लिए काम करें, जिसका सपना ग़दरियों ने देखा था, और जिसके लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी।

आइये, साम्राज्यवाद के साथ समझौता करने वालों को पराजित करें, जिन्होंने सत्ता पर कब्ज़ा कर रखा है और जो शोषण, बलात्कार व लूट की व्यवस्था को बलपूर्वक बरकरार रख रहे हैं!

आइये, मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को हिन्दोस्तान के सामूहिक मालिक बनाने के संघर्ष को आगे बढ़ायें!

संदर्भ

[1] वेद प्रकाश 'वटुक', *आजादी या मौत (ग़दर पार्टी का संक्षिप्त इतिहास),* गार्गी प्रकाशन, दिल्ली 110032, नवम्बर 2015, पृष्ठ 82।

[2] मलविन्दर जीत सिंह वरैच और हरिंदर सिंह, *ग़दर मूवमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स : ग्रंथ 1–बी, लाहौर कॉन्सपिरेसी केसेस 1 एण्ड 2,* यूनीस्टार, चंडीगढ़, 2014 पृष्ठ 1–10, 245–255।

अध्याय 2

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की स्थापना 1913 में, अमरीका के पश्चिम तट व कनाडा को गये हुये हिन्दोस्तानी लोगों द्वारा की गई थी। वहां जाकर उन्हें नस्लवादी भेदभाव और शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह उम्मीद की थी कि सबसे अगुवा पूंजीवादी समाज में उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलेगा, परन्तु वहां जाकर उन्होंने यह देखा कि कनाडा और अमरीका जैसे तथाकथित लोकतांत्रिक राज्यों में "अश्वेत" लोगों के साथ गुलामों की तरह बर्ताव किया जाता है।

बर्कले विश्वविद्यालय में ग़दर पार्टी के छात्र कार्यकर्ता

स्रोत : http://www.facts-about-india.com/the-ghadar-movement.php

1909 में पेसेफिक एण्ड ईस्टर्न रेलरोड बनाते हुए हिन्दोस्तानी मज़दूर

स्रोत : http://iahmuseum.org/galleries/the-right-to-liberty/

19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ के वर्षों में, कनाडा और अमरीका में हिन्दोस्तानी आप्रवासी अधिकतर सिख किसान परिवारों से थे। इसके पीछे कई कारण थे। एक कारण यह था कि उपनिवेशवादियों ने अपनी अत्यधिक वसूली करने वाली कर प्रणाली के ज़रिये पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था में भयंकर विनाश फैलाया था। एक और कारण था कि विदेशी मुल्कों में बर्तानवी हिन्दोस्तानी सेना की कई सिख रेजीमेंट तैनात थीं, जिसकी वजह से पंजाब के किसानों के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बने हुये थे।

अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर अमरीका जाने वाले अधिकतम मंझोले किसान कैलिफोर्निया जाकर फार्म मज़दूर का काम करने लगे। कुछ आप्रवासियों को ओरेगोन व वाशिंगटन राज्यों की लकड़ी और इस्पात की फैक्ट्रियों और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया की लकड़ी की मिलों में नौकरी मिली। जैसा कामरेड सोहन सिंह भकना ने समझाया था :

> "हिन्दोस्तान से आया हुआ पंजाबी किसान अमरीका पहुंचकर एक मज़दूर में तब्दील हो गया... पंजाब में अपने घर में उसकी मानसिकता एक गर्वीले भू–मालिक की थी। वह खुद को एक सरदार मानता था और भूमिहीन मज़दूरों को अपने से नीचा मानता था। और अब, जब वह खुद कैलिफोर्निया के पूंजीपतियों और रांच मालिकों के शोषण का शिकार बना, तो वह समझने लगा कि उसकी हालत एक सरदार से बहुत अलग हो गई है। अब वह एक गुलाम जैसा बन गया है।" [1]

HINDUS DRIVEN OUT.

Citizens at Marysville, Cal., Attack Them—British Consul Informed.

MARYSVILLE, Cal., Jan. 27.—Twenty citizens of Live Oak Saturday night attacked two houses occupied by seventy Hindus who had been discharged from the Southern Pacific Company and ordered the Hindus to leave town.

The Hindus were driven to the edge of the town and told to travel. One went to Yuba City and swore to complaints charging the members of the mob with stealing $1,950. They also took the case to the British Consul at San Francisco.

AMERICANS PUT TO FLIGHT.

The Ryan Expedition Into Congo Wilds Driven Out by Natives.

BRUSSELS, Jan. 27.—Advices have been

1907 में हिन्दोस्तानी आप्रवासियों पर हुए नस्लवादी हमलों पर न्यू यॉर्क टाईम्स में छपा एक लेख

स्रोत : http://guides.lib.berkeley.edu/echoes-of-freedom/chapter4

आर्थिक संकट और व्यापक बेरोज़गारी की अवधियों में, पूंजीपति वर्ग श्वेत मज़दूरों को आप्रवासी मज़दूरों पर अपना गुस्सा निकालने के लिये भड़काते थे। जब जापानी आप्रवासी मज़दूरों पर नस्लवादी हमले हुये, तो जापान की सरकार ने पीड़ितों को मुआवज़ा दिलाने के कदम लिये। परन्तु जब हिन्दोस्तानी मज़दूरों को नस्लवादी हमलों और अत्याचार का सामना करना पड़ा, तो बर्तानवी सरकार ने उनकी हिफाज़त के लिये कोई भी कदम लेने से इंकार कर दिया।

अमरीका के पश्चिमी तट पर हिन्दोस्तानी आप्रवासियों ने गुरुद्वारे स्थापित किये, जहां वे मिलकर अपनी सांझी समस्याओं पर चर्चा

करते थे। कैलिफोर्निया में पढ़ने के लिये हिन्दोस्तान से आये छात्र भी अंशकालिक मज़दूर थे। अपनी पढ़ाई और आवास का खर्च पूरा करने के लिये वे गरमी के समय फार्मों में काम करते थे। कामरेड भकना ने इस बात पर ध्यान दिया कि उस समय अमरीकी विश्वविद्यालयों में हिन्दोस्तानी छात्र मज़दूरों के साथ नजदीकी के संबंध रखते थे और उनके साथ दुख–दर्द बांटते थे।

हिन्दोस्तानी आप्रवासी मज़दूरों पर नस्लवादी हमले

ओरेगोन राज्य में विलहेम नामक एक छोटे शहर में बहुत सारे लकड़ी के यार्ड थे, जिनमें दूसरे देशों के आप्रवासी मज़दूरों के साथ बहुत से हिन्दोस्तानी मज़दूर भी थे। 1907 की आर्थिक मंदी के दौरान, हिन्दोस्तानी मज़दूरों के निवास स्थान पर नस्लवादी हमला किया गया। उनके सामान लूटे गये और उन्हें बेइज्ज़त किया गया। उन्हें ट्राम गाड़ियों में ठूंसकर, जनवरी की तेज़ सर्दी में, खुले जंगलों में छोड़ दिया गया। पुलिस इस सबका मूकदर्शक बनी रही। जब हिन्दोस्तानियों ने बर्तानवी काउंसलर को इसके बारे में अवगत कराया तो उसने कुछ भी नहीं किया और घटना को पूरी तरह नज़रंदाज कर दिया।

एबर्ट नामक एक छोटे शहर में भी इसी प्रकार की घटना हुई। हिन्दोस्तानियों को लूटा गया और जंगलों में बेसहारा छोड़ दिया गया। यह घटना भी 1907 में हुई और बर्तानवी अधिकारियों ने उस मामले में भी कोई कदम नहीं उठाया। कामरेड सोहन सिंह भकना यह सवाल उठाते हैं कि :

> "इस नफ़रत और बेइज्ज़ती को प्रेरित करने वाली ताक़त क्या थी? इसे समझने में हिन्दोस्तानियों को ज्यादा समय नहीं लगा। वे समझने लगे कि बर्तानवी सी.आई.डी. और उनके एजेंट ही थे जो अमरीकी लोगों में हिन्दोस्तानियों के प्रति यह नफ़रत फैलाते थे। उस ताक़त के मालिक, बर्तानवी सरकार को यह बात हजम नहीं होती थी कि अमरीका जैसे लोकतांत्रिक कहलाने वाले और समृद्ध देश में आम हिन्दोस्तानी लोग बसे हुये थे और काम कर रहे थे, क्योंकि वहां के लोगों से जब उनका संबंध बनेगा तो वे अवश्य ही अपनी आज़ादी के बारे में भी सोचेंगे। बर्तानवी अधिकारी कनाडा और अमरीका के लोगों के साथ आम हिन्दोस्तानियों के संबंधों में निहित खतरों के बारे में वाकिफ थे।"

स्रोत : *द ग़दर मूवमेंट* में सोहन सिंह भकना द्वारा लिखित, *"नोट्स ऑन द हिस्टरी ऑफ द ग़दर पार्टी"*, डा. पी. आर. कालिया द्वारा संपादित, *प्रोग्रेसिव पीपल्स फाउंडेशन ऑफ एडमंटन*, 2013, पृष्ठ 381–382।

जब उत्तरी अमरीका में हिन्दोस्तानी आप्रवासी मज़दूर, छात्र और शिक्षक संगठित होने लगे और अपने साथ किये जा रहे अमानवीय बर्ताव का विरोध करने लगे, तो उन्होंने अमरीका, कनाडा व अन्य देशों में साम्राज्यवाद–विरोधी और समाजवादी दलों के साथ राजनीतिक एकता बनाई। अलग–अलग महाद्वीपों में साम्राज्यवाद के खिलाफ़ चल रहे क्रांतिकारी संघर्षों से वे प्रेरित और प्रभावित हुये।

1908 में, आर्थिक संकट और बढ़ती बेरोज़गारी की हालतों में, कनाडा की सरकार ने हिन्दोस्तानी आप्रवासियों को एक ग़रीब बर्तानवी उपनिवेश, होंड्यूरास को जाने के लिये ललचाने की कोशिश की। सरकार ने उनकी यात्रा का खर्च देने का भी वादा किया। हिन्दोस्तानी समुदाय ने होंड्यूरास में हालतों का मूल्यांकन करने के लिये एक दो–सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजा। यह प्रतिनिधिमंडल, जिसके सदस्य थे नागर सिंह और शाम सिंह, कनाडा की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ होंड्यूरास गया।

जब उत्तरी अमरीका में हिन्दोस्तानी आप्रवासी मज़दूर, छात्र और शिक्षक संगठित होने लगे और अपने साथ किये जा रहे अमानवीय बर्ताव का विरोध करने लगे, तो उन्होंने अमरीका, कनाडा व अन्य देशों में साम्राज्यवाद–विरोधी और समाजवादी दलों के साथ राजनीतिक एकता बनाई।

उस समय होंड्यूरास में पीलिया और मलेरिया खूब फैला था। अनेक हिन्दोस्तानी गिरमिटिया मज़दूर उन बीमारियों से मर गये थे। उन्हें छोटे–छोटे खोखों में रहना पड़ता था और वे बिना इजाज़त के बाहर नहीं घूम सकते थे। उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था और वे देश वापस जाने के लिये पर्याप्त पैसे नहीं बचा सकते थे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से वादा किया गया कि अगर वे वापस आकर अपने देश के मज़दूरों को होंड्यूरास के बारे में अच्छी रिपोर्ट देंगे तो उन्हें मोटी रिश्वत दी जायेगी। परन्तु प्रतिनिधिमंडल ने होंड्यूरास की हालतों की सच्चाई बता दी और कनाडा में हिन्दोस्तानी आप्रवासियों ने सरकार की उस दुष्ट योजना को ठुकरा दिया।

कनाडा की सरकार ने होंड्यूरास के राज्यपाल, जनरल स्वेयन को कनाडा बुलाया ताकि वे हिन्दोस्तानी समुदाय पर होंड्यूरास जाने के लिये दबाव डाल सकें। तेजा सिंह नामक एक उच्च–शिक्षित आप्रवासी के साथ चर्चा करने के बाद जनरल ने कनाडा की सरकार को यह नसीहत दी कि कनाडा में रहने वाले हिन्दोस्तानियों को होंड्यूरास

भेजने की अपनी योजना को भूल जायें। जनरल स्वेयन को वैनकूवर वर्ल्ड अख़बार के सामने यह मानना पड़ा कि :

> "तेजा सिंह ठीक ही कह रहा है। सिख लोग ... ब्रिटिश कोलंबिया नहीं छोड़ना चाहते हैं। इन हालतों में, अगर उन्हें बलपूर्वक निकाला जाता है तो यह खतरा है कि हिन्दोस्तान में 50,000 सिख सैनिक हमारे नियंत्रण से बाहर हो जायेंगे और उन्हें अपने नियंत्रण में वापस लाने के लिये हमें 2,00,000 सैनिक भेजने होंगे।"

कनाडा और बर्तानिया की सरकारें हिन्दोस्तान से आये आप्रवासियों को एक संभावित खतरा मानने लगीं और आगे से उनके प्रवेश को रोकने के लिये कदम उठाने लगीं। 26 फरवरी, 1908 को लिखे गये एक पत्र में जॉन मोर्ले ने कनाडा में हिन्दोस्तानी आप्रवासियों की संख्या को सीमित करने के कुछ कारण इस प्रकार बताये : (क) श्वेत मज़दूरों के साथ उनकी घनिष्ठता बर्तानवी प्रतिष्ठा के लिये अच्छा नहीं है; (ख) वैनकूवर में समाजवादी प्रचार फैलाया जाता है, अतः यह खतरा है कि हिन्दोस्तानी लोग समाजवादी सिद्धांतों से लैस हो जायेंगे; और (ग) कनाडा में हिन्दोस्तानियों के साथ किये जा रहे नाजायज़ बर्ताव की प्रतिक्रिया में अवश्य ही हिन्दोस्तान में आंदोलन शुरू किया जायेगा।

कनाडा और बर्तानिया की सरकारें हिन्दोस्तान से आये आप्रवासियों को एक संभावित खतरा मानने लगीं और आगे से उनके प्रवेश को रोकने के लिये कदम उठाने लगीं।

1910 में कनाडा की सरकार ने एक कानून पास किया, जिसके अनुसार कनाडा आने वाले हर व्यक्ति को बीच में कहीं भी रुके बिना, अपने देश से सीधा आना पड़ेगा। उस समय हिन्दोस्तान से सीधा कनाडा जाने वाला कोई जहाज नहीं था।

मार्च 1913 में कनाडा निवासी हिन्दोस्तानियों ने, बर्तानवी सरकार को अपनी समस्यायें बताने के लिये, एक प्रतिनिधिमंडल को लंदन भेजा, जिसके सदस्य थे बलवंत सिंह और नारायण सिंह। उपनिवेशों के सचिव ने उस प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इंकार कर दिया। हिन्दोस्तानी आप्रवासी समुदाय का यह आखिरी प्रयास था जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि देश के अंदर हो या बाहर, याचिकाओं और मांगपत्रों से हिन्दोस्तानी लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है।

उस समय के हिन्दोस्तानी आप्रवासियों की एक कविता, जिसे बाद में ग़दर नामक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, उनकी भावनाओं और विचारों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट करती है :

देस पैण धक्के, बाहर ढोई कोई ना; साडा परेदसियां दा देस कोई ना!

अपने देश में हमें धक्के खाने पड़ते हैं, विदेशों में हमें कोई समर्थन नहीं मिलता; कोई ऐसा देश नहीं है जिसे हम अपना देश कह सकते हैं!

1914 में कामागाटा मारू नामक एक जहाज में हिन्दोस्तानियों को हांगकांग से कनाडा के पश्चिमी तट तक ले जाने की कोशिश की गयी थी। जब वह जहाज वैनकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचा, तो उसकी सवारियों को उतरने की इजाज़त नहीं दी गयी। कनाडा और अमरीका में बसे हुए हिन्दोस्तानियों ने जहाज की सवारियों को खाना और मदद देने तथा उनके प्रवेश की इजाज़त की कानूनी लड़ाई के लिए हजारों–हजारों डॉलर इकट्ठे किये। 60 दिन तक दिन–रात संघर्ष करने के बाद, कामागाटा मारू जहाज को अपनी सवारियों समेत वापस जाना पड़ा, और जब तक जहाज हिन्दोस्तान वापस पहुंचा, तब तक उसके यात्री क्रांतिकारी बन चुके थे।

कामागाटा मारू के यात्री

स्रोत : http://wpmedia.news.nationalpost.com/2016/05/cnsphoto-boswell-komagata.png?w=620

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की स्थापना पहले हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पेसिफिक कोस्ट के नाम से, अप्रैल 1913 में अमरीका के अस्टोरिया, ऑरेगोन में हुयी थी। कामरेड सोहन सिंह भकना उसके अध्यक्ष चुने गए थे, केसर सिंह थाथगढ़ उसके उपाध्यक्ष, लाला हरदयाल उसके महासचिव, लाला ठाकुर दास धुरी उसके संयुक्त सचिव तथा पंडित कांशी राम मर्दोली उसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी ने अपने लक्ष्यों और कार्यों को इस प्रकार परिभाषित किया :

- हिन्दोस्तान को बर्तानवी गुलामी से हथियारों के बल पर मुक्त करना और एक मुक्त व आज़ाद हिन्दोस्तान की स्थापना करना, जिसमें सभी के समान अधिकार होंगे।
- सैन फ्रांसिस्को में पार्टी के मुख्यालय को स्थापित करना, जो इन लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए की जाने वाली सभी कार्यवाहियों का समन्वय करने का अड्डा होगा।
- साप्ताहिक अख़बार ग़दर को उर्दू, हिंदी, पंजाबी और हिन्दोस्तान की अन्य भाषाओं में प्रकाशित करना।
- सभी कार्यों को करने के लिए, अलग–अलग समितियों से एक समन्वय समिति को चुनने के इरादे से, प्रतिवर्ष संगठनात्मक चुनाव कराना।
- हिन्दोस्तान के रेलवे, औद्योगिक और खेत मज़दूरों तथा छात्रों के बीच पार्टी के संगठन स्थापित करना, ये सभी केन्द्र के साथ सीधे तौर से जुड़े हुए होंगे।
- राजनीतिक और भूमिगत काम की देखरेख के लिए समन्वय समिति एक तीन–सदस्यीय आयोग का चुनाव करेगी।
- हर सदस्य से प्रति माह एक डॉलर का मासिक योगदान राजस्व का स्रोत होगा।
- संगठन के अन्दर धर्म पर कोई चर्चा या वाद–विवाद नहीं हो सकता था। धर्म को हर व्यक्ति का निजी मामला माना गया और संगठन में धर्म का कोई स्थान नहीं था।
- प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य था कि वह जिस भी देश का निवासी है, उस देश की आज़ादी के संघर्ष में भाग ले।

ग़दर अख़बार (उर्दू)
ग्रंथ 1, अंक 22, 24 मार्च, 1914

स्रोत : https://en.wikipedia.org/wiki/Ghadar-Party

पार्टी के साप्ताहिक अख़बार का नाम ग़दर इसलिए था क्योंकि वह 1857 के ग़दर से प्रेरित था। उसका पहला अंक 1 नवम्बर, 1913 को उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ, जिसके 10 दिन बाद पंजाबी संस्करण प्रकाशित किया गया। अख़बार के मास्टहेड पर मोटे–मोटे अक्षरों में लिखा था – हिन्दोस्तान में बर्तानवी शासन का दुश्मन।

प्रारंभिक अंक में यह ऐलान किया गया था कि :

> "आज 1 नवम्बर, 1913 को हिन्दोस्तान के इतिहास में एक नया कैलेंडर शुरू किया जा रहा है। आज एक विदेशी देश में, हमारे अपने देश की भाषाओं में, बर्तानवी राज के खिलाफ़ जंग छेड़ी जा रही है। ... कलम की ताक़त कमान की तरह फूट पड़ेगी। यह अख़बार अंग्रेजों के साम्राज्य का कट्टर दुश्मन है और हिन्दोस्तानी नौजवानों के लिए चुनौती का बिगुल है। जागो, अस्त्र उठाओ और हिन्दोस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष करो। ... हमारा नाम क्या है? ग़दर। हमारा काम क्या है? ग़दर। वह ग़दर कहाँ होगा? हिन्दोस्तान में। वह समय दूर नहीं जब बन्दूक और खून कलम और स्याही की जगह लेंगे।"

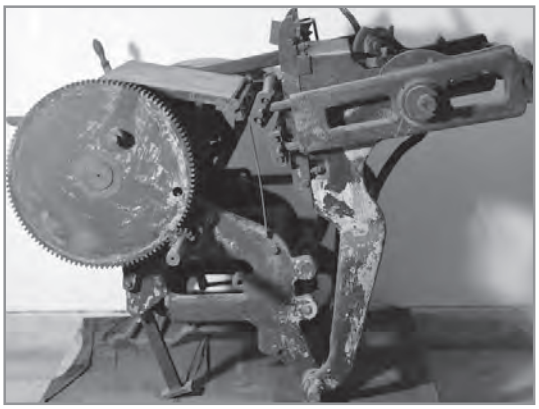

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की छपाई मशीन

स्रोत : http://aaww.org/ghadar-songs-of-revolt/

साप्ताहिक अख़बार को शुरू में हाथ से चलाई जाने वाली मशीन के द्वारा छापा जाता था। जैसे–जैसे उसके वितरण का दायरा बढ़ता गया, वैसे–वैसे और बड़े प्रिंटिंग प्रेस की ज़रूरत होने लगी। समय के साथ–साथ प्रेस दिन और रात की पालियों में काम करने लगा। साप्ताहिक अख़बार के एक सामान्य अंक में बीते समय तथा वर्तमान के क्रांतिकारी कार्यों पर जोर दिया जाता था। इनमें राष्ट्रीय और सामाजिक मुक्ति के तमाम संघर्षों, आयरलैंड, मिस्र, रूस, चीन, मैक्सिको और अन्य देशों के लोगों के संघर्षों के बारे में लिखा जाता था। हरेक अंक में एक लेख होता था, जिसका शीर्षक होता था "अंग्रेजी राज दा कच्चा चिट्ठा"। उन लेखों में तथ्यों और आंकड़ों सहित यह बताया जाता था कि हिन्दोस्तान में कितनी उपनिवेशवादी शोषण और लूट हो रही है।

विदेश में निवासी हिन्दोस्तानियों को ग़दर सेना में शामिल होने का बुलावा जारी किया गया। यह कहा गया कि :

"बर्तानवियों ने हमारी प्यारी धरती पर कब्ज़ा कर लिया है। हमारे वाणिज्य और उद्योग को तबाह कर दिया गया है। हिन्दोस्तान की दौलत को लूटा गया है और अकाल व महामारी फैलाई गयी है। 9 करोड़ से अधिक हिन्दोस्तानियों को हर दिन एक पूरा भोजन भी नहीं मिलता है। 3 करोड़ लोग अकाल और महामारी से मारे गये हैं। हमारी सारी उपज और अनाज को वे इंग्लैंड भेज रहे हैं। इन दुखदायी हालतों की वजह से, हिन्दोस्तानी लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमरीका और अफ्रीका जैसे दूर–दूर के देशों में जाने लगे हैं, और जब वहां जाकर उन्होंने अपने पेट भरने शुरू किये हैं, तो यह बर्तानवियों के दिल में बहुत चुभ रहा है। अब हिन्दोस्तानी लोगों की आँखें खुल गयी हैं और वे बर्तानवियों की साजिशों को समझते हैं, इसलिए बर्तानवी सिर्फ हिन्दोस्तान में ही नहीं बल्कि जब हम विदेश जाते हैं, तब भी, हमारे गले घोंटते हैं। उन्होंने हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। अफ्रीका में बर्तानवी हमारी माताओं, बहनों और बच्चों के साथ, जानवरों के जैसा बर्ताव करते हैं।

"अब बर्तानवी सरकार अमरीका की सरकार पर दबाव डाल रही है कि हमें अमरीका में प्रवेश करने से रोका जाए। अमरीकी सरकार ने कहा है कि अगर बर्तानवी सरकार हिन्दुओं को अपने ही शासन वाले देशों, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, में आने से रोक रही है, तो हम उन्हें यहाँ क्यों आने दें? यह बिल उनकी संसद (अमरीकन कांग्रेस) में पेश किया गया है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो हम तबाह हो जायेंगे। दूसरे देश भी ऐसे कानून बनायेंगे। अब इस हालत के बारे में कुछ करने का समय आ गया है।

"बहादुर हिन्दोस्तानियों! अपनी नींद से जागो। बर्तानवी आपको हर जगह से निकाल रहे हैं। हमें एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि ऐसे कानून यहां पास न हो सकें। ये कानून चाहे पास हों या न हों, हमें सोचना होगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। इस समय हमारा कर्तव्य क्या है? इस समय हमारा कर्तव्य है हिन्दोस्तान में बर्तानवी राज, जो हमारी सभी समस्याओं की जड़ है, के खिलाफ़

3 करोड़ लोग अकाल और महामारी से मारे गये हैं। हमारी सारी उपज और अनाज को वे इंग्लैंड भेज रहे हैं। इन दुखदायी हालतों की वजह से, हिन्दोस्तानी लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमरीका और अफ्रीका जैसे दूर–दूर के देशों में जाने लगे हैं।

लड़ने के लिए एक सेना तैयार करना। यह बात करने का समय नहीं है। यह जंग का समय है। आप कब तक इंतजार करेंगे? कब तक दुनिया आपको गुलाम बताती रहेगी? रविवार, 15 फरवरी को स्टॉकटन में एक विशाल सभा होगी। अमरीका के सभी हिन्दुओं और मुसलमानों को उसमें भाग लेने को बुलाया जा रहा है। हम अपने अत्याचारियों को और याचिकाएं नहीं देंगे। अब हमें तलवार से अपने अधिकारों को हासिल करना होगा।

"आइये भाइयों, आपने बहुत डॉलर कमा लिए! अपनी मातृभूमि को वापस जाने का जहाज लें! आइये, अपनी मातृभूमि को वापस चलें और वहां विद्रोह का झंडा बुलंद करें! स्टॉक्टन की सभा में आइये और हिन्दोस्तान वापस जाकर ग़दर में लड़ने का प्रण लीजिये! जिस तरह यह आह्वान खून में लिखा गया है, उसी तरह आज़ादी का पत्र हिन्दोस्तान की धरती पर, हमारे और बर्तानवियों के खून से लिखा जायेगा। इस प्रण को लेने के लिए, यह आह्वान युगांतर आश्रम से भेजा जा रहा है। यह एक कागज नहीं, बल्कि जंग का ऐलान है! और सब कुछ छोड़कर आइये! देर मत कीजिये! **वही बहादुर योद्धा होता है जो अपने देश के लिए लड़ता है और टुकड़े–टुकड़े कर दिए जाने पर भी रणभूमि को नहीं छोड़ता है!**"

एक इश्तहार में संयुक्त राज्य हिन्दोस्तान के लक्ष्य पर जोर दिया गया था, जो ग़दर पार्टी के मुक्त हिन्दोस्तान के नज़रिये को प्रकट करता था। आगे चलकर, यह पार्टी के नियमित मासिक मुखपत्र, जो 1923 में शुरू किया गया था, का नाम भी बन गया। अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना और साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के खिलाफ़ सभी राष्ट्रों और लोगों की एकता की भावना के साथ पार्टी की स्थापना की गयी थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मराठी, बंगाली, पंजाबी, आदि जैसे अलग–अलग राष्ट्रों के क्रांतिकारी ग़दर पार्टी की ओर आकर्षित हुए।

ग़दर पार्टी के झंडे पर दो तलवार बने थे – एक विद्या का चिन्ह था और दूसरा वीरता का।

ग़दर पार्टी के झंडे पर दो तलवार बने थे – एक विद्या का चिन्ह था और दूसरा वीरता का। पार्टी समझ गयी थी कि विचारों की लड़ाई में भी जीतना ज़रूरी है और बल की लड़ाई में भी – यानी कलम और तलवार दोनों चलाने पड़ेंगे। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि सबसे

हिन्दोस्तान में राष्ट्रीय कर्ज़ा

(हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी के मासिक प्रकाशन, द इंडिपेंडेंट हिन्दोस्तान के अंक–1 में सितंबर 1920 को प्रकाशित लेख से लिया गया)

हिन्दोस्तान के राष्ट्रीय कर्ज़े का इतिहास बहुत ही दर्दनाक है। आम तौर पर, "राष्ट्रीय कर्ज़े" से दौलत की कोई वृद्धि नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा, अगर कर्ज़े को नयी दौलत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाये तो उत्पादन को ज्यादा ऊर्जा मिल सकती है और उस कर्ज़े का अतिरिक्त योगदान हो सकता है। जब "कर्ज़े" को किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आर्थिक उत्पादन के अनुकूल नहीं है, तो राष्ट्रीय ताक़त को नुकसान होता है।

1792 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्ज़ा 70 लाख स्टर्लिंग (बर्तानवी मुद्रा) से अधिक नहीं था। मैसूर–मराठा युद्ध से कर्ज़ा लगभग 1 करोड़ 40 लाख स्टर्लिंग से बढ़ गया और प्रथम अफगान युद्ध से कर्ज़ा लगभग 1 करोड़ 50 लाख स्टर्लिंग से बढ़ गया। सिख युद्धों से कर्ज़ा लगभग और 1 करोड़ 50 लाख स्टर्लिंग से बढ़ गया, जिसकी वजह से, 1857 में आज़ादी के युद्ध के शुरू होने से पहले, कुल कर्ज़ा लगभग 6 करोड़ स्टर्लिंग था।

लार्ड रोबर्ट्स ने कभी यह विचार प्रकट किया था कि :

> "1858 के अधिनियम से भारत सरकार कंपनी से बर्तानवी ताज को हस्तांतरित हो गयी और इस तरह, हिन्दोस्तान जो बर्तानवी ताज का सबसे उज्ज्वल हीरा था, बर्तानवी राष्ट्र की तथाकथित संपत्ति बन गया था। पर उस हीरे की कीमत किसने दी थी? बर्तानवी राष्ट्र ने तो नहीं दी थी। दुख की बात तो यह थी कि खुद को बेचने की कीमत की अदायगी हिन्दोस्तान से ही की गयी! ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी पूंजी के स्टॉक और कर्ज़े को हिन्दोस्तान के सार्वजनिक कर्ज़े के साथ जोड़ दिया गया और अब यह कर्ज़ा 10 करोड़ स्टर्लिंग के विशाल आंकड़े तक पहुँच गया है।"

बहुत ही नाजायज़ तरीके से, ईस्ट इंडिया कंपनी की पूंजी के स्टॉक और 1857 के विद्रोह को कुचलने पर खर्च किये गए धन का बोझ हिन्दोस्तान पर लाद दिया गया है। बर्तानवी नेताओं की साम्राज्यवादी नीति के चलते, हिन्दोस्तान की सीमाओं से बाहर जो युद्ध लड़े गए हैं, उनकी कीमत भी, बड़े नाजायज़ तरीके से, हिन्दोस्तान की तिजौरी से ही वसूली जा रही है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय कर्ज़े में इतनी नाजायज़ वृद्धि हुयी है।

पहली चुनौती जो पार्टी ने उठाई, वह थी हिन्दोस्तानी भाषाओं में एक साप्ताहिक प्रकाशन निकालना। ग़दर पार्टी भली–भांति समझ गयी थी कि किसी भी सशस्त्र क्रांतिकारी बग़ावत से पहले, ज्ञान का प्रसार करना और राजनीतिक तौर पर लोगों को लामबंध करना आवश्यक है।

ग़दर पार्टी के रंग थे – केसरिया, हरा और लाल। केसरिया रंग समाज के उद्धार के उच्च लक्ष्य के लिए वीरता और आत्म–बलिदान की भावना का प्रतीक था। हरा रंग हमारी भूमि और श्रम की उर्वरता और उत्पादकता का प्रतीक था। लाल रंग साम्राज्यवादियों और उपनिवेशवादियों के नाजायज़ शासन के खिलाफ़ संघर्ष में सभी देशों और राष्ट्रों के मज़दूरों की एकता का प्रतीक था।

ग़दर पार्टी ने लोगों के दुख को उस समय की राजनीतिक सत्ता के साथ जोड़ा और हिन्दोस्तान की देखभाल करने के लिए एक नयी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की ज़रूरत के निष्कर्ष पर पहुंचे।

ग़दर पार्टी का मुख्यालय 5 वुड स्ट्रीट, सैन फ्रांसिस्को पर था, जहां उसका प्रिंटिंग प्रेस भी था। जब उसकी स्थापना हुयी थी, उस समय लाला हरदयाल और करतार सिंह सराभा के अलावा, उस मुख्यालय में सक्रियता से काम करने वालों में थे मुंशी राम जो पत्राचार और बहीखाता का काम संभालते थे और कवि हरी सिंह जो फकीर के उपनाम से लिखते थे। पार्टी प्रेस के कर्मियों को एक हजार डॉलर से अधिक चंदा देने वालों के नाम याद रखने पड़ते थे, ताकि बर्तानवी सरकार के जासूसों को कोई भी सबूत न मिल सके।

साप्ताहिक प्रकाशन ग़दर के साथ–साथ, पार्टी मुख्यालय से कई और पुस्तिकाएं प्रकाशित की जाती थीं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी कविताओं के संकलन की एक पुस्तिका, जिसका नाम था ग़दर दी गूंज। उस पुस्तिका की दस–हजार प्रतियां छापकर जल्दी से वितरित की गईं। मज़दूर बने किसानों की स्वदेशी प्रतिभा, इंसाफ, मुक्ति और समानता के लिए उनकी गहरी भावनाएं और इनके खातिर लड़ने की उनकी तैयारी की झलक कई कवियों द्वारा लिखित कविताओं में पाई जाती थी। हिन्दोस्तानियों की सर्वप्रथम क्रांतिकारी राजनीतिक पार्टी बतौर संगठित ग़दरियों की राजनीतिक जागरुकता की झलक उस पुस्तिका में पाई जाती थी।

ग़दर पार्टी द्वारा फैलाई गयी कविताओं में इस बात पर रोशनी डाली जाती थी कि बर्तानवी राज बड़े पैमाने पर हमारी भूमि और श्रम की

लूट और अतिशोषण कर रहा था। कविताओं में इस प्रकार लिखा था :

पूख्खे मरन बच्चे काल विच साडे; खट्टी खाण साडी इंगलिस्तान वाले!

हमारे बच्चे अकाल में भूखे मर रहे हैं; अंग्रेज हमारे श्रम के फल खा रहे हैं!

ग़दर पार्टी यह समझ गई कि लोगों के दुख की वजह उस समय की राजनीतिक सत्ता ही है और हिन्दोस्तान की देखभाल करने के लिए एक नयी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की ज़रूरत के निष्कर्ष पर पहुंची। उनके द्वारा लिखित एक कविता में कहा गया था कि :

ढाई टोटरू खा गये खेत साडा; हिन्दोस्तान दा कोई किसान क्यों नहीं?

कुछ मुट्ठीभर लोगों ने हमारी धरती पर कब्ज़ा कर लिया है; हिन्दोस्तान की देखभाल करने वाला कोई क्यों नहीं है?

ग़दरियों ने बर्तानवी हिन्दोस्तानी सेना में लड़ने वाले सैनिकों – जो मज़दूरों और किसानों के बेटे थे – से अपील की कि अपनी तलवार को लोगों के सम्मान की हिफाज़त करने के लिए इस्तेमाल करें, न कि नाजायज़ बर्तानवी शासन की हिफाज़त में। उन्होंने इस अपील को सर्वोत्तम हिन्दोस्तानी सोच को ध्यान में रखते हुए किया। दुनिया के विभिन्न भागों में तैनात हिन्दोस्तानी सेनाओं, जिनके साथ ग़दरियों के निकट संबंध थे, को इस अपील ने बहुत प्रभावित किया। एक कविता में लिखा गया था कि :

करो पलटना नूं खबरदार जाके; सुत्ते पये क्यों तेग चलाण वाले?

जाओ, सेना को जगाओ; तलवार चलाने वाले क्यों सो रहे हैं?

ग़दरियों ने यह तर्क पेश किया कि हिन्दोस्तान पर बर्तानवी शासन की कोई वैधता नहीं थी क्योंकि बर्तानवी शासक जनता की ज़रूरतें पूरी करने और उनकी रक्षा करने के राज्य के फर्ज़ को नहीं निभा रहे थे। बर्तानवी राज सिर्फ क्रूर दमन पर आधारित था। इसीलिये, इस नाजायज़ शासन को खत्म करने के लिये लोगों द्वारा हथियारों का प्रयोग करना उचित और आवश्यक था। उन्होंने बताया कि :

ग़दरियों ने यह तर्क पेश किया कि हिन्दोस्तान पर बर्तानवी शासन की कोई वैधता नहीं थी क्योंकि बर्तानवी शासक जनता की ज़रूरतें पूरी करने और उनकी रक्षा करने के राज्य के फर्ज़ को नहीं निभा रहे थे।

बिना जूत ये भूत न जाई! जल्दी ग़दर मचा दियो भाई!

बल का प्रयोग किये बिना यह भूत नहीं जायेगा; ग़दर के आह्वान पर जल्दी आओ!

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी ने तथ्यों के आधार पर यह तर्क पेश किया कि कांग्रेस पार्टी की लाइन पर चलकर हमारी भूमि और श्रम के लूट और दमन का अंत नहीं होगा। उसने लोगों को कांग्रेस पार्टी के नेताओं के झूठे वादों, जो कि लंदन की कार्यनीति के भाग थे, से धोखे में न आने की चेतावनी दी थी। पार्टी के एक प्रकाशन में कहा गया था कि :

> "सभी सूझबूझवान लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सरकारी सभा है। उस सभा के संस्थापक ... श्री ह्यूम नामक एक अंग्रेज व्यक्ति थे। लगभग प्रतिवर्ष किसी अंग्रेज व्यक्ति को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। श्री गोखले जो उसमें बड़ी सक्रियता से भाग लेते हैं, कई उपाधियां प्राप्त कर चुके हैं और बर्तानवी ताज की विधान परिषद (इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल) के सदस्य हैं। श्री मेहता और श्री नौरोजी भी उपाधि वाले लोग हैं ... संक्षेप में, उसके सभी सदस्य अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले, कायर लोग हैं। वे अकाल और महामारी को रोकने के कदमों के बारे में नहीं सोचते हैं ... विधान परिषदों में कुछेक जवान लोगों को नियुक्त करने से देश का भला नहीं होगा, हालांकि वे बड़े बढ़िया भाषण दे सकते हैं। सक्षम हिन्दोस्तानी जब सरकार की सेवा में काम करने को मान जाते हैं तो उससे राष्ट्र को बहुत नुकसान ही होता है ... देश को तबाह करने वाली मुसीबतों से उसे मुक्त कराने का यह रास्ता नहीं है ... देश को जगाने के लिये बड़ी बहादुरी और बुद्धि मत्ता की ज़रूरत है। अंग्रेजों की चापलूसी करने से काई फायदा नहीं होगा... कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के हाथों में है और उनके द्वारा लंदन से चलाई जाती है ... उससे दूर रहो ..."

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी ने तथ्यों के आधार पर यह तर्क पेश किया कि कांग्रेस पार्टी की लाइन पर चलकर हमारी भूमि और श्रम के दमन और लूट का अंत नहीं होगा।

ग़दर पार्टी ने उपनिवेशवादियों द्वारा पैदा किये गये तथा उनके सहयोगियों द्वारा फैलाये गये, कई भटकाववादी आंदोलनों और विचारों के बारे में लोगों को चेतावनी दी। इनमें हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा भी शामिल थी। ग़दर पार्टी के एक प्रकाशन में कहा गया था कि :

"कुछ लोग यह सोचते हैं कि विभिन्न तबकों के बीच धार्मिक विवाद हिन्दू राष्ट्र की गतिविधियों और ऊर्जा के लक्षण हैं ... उनका यह विचार है कि अगर पूरे हिन्दोस्तान में एक ही धर्म होगा तो कोई विदेशी राष्ट्र हमारा शासक बनने की आशा को कामयाब नहीं कर सकेगा। परन्तु इतिहास बताता है कि ऐसा नहीं है और हमारा साधारण ज्ञान भी यही बताता है। हर एक व्यक्ति के अपने दार्शनिक या धार्मिक असूल हो सकते हैं ... हिन्दोस्तान में राम सिंह, नाना साहिब, तात्या टोपे, झांसी की रानी, बालगंगाधर तिलक, अम्बा प्रसाद सूफी और अजित सिंह जैसे देशभक्त पैदा हुये हैं, परन्तु उन सबका एक धर्म नहीं था। अतः यह ज़रूरी नहीं है कि पूरे देशभर में एक धर्म हो ... लोगों की खुशहाली और सुख किसी खास समुदाय पर निर्भर नहीं है ... मुक्ति और समानता हासिल करने की कोशिशों को त्याग देना और अपनी पूरी ताक़त धर्म पर लगाना खुद को इंसान के दर्ज़े से नीचे गिराने के समान है।"

ग़दर पार्टी ने उपनिवेशवादियों द्वारा पैदा किये गये तथा उनके सहयोगियों द्वारा फैलाये गये, कई भटकाववादी आंदोलनों और विचारों के बारे में लोगों को चेतावनी दी। इनमें हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा भी शामिल थी।

नेपाली, बंगाली, पश्तो, गुजराती और अन्य भाषाओं में भी ग़दर के विशेष अंक प्रकाशित किये जाते थे। बर्तानवी शासक पूरी कोशिश करने के बावजूद, सारी दुनिया में साप्ताहिक अख़बार ग़दर के वितरण या उसके हिन्दोस्तान पहुंचने को नहीं रोक सके। 1916 तक, ग़दर की लगभग दस लाख प्रतियां हर सप्ताह प्रकाशित होती थीं। चीन, मलया, सियाम, यूरोप, फिलिपींस, अफ्रीका, हांगकांग, सिंगापुर, पनामा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ईरान, अफगानिस्तान, जापान और रूस समेत कई जगहों पर ग़दर पार्टी की शाखायें थीं। बर्तानवी हिन्दोस्तान के आप्रवासी लोग जहां भी थे, वहीं पर ग़दर पार्टी की शाखायें बनीं। पार्टी के नेताओं ने अलग–अलग देशों में उसकी शाखाओं को बनाने और मजबूत करने तथा ब्रिटेन के तत्कालीन विभिन्न साम्राज्यवादी दुश्मनों से मिलकर परिस्थिति का मूल्यांकन करने का बीड़ा उठाया था।

मौलाना बरकतुल्लाह, जो टोकियो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, को वहां अपने राजनीतिक काम के लिये उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वे कनाडा को आये जहां उन्होंने हिन्दोस्तानी आप्रवासियों के बीच में अधिकतम मुसलमानों के समर्थन और हमदर्दी को पार्टी की तरफ आकर्षित करने में मदद दी। पार्टी द्वारा सौंपे गये कार्य के लिए वे काबुल गए। कपूर सिंह मोही ने चीन जाकर सुन याट–सेन के साथ

मुलाकात की। सोहन सिंह भकना ने टोकियो में जरमन काउंसेलर के साथ मुलाकात की।

हिन्दोस्तान के लोगों को खुला पत्र में हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी ने कहा कि :

"एक और विश्व युद्ध आ रहा है। हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा। इंग्लैंड अवश्य ही आगामी युद्ध में शामिल होगा। राजनीतिक बुद्धिमत्ता यही होगी कि हम इस दुर्लभ अवसर का अपने हितों के लिये इस्तेमाल करें। ऐसे समय पर जब हमारा दुश्मन, बर्तानवी साम्राज्यवाद, जीवन–मरण के संघर्ष में फंसा हुआ होगा, तब हमें संपूर्ण आज़ादी की मांग को आगे रखना होगा। अपना जीवन बचाने के लिये ब्रिटेन को किसी और चीज से अधिक, हिन्दोस्तान की दोस्ती की ज़रूरत होगी। हमें बर्तानवी शासकों को बहुत साफ–साफ बता देना होगा कि अगर उन्हें हिन्दोस्तान की दोस्ती कीमती है, तो उन्हें फौरन हिन्दोस्तान को पूरी आज़ादी देने को तैयार होना चाहिये। वरना अपने देश से कोई भी मदद पाने की उनकी कोशिश का हिन्दोस्तान जमकर विरोध करेगा। कैसे हम विरोध करेंगे वह अलग बात है, परन्तु विरोध हम ज़रूर करेंगे।

An Open Letter To the People At Large

"BE CONSISTENT"

हिन्दोस्तान के लोगों को खुला पत्र

स्रोत : https://www.saada.org/item/20141106-3902

"संपूर्ण आज़ादी का यह मतलब है कि अपने राजकोष, विदेश मामलों और सेना पर हिन्दोस्तान का नियंत्रण होगा। उससे कम हमें मंजूर नहीं है। हमें याद रखना होगा कि हम बर्तानवी साम्राज्यवादियों के वादों पर अब और विश्वास नहीं कर सकते। हमने कई बार बड़े दुख के साथ देखा है कि हम इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें अपनी मांगों पर डटे रहना होगा; जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक एक या दूसरे तरीके से हमें एकजुट होना होगा। दुनिया की परिस्थिति ऐसी है कि बर्तानवी हिन्दोस्तान की इस मांग को इंकार करने से पहले दुबारा सोचेंगे। हमें इस सुनहरे अवसर को नहीं खोना चाहिये।

"इस परिस्थिति का पूरा फायदा उठाने के लिये, हमें अपनी मजबूत एकता वाला संयुक्त मोर्चा खड़ा करना होगा। आज़ादी के लिये काम करने वाले सभी हिन्दोस्तानियों को एक संयुक्त मोर्चे में एकजुट होना होगा। व्यक्तिगत मतभेदों को भूल जाना होगा।

हमारे उद्देश्य को हासिल करने के लिये यह आवश्यक है कि हमारा लक्ष्य एक हो। हम सभी, जिन्हें हिन्दोस्तान की आज़ादी प्यारी है, को एक शक्तिशाली संयुक्त मोर्चा बनाने के लिये काम करना होगा। जब हम अपने संयुक्त मोर्चे के साथ अपनी मांगों को उठायेंगे तो उसका असर अवश्य दिखेगा। देश के लोगों के बीच में हमारी मांगों का प्रचार करना होगा। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जातीं तो लोगों को उठकर संघर्ष में आगे आने के लिये तैयार करना होगा।

"अपने लोगों को शिक्षित करने का यही वक्त है; कल शायद बहुत देर हो जायेगी। युद्ध के दौरान सैनिक कानून लागू होगा और हमारा काम ज्यादा कठिन हो जायेगा। जब तक हम जनता को संघर्ष में आगे आने के लिये तैयार नहीं कर लेते, तब तक हमारी मांगों का ज्यादा वजन नहीं होगा। बर्तानवी साम्राज्यवादी खोखले प्रस्तावों की कोई परवाह नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगों को जनता की एकजुट ताक़त का समर्थन नहीं प्राप्त होगा।

"युद्ध अब किसी भी दिन शुरू हो सकता है। हम एक क्षण भी नहीं खो सकते। जब तक हमारे पास समय है, तब तक हमें हिन्दोस्तान की जनता को शिक्षित और संगठित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिये। हमारे नारे कुछ इस प्रकार के होने चाहियें : संपूर्ण आज़ादी या असहयोग!, हमें आज़ादी चाहिये, कुछ और नहीं!, आज़ादी नहीं तो हिन्दोस्तान से कोई सैनिक नहीं!, आज़ादी नहीं तो हिन्दोस्तान से कोई पैसा नहीं!, आज़ादी या प्रतिरोध!"

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की एक खास विशेषता उसकी अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना और साम्राज्यवाद के खिलाफ़ सभी दबे–कुचले राष्ट्रों और लोगों की एकता बनाने की प्रतिबद्धता थी।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की एक खास विशेषता उसकी अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भावना और साम्राज्यवाद के खिलाफ़ सभी दबे–कुचले राष्ट्रों और लोगों की एकता बनाने की प्रतिबद्धता थी। मिसाल के तौर पर, 1920 के दशक में हिन्दोस्तान ग़दर ढंढोरा के एक अंक में साफ–साफ लिखा गया था कि :

"हिन्दोस्तान की आज़ादी और चीन की आज़ादी का आपस में नज़दीकी का संबंध है। चीन की आज़ादी होने से हिन्दोस्तान की आज़ादी का दिन और पास आ जायेगा।"

ग़दर दी गूंज में हिन्दोस्तानी सैनिकों को संबोधित एक कविता में कहा था कि :

> "ओ मेरे भाई, चीनी लोगों के खिलाफ़ युद्ध में मत लड़ो। दुश्मन से होशियार रहो। वह आपको अपने चीनी भाइयों से लड़ने के लिये धोखेबाज तरीके से प्रेरित न कर पाये। हमारा दुश्मन भाइयों को आपस में बांटता है और एक दूसरे का कत्ल करने को भड़काता है। हिन्द, चीन और तुर्की के लोग वास्तव में भाई–भाई हैं दुश्मन को इस भाइचारे को कलंकित करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिये।"

1925 और 1927 के बीच, जब चीन में साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्ष बड़ी तेज़ी से चल रहे थे, तो उस दौरान बर्तानवियों ने हिन्दोस्तानी सेनाओं को वहां के मज़दूरों और नौजवानों के जन प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने के लिये, शांघाई और कैंटन भेजा था। जैसे ही हिन्दोस्तानी सेना चीन के तट पर उतरी, वैसे ही चीन में ग़दर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ संपर्क किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिन्दोस्तानी सेना को समझाया कि भ्रात्रीय चीनी लोगों पर गोली नहीं चलानी चाहिये। सेना के कई बटालियनों ने गोली चलाने से इंकार कर दिया और बर्तानवियों को उन्हें जल्दी से हिन्दोस्तान वापस भेजने को मजबूर होना पड़ा।[2]

संदर्भ

[1] *द ग़दर मूवमेंट* में सोहन सिंह भकना द्वारा लिखित, *"नोट्स ऑन द हिस्टरी ऑफ द ग़दर पार्टी"*, डा. पी.आर. कालिया द्वारा संपादित, *प्रोग्रेसिव पीपल्स फाउंडेशन ऑफ एडमंटन,* 2013, पृष्ठ 380।

[2] *इंडियनस् इन चाईना,* 1800–1949, माधवी थंपी, मनोहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2005, पृष्ठ 179।

अध्याय 3

1915 का विद्रोह

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की अगुवाई में विद्रोह का दायरा विश्व व्यापी था। कई महाद्वीपों में तैनात बर्तानवी हिन्दोस्तानी सेना में बग़ावत हुई। अगस्त 1914 में पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि सभी जगहों पर सक्रिय ग़दरियों को हिन्दोस्तान वापस आकर विद्रोह को संगठित करने का आह्वान दिया जायेगा।

1915 में काबुल में स्थापित राजा महेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में आज़ाद हिन्दोस्तान की निर्वासित सरकार, बर्तानवी साम्राज्यवाद–विरोधी गठबंधन बनाने के लिए, एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ

स्रोत : http ://waziristanonafancy.blogspot.in/2013/10/the-niedermayer-hentig-expedition-to.html

बड़ी–बड़ी रैलियां और जनसभायें आयोजित की गईं, जिनमें विदेश में निवासी सभी देशभक्त हिन्दोस्तानियों से आह्वान किया गया कि देश वापस आयें और बर्तानवी राज के खिलाफ़ सशस्त्र विद्रोह में भाग लें। 22 अगस्त, 1914 को 26 हिन्दोस्तानी लोगों के साथ पहला जहाज वैनकूवर से रवाना हुआ। 29 अगस्त को एक और जहाज 60 से अधिक हिन्दोस्तानियों सहित सैन फ्रांसिस्को से हिन्दोस्तान के लिये रवाना हुआ। उस दूसरे जहाज में थे भाई केसर सिंह, भाई ज्वाला सिंह थाथियां, भाई निधान सिंह चुग्घा, उधम सिंह कसेल और पंडित जगत राम।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी यह समझ गई कि प्रथम विश्व युद्ध दुनिया को कुछ गिनी–चुनी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी ताक़तों के बीच फिर से बांटने के लिये किया जा रहा अंतर–साम्राज्यवादी युद्ध था।

कामागाटा मारू, एस.एस. कोरिया और नामसंग ये उन जहाजों में से कुछ के नाम थे, जिनमें हजारों ग़दरी देश वापस आये। बर्तानवी सरकार के रिकार्डों के अनुसार, 2312 ग़दरियों ने 13 अक्तूबर, 1914 और 25 फरवरी, 1915 के बीच हिन्दोस्तान में प्रवेश किया था। 1916 तक वे आते रहे और उनकी संख्या 8000 से भी अधिक हो गई। उपनिवेशवादियों के सरकारी रिकार्डों के अनुसार, ग़दरियों की असली संख्या शायद सरकार की जानकारी से कहीं ज्यादा थी।

ग़दर अख़बार में युद्ध के ऐलान को देख कर बर्तानवी अधिकारियों ने सितंबर 1914 में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके अनुसार प्रदेशों की सरकारों को विदेश से आने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया, बेशक वे हिन्दोस्तानी नागरिक ही क्यों न हों। शुरू–शुरू में आने वाले कई लोगों को बंदरगाह में प्रवेश करते हुये ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किये गये लोगों में से लगभग 2500 को अपने–अपने गांवों में नज़रबंद रखा गया और 400 को खतरनाक मानकर जेलों में रखा गया। अपने इतने सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के गिरफ्तार होने से क्रांतिकारियों की योजना बिगड़ गई। परन्तु उन्होंने अपनी कोशिशें न छोड़ीं। नये नेता आगे आये और ग़दरियों ने अपना पुनर्गठन किया। उन्होंने अपने मुख्यालय को पहले अमृतसर और फिर बाद में लाहौर में स्थापित किया।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी ने हिन्दोस्तान में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और कई पुस्तिकायें छापीं, जिनमें कुछ थे ग़दर संदेश, ऐलान–ए–जंग, तिलक, नादर मौका, रिकाबगंज, नौजवान उठो और सच्ची पुकार। ये पुस्तिकायें पंजाबी, उर्दू और हिन्दी भाषाओं में छापी गईं। इन्हें मज़दूरों,

किसानों तथा पंजाब और बर्तानवी हिन्दोस्तान के अन्य भागों की छावनियों में तैनात सैनिकों के बीच में बांटा गया। बंगाल, संयुक्त प्रदेश और बर्तानवी हिन्दोस्तान के अन्य भागों के क्रांतिकारियों, जैसे कि रास बिहारी बोस और शचीन्द्रनाथ सान्याल, के साथ संपर्क बनाये गये।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी यह समझ गई कि प्रथम विश्व युद्ध दुनिया को कुछ गिनी–चुनी साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी ताक़तों के बीच पुनः बंटवारे के लिये किया जा रहा अंतर–साम्राज्यवादी युद्ध था। उसका मकसद था प्रतिस्पर्धी पूंजीवादी समूहों द्वारा नये बाज़ारों, नये इलाकों और कच्चे माल के स्रोतों पर कब्ज़ा करना, जिसके लिये अलग–अलग राष्ट्रों के मज़दूरों और किसानों को एक–दूसरे का कत्ल करने को मजबूर किया जा रहा था।

प्रथम विश्व युद्ध में बर्तानवी सेना के सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या हिन्दोस्तान से थी, यानी वर्तमान हिन्दोस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यानमार से।[1] ये 16 लाख लोग थे (सैनिक, मज़दूर, बेलदार, भिश्ती, गधे चलाने वाले और रसोइये इनमें शामिल थे)।[2] बर्तानवी साम्राज्यवादियों ने गोला–बारूद, इस्पात, घोड़े, गधे और पशुधन के अलावा अपनी युद्ध मशीन के लिये धन भी हिन्दोस्तान से लूटा। 1917 में, हिन्दोस्तान से 10 करोड़ पाउंड (वर्तमान मूल्य 8 अरब पाउंड) वसूले गये और इस तरह, बर्तानवी साम्राज्यवादी युद्ध को धन दिलाने के लिये हमारी जनता को और भारी कर्ज़े में धकेल दिया गया।

ग़दर पार्टी का अंतर–साम्राज्यवादी युद्ध के प्रति वही राजनीतिक रवैया था जो ज़ारवादी रूस में लेनिन की बोल्शेविक पार्टी का था।

ग़दर पार्टी का अंतर–साम्राज्यवादी युद्ध के प्रति वही राजनीतिक रवैया था जो ज़ारवादी रूस में लेनिन की बोल्शेविक पार्टी का था। लेनिन ने कहा था, "गुलामों के मालिकों के गिरोहों के बीच इस नाजायज़ जंग को सभी प्रकार की गुलामी खत्म करने वाले क्रांतिकारी जंग में बदल दें!"

यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय उत्तरी हिन्दोस्तान की हर छावनी में 300 से भी कम बर्तानवी सैनिक होते थे, जबकि उनमें एक वर्ष या उससे अधिक समय तक युद्ध को जारी रखने के लिये पर्याप्त मात्रा में हथियार होते थे। ग़दरियों ने विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की थी, कि किस अस्त्रागार में कितने हथियारों और गोला–बारूद का

ग़दरियों की वापसी

देश को वापस आने वाले ग़दरियों में से अनेक के बर्तानवी हिन्दोस्तानी सेना के साथ संबंध थे। उनकी योजना थी इन संबंधों के सहारे सैनिक छावनियों में प्रवेश करके हिन्दोस्तानी सैनिकों में विद्रोह के बीज बोना। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिये उनमें इतनी लगन थी कि जिस भी बंदरगाह में उनका जहाज रुकता था, वहां वे विद्रोह के लिये समर्थन जुटाने के इरादे से, हिन्दोस्तानी सैनिकों के साथ घुल–मिल जाते थे।

उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों के मुख्य केन्द्र पंजाब, संयुक्त प्रदेश और बंगाल थे। पहले पंजाब और बंगाल के क्रांतिकारी दलों के बीच आपस में ज्यादा संबंध नहीं था। परन्तु हर दल को दूसरे दलों के अस्तित्व के बारे में मालूम था और जब दूसरे दलों की कार्यवाहियों को अख़बारों की रिपोर्टों में लूट–खसोट और बम विस्फोट बताया जाता था, तो सभी उन घटनाओं में बहुत रुचि लेते थे और बहुत गर्व करते थे। इन ख़बरों से उन्हें जानकारी मिलती थी कि दूसरी जगहों पर भी क्रांतिकारी सक्रिय थे। ये ख़बरें दूसरी जगहों के क्रांतिकारियों के लिये ताक़त और प्रोत्साहन के स्रोत बनीं। ग़दरियों के वापस आने के साथ–साथ, उन अलग–अलग केन्द्रों के बीच में संपर्क स्थापित हुआ और अपनी कार्यवाहियों का समन्वय करने के लिये बैठकें हुईं।

जब बर्तानवी सैनिक दूसरे देशों में युद्ध करने में व्यस्त थे, तो वह क्रांतिकारियों के लिये बैरकों पर कब्ज़ा करने का अच्छा मौका था। उस समय लाहौर, रावलपिंडी, मेरठ, लखनऊ, पेशावर और बन्नू की छावनियों के साथ ग़दरियों के संपर्क थे। उत्तरी कमान का बारूदखाना फिरोजपुर छावनी में था। उस छावनी पर कब्ज़ा करके, बर्तानवी सेना को हराने के लिये बारूद का पूरा भंडार मिल सकता था। बंगाली क्रांतिकारियों ने लखनऊ विभाग तथा बिहार के पूर्व की छावनियों में घुसपैठ कर ली। हांगकांग, पेनेंग और रंगून में हिन्दोस्तानी सैनिकों के बीच में पार्टी काफी प्रसिद्ध थी।

स्रोत : (1) "बंदी जीवन", शचीन्द्रनाथ सान्याल, पृष्ठ 31, 42 और 83
(2) ऐ देशभक्तों हमें अपनी यादों में रखना, भूल न जाना! – ग़दर शताब्दी समिति, टोरांटो, 2013

भंडार था तथा उसकी रक्षा के लिये कितने सैनिक तैनात किये गये थे और किन–किन सैनिकों पर विद्रोह में शामिल होने का भरोसा किया जा सकता था।

पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक 12 फरवरी, 1915 को हुई और उसमें फैसला लिया गया कि 21 फरवरी को विद्रोह शुरू किया जायेगा। विद्रोह की योजना इस प्रकार थी कि मियां मीर, फिरोज़पुर, मेरठ, लाहौर और दिल्ली की सैनिक छावनियों पर कब्ज़ा किया जायेगा और हिन्दोस्तान के गणतंत्र की घोषणा की जायेगी। 128वां पायोनियर और 12वीं केवेलरी मेरठ छावनी पर कब्ज़ा करेंगी और फिर दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगी। उत्तरी हिन्दोस्तान की तमाम छावनियों के सैनिकों को संगठित किया गया था ताकि पूर्व निर्धारित इशारे पर वे विद्रोह में भाग लेने के लिये निकल पड़ें। पार्टी के अगुवा संगठनकर्ताओं को झेलम, रावलपिंडी, पेशावर, अंबाला, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, दीनापुर और फैज़ाबाद भेजा गया था। पूर्वी हिन्दोस्तान में विद्रोह के आयोजन का समन्वय बंगाल के क्रांतिकारी करने वाले थे। पेशावर से लेकर हांगकांग तक बर्तानवी साम्राज्य में विद्रोह को फैलाने की योजना थी।

देश को वापस आने वाले ग़दरियों में से अनेक के बर्तानवी हिन्दोस्तानी सेना के साथ संबंध थे। उनकी योजना थी इन संबंधों के सहारे सैनिक छावनियों में प्रवेश करके हिन्दोस्तानी सैनिकों में विद्रोह के बीज बोना।

बर्तानवी सरकार ने सभी शहरों और महत्वपूर्ण गांवों के रेलवे स्टेशनों पर अपने जासूसों को लगा रखा था। बर्तानवी सरकार ग़दर पार्टी के संगठन के अंदर भी मुखबिर बिठाने में कामयाब हुई थी। जब पार्टी को यह पता चला कि विद्रोह के दिन के बारे में सूचना बाहर निकल गई है, तो उसने विद्रोह की तरीख़ और पहले, 19 फरवरी को निर्धारित कर दी। परन्तु विद्रोह को पहले से ही रोकने के लिये बर्तानवी अधिकारियों ने बड़ी तेज़ी से कदम उठाया। पुलिस ने लाहौर में चार अलग–अलग जगहों पर पार्टी के मुख्यालयों पर छापे मारे और 13 "सबसे खतरनाक क्रांतिकारियों" को गिरफ्तार कर लिया।

सभी छावनियों को होने वाले विद्रोह की चेतावनी दी गई और हिन्दोस्तानी सेनाओं को निहत्था कर दिया गया। पूरे पंजाब में ग़दरियों को गिरफ्तार किया गया। रास बिहारी बोस करतार सिंह सराभा की मदद के साथ, लाहौर से सुरक्षित निकलकर वाराणसी पहुंचे। विष्णु गणेश पिंगले को

23 मार्च, 1915 को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया। सभी गिरफ्तार नेताओं को लाहौर जेल में बंद किया गया।

इस बीच, बर्मा के रंगून में तैनात, 130वीं बलूची रेजीमेंट ने जनवरी 1915 को विद्रोह कर दिया। उन सैनिकों ने बर्तानवियों के लिये युद्ध में लड़ने से इंकार कर दिया था। 15 जनवरी को उस रेजीमेंट के 200 सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया। चार सैनिकों को फांसी दी गई, 69 सैनिकों को आजीवन कारावास तथा 127 को अलग–अलग अवधियों के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई।

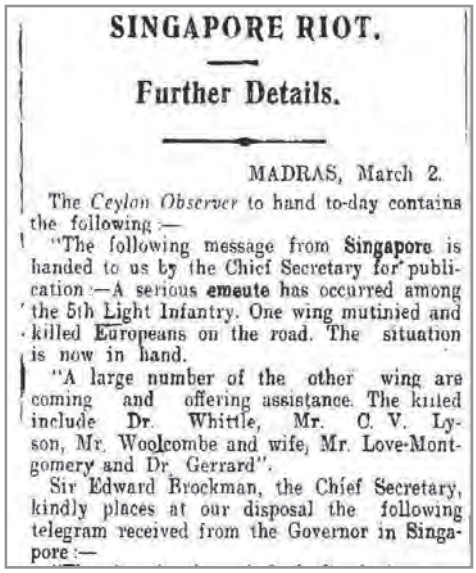

SINGAPORE RIOT.

Further Details.

MADRAS, March 2.

The *Ceylon Observer* to hand to-day contains the following :—

"The following message from **Singapore** is handed to us by the Chief Secretary for publication :—A serious **emeute** has occurred among the 5th Light Infantry. One wing mutinied and killed Europeans on the road. The situation is now in hand.

"A large number of the other wing are coming and offering assistance. The killed include Dr. Whittle, Mr. C. V. Lyson, Mr. Woolcombe and wife, Mr. Love-Montgomery and Dr. Gerrard".

Sir Edward Brockman, the Chief Secretary, kindly places at our disposal the following telegram received from the Governor in Singapore :—

1915 की सिंगापुर बग़ावत पर टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख का एक स्क्रीन शॉट

स्रोत : https://timesofindia.indiatimes.com/india/Singapore-Mutiny-of-1915-A-standalone-episode-not-linked-to-freedom-struggle/articleshow/39563737.cms

सिंगापुर में तैनात, 5वीं स्वदेशी हल्के हथियार वाली पैदल सेना के लगभग 850 हिन्दोस्तानी सैनिकों ने 15 फरवरी, 1915 को अपनी बंदूकों को बर्तानवी अफसरों की तरफ घुमा दिया। दुंडे खान, चिश्ती खान और अली खान नामक अफसरों की अगुवाई में उन्होंने बर्तानवी कमांडिंग आफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन के बंगले पर धावा बोल दिया। उन्होंने सिंगापुर शहर तक जाने वाले रास्ते पर नाकेबंदी कर दी। वह विद्रोह लगभग सात दिन तक लगातार चला और उसमें लगभग 50 बर्तानवी सैनिकों व अफसरों की मौत हुई। उसके बाद अतिरिक्त बर्तानवी सेनाओं और उनसे जुड़ी हुई फ्रांस, रूस व जापान की नौसैनिक टुकड़ियों की सहायता के साथ विद्रोह को कुचल दिया गया। सिंगापुर में 200 से अधिक सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया, जिनमें से 47 को मार डाला गया, 64 को जीवन भर के लिये दूर–दराज के स्थानों पर भेज दिया गया तथा 73 को सात से बीस वर्ष तक की अलग–अलग अवधियों के लिये कारावास की सज़ा दी गई।

बर्तानवी हिन्दोस्तान के अंदर उपनिवेशवादी सरकार ने एक अध्यादेश के ज़रिये "डिफेंस ऑफ इंडिया रूल" को जारी किया, ताकि क्रांतिकारियों पर चलाये गये, तुरंत फैसला सुनाने वाले मुकदमों (समरी ट्रायल) को

मार्च 1915 में सिंगापुर में विद्रोही सैनिकों को गोली से उड़ाकर सार्वजनिक सज़ा दी गई
स्रोत : http://timesofindia.indiatimes.com/photo/39563900.cms

वैधता दी जाये। प्रादेशिक विधानसभाओं के सभी हिन्दोस्तानी सदस्यों ने उस अध्यादेश का विरोध किया। ग़दरियों पर मुकदमा चलाने के लिये तीन न्यायाधीशों वाली एक विशेष अदालत बिठाई गई। यह मुकदमा प्रथम लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जाता है।

13 सितंबर, 1915 को 24 ग़दरियों को मृत्यु दंड दिया गया और बाकी 58 कैदियों को आजीवान कारावास की सज़ा दी गई। उस फैसले को सुनकर पूरे हिन्दोस्तान में बर्तानवी राज के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शनों की लहर फैल गई। बर्तानवी वायसराय को मजबूरन कुछ ग़दरियों के मृत्यु दंड को आजीवान कारावास में बदलना पड़ा तथा कुछ और ग़दरियों के कारावास की अवधि को घटाना पड़ा।

16 नवंबर को मृत्यु दंड की सज़ा भुगतने वाले ग़दरियों के प्रथम दल को फांसी दी गई। उनमें शामिल थे करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, हरनाम सिंह सियालकोटी, जगत सिंह, बख्शीश सिंह गिलवाली, सुरैन सिंह गिलवाली (बुर सिंह के पुत्र) और सुरैन सिंह गिलवाली (इशर सिंह के पुत्र)।[3]

दूसरे लाहौर षड्यंत्र कांड के सिलसिले में 102 ग़दरियों पर मुकदमा चलाया गया। 25 अक्तूबर, 1915 को मुकदमा शुरू हुआ और 30 मार्च, 1916 को फैसले सुनाये गये। 5 ग़दरियों को मौत की सज़ा दी गई, जो थे बीर सिंह बाहोवाली, इशर सिंह धूदिके, रंगा सिंह खुर्दपुरी, रूर सिंह दसांज और उत्तम सिंह हंस।[4] 45 ग़दरियों को आजीवन कारावास तथा 41 को आठ महीने से चार साल तक की अलग–अलग अवधियों के लिये कठोर कारावास की सज़ा दी गई। 11 ग़दरियों को रिहा कर दिया गया। उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा लाहौर षड्यंत्र मुकदमे भी चले।

ग़दर पार्टी के एक नेता, पंडित सोहन लाल पाठक को बर्तानवी हुकूमत के खिलाफ़ बग़ावत भड़काने के लिये, बर्मा के मैंडले जेल में 10 फरवरी, 1916 को फांसी दी गई। उनकी शहादत के अवसर पर उनके कामरेड अमर सिंह ने लिखा :

चढ़ा मंसूर फांसी पर पुकारा इश्कबाज़ों को
ये बीड़ा है तबाही का उठाये जिसका जी चाहे

जबकि हिन्दोस्तान के अंदर तथा बर्मा व सिंगापुर समेत पूर्व में आयोजित विद्रोह को नाकामयाब कर दिया गया, तो पश्चिम के पड़ोसी देशों में बर्तानवी हुकूमत के क्रांतिकारी तख्तापलट के लिये संघर्ष आगे बढ़ता रहा। ग़दर पार्टी ने तुर्की, जरमनी, मेसोपोटामिया और मध्यपूर्व में बर्तानवी सेना में लड़ने वाले हिन्दोस्तानी युद्धबंदियों को संगठित किया। सिर्फ तुर्की में ही नहीं बल्कि ईरान व बलूचिस्तान में भी ग़दर योद्धाओं ने बर्तानवियों की ओर अपनी बंदूकें घुमा दीं।

ईरान और इराक में, खास तौर पर बसरा और बुशहर में तैनात बर्तानवी हिन्दोस्तानी सेना के सिपाहियों के बीच ग़दर पार्टी ने अपने सैल बनाये। यहीं पर ग़दरियों ने ईरान से बर्तानवी हिन्दोस्तान पर हमला करने के लिये, इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी को संगठित किया। ग़दर सेना की यह टुकड़ी बलूचिस्तान की सीमा तक पहुंची। उसने सीमा पर स्थित करमान शहर पर हमला किया और वहां पर कार्यरत बर्तानवी अफसर को गिरफ्तार करके, वहां अपना अड्डा बना लिया।

अफग़ानिस्तान के सिस्तान प्रदेश में ग़दर सेना ने बर्तानवी सेना को पराजित किया। ग़दर सेना ने उनका पीछा किया और उन्हें बलूचिस्तान के करमशीर इलाके में धकेल दिया। उसके बाद ग़दर सेना कराची की ओर आगे बढ़ी और ग्वादर व दावर के तटवर्ती शहरों पर कब्ज़ा कर लिया। बामपुर के बलूची प्रधान ने बर्तानवी हुकूमत से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और ग़दर सेना में शामिल हो गये।

दिसंबर 1915 में अफग़ानिस्तान के काबुल में आज़ाद हिन्दोस्तान की निर्वासित सरकार की स्थापना की गई। उसके अध्यक्ष राजा महेन्द्र प्रताप, प्रधानमंत्री मौलवी बरकतुल्लाह, गृहमंत्री मौलवी अबैदुल्लाह सिंधी, युद्धमंत्री मौलवी बशीर और विदेश मंत्री चंपाकरण पिल्लई बने। राजा महेन्द्र प्रताप को छोड़कर, बाकी सभी ग़दर पार्टी के सदस्य थे। निर्वासित सरकार ने तुर्की, जरमनी, जापान और चीन जैसी बर्तानवी–विरोधी सरकारों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किये।

दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में आज़ाद हिन्दोस्तान की निर्वासित सरकार की स्थापना की गई।

इस बीच, यूरोप में जंग बर्तानवियों के पक्ष में बढ़ रहा था। क्रांतिकारी लहर के पीछे हटने का यही मुख्य कारक था। तुर्की को पराजित किया गया और बग़दाद को बर्तानवी नियंत्रण में कर लिया गया। इसकी वजह से ग़दर सेना की सप्लाई लाइनें कट गईं और वह पीछे हटने तथा ईरान के शिराज शहर में जाकर पुनः गठित होने को मजबूर हुई। ग़दर सेना बहुत बहादुरी के साथ लड़ी परन्तु उसे पराजित कर दिया गया। उसके बावजूद, ग़दरियों ने ईरान के देशभक्तों के साथ मिलकर गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। जब ईरान के देशभक्त पराजित हुये, तब 1919 में ग़दरियों को उस देश को छोड़ना पड़ा।

उपनिवेशवादी शासन का तख्तापलट करने के अपने प्रथम प्रयास की पराजय के बाद, ग़दरियों में से जो भी बचे थे, वे उस समय के बर्तानवी हिन्दोस्तान में सक्रिय क्रांतिकारियों की तमाम धाराओं में घुल–मिल गये। हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी उत्तरी अमरीका में काम करती रही और वहीं से अपना साप्ताहिक अख़बार प्रकाशित करती

रही। बर्तानवियों की भारी जासूसी और राजनीतिक अधिकारों के हनन की हालतों में, देश के अंदर और विदेश में क्रांतिकारी एक एकजुट पार्टी बतौर काम नहीं कर सके।

संदर्भ

[1] http ://www.bl.uk/world-war-one/articles/the-indian-sepoy-in-the-first-world-war

[2] http ://forbesindia.com/article/think/the-forgotten-indian-heroes-of-world-war-i/39537/1

[3] मलविन्दर जीत सिंह वरैच और हरिंदर सिंह, *ग़दर मूवमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स : ग्रंथ 1–बी, लाहौर कॉन्सपिरेसी केसेस 1 एण्ड 2*, यूनीस्टार, चंडीगढ़, 2014

[4] उपरोक्त, पृष्ठ 245, 248, 252 और 254

अध्याय 4

ऐतिहासिक महत्व

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी के कार्यों के महत्व को पूरी तरह समझने के लिए, हमें उसकी स्थापना से लगभग 60 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। 1857 का ग़दर उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ था। वह निर्णायक मोड़ इसलिए था क्योंकि उसने एक राजनीतिक लक्ष्य को परिभाषित किया, जिससे विभिन्न राष्ट्रीयताओं और विभिन्न भाषाओं, जातियों, जनजातियों व धार्मिक विचारों के लोग लामबंध हुए।

1857 के ग़दर का एक दृश्य

हम हैं इसके मालिक! हिन्दोस्तान हमारा!

विद्रोहियों का यह नारा हिन्दोस्तान के लोगों की संप्रभुता की एक प्रबल अभिव्यक्ति और अभिकथन बन गया।

1857 का ग़दर, भूगोलिक विस्तार और लोगों की संख्या के नज़रिये से, 19वीं सदी के सबसे महान युद्धों में से एक था। वह हिन्दोस्तानी उपमहाद्वीप के लगभग सभी भागों में तथा पूरे महाद्वीप में फैल गया था और उसमें हिन्दोस्तानी समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, राष्ट्रीयताओं और धार्मिक विचारों के करोड़ों लोग शामिल थे। वे सभी लोग बर्तानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ़ एकजुट हो गए थे। उन्होंने ऐलान किया कि बर्तानवी शासन हमारी "जीवन शैली" को तबाह कर रहा है। बर्तानवी हिन्दोस्तानी सेना के किराए के सिपाहियों के साथ मेहनतकश किसान और कारीगर तथा अलग–अलग रजवाड़ों के देशभक्त राजा, रानी और योद्धा एकजुट हो गए। उन सभी ने बर्तानवी शासन को अपना सांझा दुश्मन माना था।

1857 का ग़दर, भूगोलिक विस्तार और लोगों की संख्या के नज़रिये से, 19वीं सदी के सबसे महान युद्धों में से एक था।

हिन्दोस्तान की देशभक्त ताक़तें अपने बीते अनुभव से सीख ले रही थीं। बीते दिनों में भी हिन्दोस्तानी राज्यों के विभिन्न शासकों ने बर्तानवी उपनिवेशवादी ताक़तों के खिलाफ़ एकजुट होने की कोशिश की थी। 1779 में ही मैसूर में हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने नाना फडनाविस, जनोजी भोसले, महदजी सिंधिया और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर एक पारस्परिक योजना और संधि बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने यह योजना बनाई थी कि मैसूर की सेनायें आरकट क्षेत्र और मद्रास पर हमला करेंगी; जनोजी भोसले बंगाल में बर्तानवियों पर हमला करेंगे; जबकि नाना फडनाविस और महदजी सिंधिया बम्बई में बर्तानवी अड्डे पर हमला करेंगे और हैदराबाद के निज़ाम सरकार जिलों (ओडिशा और बंगाल प्रेसिडेंसी के भाग) पर हमला करेंगे। जबकि हैदर और टीपू ने योजना के अनुसार काम किया, दूसरों ने अपने–अपने निर्धारित कार्यों को पूरा नहीं किया।

1850 के दशक तक हिन्दोस्तानी क्रांतिकारियों के लिये हालतें और कठिन हो गईं। बर्तानवी उपनिवेशवादी ताक़त और ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी।

उनके राज्य का ढांचा और ज्यादा संकेंद्रित हो गया था और वे रेलवे, स्टीम के जहाजों और टेलिग्राफ जैसे यातायात और संचार के आधुनिक साधनों से लैस हो गये थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जो बंगाल सेना, बॉम्बे सेना और मद्रास सेना में बंटी हुई थी, उसके सैनिकों की संख्या लगभग 2,38,000 तब पहुंच गई थी। इनमें 2,00,000 हिन्दोस्तानी सैनिक थे और 38,000 बर्तानवी सैनिक व अफसर थे। वह सेना युद्ध में परिपक्व थी। उसे न सिर्फ देश के अंदर जन विद्रोहों को कुचलने के लिये लगाया गया था बल्कि अनेक हमलावर युद्धों में भी, जैसे कि 1839–1842 के प्रथम अफगान युद्ध में; 1843 के ग्वालियर युद्ध में; 1844 के सिंध युद्ध में; 1845–46 और 1848–49 के पंजाब युद्धों में; 1840–42 और 1858–60 में चीन के अफीम युद्धों में; 1854 में रूस के खिलाफ़ क्रिमिया के युद्ध में और 1856–57 के दौरान फारस के युद्ध में। परन्तु इन सबके बावजूद, 1857 के ग़दर ने बर्तानवी उपनिवेशवादी शासन की बुनियादों को झकझोर दिया।

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 1857 के ग़दर की एक प्रमुख नेता

स्रोत : https://www.tutorialspoint.com/modern_indian_history/modern_indian_history_centers_of_1857_revolt.htm

1857 के ग़दर की प्रतिक्रिया बतौर, बर्तानवी उपनिवेशवादियों ने जनसंहार किया तथा विशिष्ठ हिन्दोस्तानियों को अपनी सत्ता में शामिल करने के कदम लिये। लगभग एक करोड़ हिन्दोस्तानियों को मौत के घाट उतारा गया, ग़दर के बारे में सभी पुस्तकों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों समेत सभी चिन्हों को नष्ट किया गया। बर्तानवियों ने 1857 के बारे में किसी भी हिन्दोस्तानी लेखक के प्रकाशन पर बैन लगा दिया। दूसरी ओर, उन्होंने हिन्दोस्तानी लोगों के बीच में बैठे गद्दारों तथा बर्तानवियों के साथ समझौता करने वालों को इनाम दिये और अपनी सत्ता में शामिल कर लिया।

1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के ज़रिये हिन्दोस्तान पर संप्रभुता बर्तानवी ताज को सौंपी गई। इसके साथ ही, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपी गई सत्ता की अवधि खत्म हुई। 1860 में बर्तानवी शासकों ने हिन्दोस्तान की दंड संहिता बनाई, जिसके अनुसार हिन्दोस्तान की उपनिवेशवादी लूट को वैध तथा उपनिवेशवादी शासन के प्रति किसी भी प्रकार के विरोध को एक अपराध करार दिया गया। बर्तानवियों ने उसी वर्ष सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट को पास किया। 1857 के ग़दर के अनुभव से बर्तानवी शासक तरह–तरह के जन संगठनों की ताक़त को समझ चुके थे और इसलिये उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसके

तहत हर जन संगठन को राज्य के साथ पंजीकृत होना पड़ता था। लिखित दस्तावेज़ की ताक़त और विद्रोह में उसकी प्रभावशाली भूमिका को समझते हुये, उपनिवेशवादी शासकों ने 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को पास किया था। इस नियामक कानून का उद्देश्य था हिन्दोस्तान में सभी प्रिंटिंग प्रेसों तथा यहां प्रकाशित होने वाले सभी अख़बारों, आदि पर सरकार की नियामक भूमिका को मजबूत करना। हथियार अधिनियम 1877 (आर्म्स एक्ट) को लोगों को निहत्था करने के लिये पास किया गया था। बर्तानवियों ने हिन्दोस्तान में इस्पात के उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसे हथियार बनाने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता था। हिन्दोस्तान में बर्तानवी शासन को बलपूर्वक स्थापित किया गया था और कठोर बल प्रयोग के ज़रिये बरकरार रखा जा रहा था। उस अवैध बार्तनवी शासन को वैधता देने के लिये एक विधि व्यवस्था की रचना की गई।

उपनिवेशवादी शासन की हालतों में पूंजीवाद की वृद्धि के साथ–साथ, एक तरफ सरमायदार वर्ग का विकास हुआ और दूसरी तरफ मज़दूर वर्ग का। मेहनतकश किसानों और कारीगरों का जनसमूह, जो पूंजीवाद के पूर्व के हिन्दोस्तानी समाज में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था, उसी के अंदर से इन दोनों वर्गों का विकास हुआ।

1857 के बाद, अगले 50 वर्षों की अवधि के दौरान, बर्तानवी हिन्दोस्तान के अंदर, जमींदार वर्ग के साथ–साथ, पूंजीपति वर्ग की ताक़त बढ़ती रही। उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शासन से उन दो वर्गों को बहुत फायदा हुआ। उपनिवेशवादी शासन की हालतों में पूंजीवाद की वृद्धि के साथ–साथ, एक तरफ सरमायदार वर्ग का विकास हुआ और दूसरी तरफ मज़दूर वर्ग का। मेहनतकश किसानों और कारीगरों का जनसमूह, जो पूंजीवाद के पूर्व के हिन्दोस्तानी समाज में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था, उसी के अंदर से इन दोनों वर्गों का विकास हुआ।

बर्तानवी राज ने पूंजीवादी औद्योगिक घरानों की अगुवाई में संपत्तिवान वर्गों को 1885 में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने को प्रोत्साहित किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त बर्तानवी अफसर, ऐलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के प्रस्ताव पर की गई थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने का उद्देश्य था एक सेफ्टी वाल्व बनाना – जिसके ज़रिये "हिन्दोस्तानियों की मान्य मांगों" के लिये एक मंच और साधन दिया जायेगा। साम्राज्यवाद के साथ समझौता करने वाले उस मंच की स्थापना के साथ–साथ, क्रांति चाहने वालों के खिलाफ़ वहशी बल प्रयोग किया गया।

इसके लिये तैयारी करते हुये, ह्यूम ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने "राष्ट्र के सबसे अधिक शिक्षित लोगों" – यानी अंग्रेजी में शिक्षित हिन्दोस्तानियों की पहली–पहली पीढ़ियों – से एक "वाजिब" राष्ट्रवादी पार्टी बनाने का आग्रह किया। इसका मुख्य मकसद था हिन्दोस्तानी लोगों को क्रांति के रास्ते को अपनाने से रोकना। ह्यूम ने 1857 के ग़दर के विस्तार और गहराई को खुद अपनी आंखों से देखा था। वे तत्कालीन संयुक्त प्रदेशों (यू.पी.) में इटावा के कलेक्टर हुआ करते थे और उन्हें ग़दरियों से अपनी जान बचाने के लिये भागकर आगरा जाना पड़ा। उसके जल्द बाद ही उन्होंने सुधारों का प्रस्ताव करना तथा बर्तानवी राज के साथ समझौता करने वालों को इनाम देना शुरू कर दिया।

इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरुआत से ही इस उद्देश्य पर वचनबद्ध थी कि एक दिन गोरे साहबों की जगह पर भूरे साहब आ जायेंगे और हिन्दोस्तान की भूमि और श्रम के शोषण और लूट को चलाने के लिये उसी दमनकारी राज्य सत्ता का इस्तेमाल करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस सरमायदार वर्ग के प्रयासों का प्रतिनिधि थी, जिसने यह फैसला किया था कि समझौतों के ज़रिये क्रमशः सुधार का रास्ता अपनाया जायेगा, क्रांतिकारी परिवर्तनों का रास्ता नहीं। क्रांति को किसी भी कीमत पर रोकना – यह हिन्दोस्तानी सरमायदारों के कार्यक्रम का मुख्य ध्येय था और यह बर्तानवी साम्राज्यवाद की ज़रूरतों के अनुकूल था।

बर्तानवी उपनिवेशवादी शासकों ने अपनी 'बांटो और राज करो' की रणनीति को बेरहमी से लागू किया।

बर्तानवी उपनिवेशवादी शासकों ने अपनी 'बांटो और राज करो' की रणनीति को बेरहमी से लागू किया, ताकि हिन्दोस्तान के लोग उस तरह फिर से एकजुट न हो पायें, जिस तरह वे 1857 में हुये थे। उन्होंने हिन्दू–मुसलमान "दंगे" आयोजित करने और फिर सांप्रदायिक सद्भावना बहाल करने के नाम पर हस्तक्षेप करने का तरीका विकसित किया। बर्तानवी राज की पुलिस, खुफिया एजेंसियों के साथ तालमेल बनाकर, लोगों की भावनाओं को भड़काने वाली अफवाहें फैलाती थी और बदले में कत्ल करने के लिये लोगों को उकसाती थी। पुलिस अफसरों को नियम पुस्तिकायें दी जाती थीं जिनमें बताया जाता था कि सांप्रदायिक झगड़ों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिये। यह साफ निर्देश दिया जाता था कि कुछ दिनों तक आग को जलने देना चाहिये और उसके बाद ही कानून और व्यवस्था बहाल करने के नाम पर हस्तक्षेप करना चाहिये।

"सहनशीलता" के नाम पर बर्तानवी शासकों ने उन प्रगति–विरोधी विचारों व पुराने दमनकारी रिवाज़ों के प्रसार को आयोजित किया, जिनके खिलाफ़ हिन्दोस्तान के लोग कई सादियों से संघर्ष कर रहे थे। "निष्पक्ष व्यवहार" के नाम पर उपनिवेशवादी राज्य ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया। यह सभी धर्मों के साथ तथाकथित निष्पक्ष व्यवहार करने और हिन्दुओं व मुसलमानों के बीच विवादों में तथाकथित निष्पक्ष मध्यस्थता करने की आड़ में किया गया। अयोध्या विवाद, जिसे स्थानीय हिन्दू और मुसलमान समुदायों के नेताओं ने आपस में शांतिपूर्वक हल कर लिया था, उसे बर्तानवी राज ने सोच–समझकर फिर से भड़काया।

जबकि मोहनदास गांधी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिन्दोस्तानी लोगों को बर्तानवी साम्राज्यवाद के हित में लड़ने और मरने के लिये फौज में भर्ती कर रहे थे, हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी ने बर्तानवी हिन्दोस्तानी सेना के सैनिकों को बुलावा दिया कि अपनी बंदूकों को उपनिवेशवादी राज की ओर मोड़ दो।

1915 के विद्रोह से यह स्पष्ट हो गया था कि बर्तानवी साम्राज्यवादी चाहे कितने ही क्रूर दमन और चतुर चालों का प्रयोग करें, परन्तु वे 1857 के ग़दर को हिन्दोस्तानी लोगों के ज़मीर में बार–बार गूंजने से नहीं रोक सकते थे। वे चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हिन्दोस्तानी लोगों के दिल से सामाजिक क्रांति के जज़बात को नहीं मिटा सकते थे।

> "तुम हमारी किताबों को जला सकते हो परन्तु हमारे दिमाग के अंदर चल रहे विचारों या जिन कविताओं को हम आपस में गाते हैं उन्हें नहीं जला सकते"।

1915 के ग़दर ने इसे सच साबित कर दिया। उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष पर कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की जकड़ को तोड़कर, 1915 के ग़दर ने हिन्दोस्तानी लोगों की राजनीतिक जागरुकता को बहुत आगे बढ़ा दिया, जो एक गुणात्मक छलांग थी।

ग़दर पार्टी का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के कार्यक्रम का बिल्कुल विपरीत था। जबकि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पूंजीपतियों और जमींदारों के अलग–अलग गुटों के तंग हितों को बढ़ावा दे रहे थे, ग़दर पार्टी मज़दूर वर्ग और किसानों – जो बहुसंख्या में थे – के सांझे हितों के लिये संघर्ष कर रही थी। जबकि मोहनदास गांधी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिन्दोस्तानी लोगों को बर्तानवी साम्राज्यवाद के हित में लड़ने और मरने के लिये फौज में भर्ती कर रहे थे, हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी ने बर्तानवी हिन्दोस्तानी सेना के सैनिकों को बुलावा दिया कि अपनी बंदूकों को उपनिवेशवादी राज की ओर मोड़ दो।

हालांकि 1915 के ग़दर में क्रांतिकारी ताक़तों की पराजय हुई, परन्तु वह ग़दर राज्य तथा हमारे देश के जीवन की हालतों पर अपनी छाप छोड़ गया। इसका एक उदाहरण डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्ज़ में देखा जा सकता है। यह विधान इसलिये बनाया गया ताकि राज्य के अधिकारी जिसे भी "देश के लिये खतरा" मानते हैं, उसे मनमानी के साथ मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड दे सकें और इसे वैध स्थापित किया जा सके। बीते 100 वर्षों में बार–बार ऐसे कानून बनाये गये हैं। आज़ाद हिन्दोस्तानी गणराज्य आज सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, अशांत इलाका अधिनियम और अवैध गतिविधि रोधक अधिनियम (यू.ए.पी.ए.) जैसे अनेक बर्बर कानूनों से लैस है।

1915 के ग़दर से जो सच्चाई सामने आयी, जिस विचार और नज़रिये से दुनियाभर में हजारों–हजारों हिन्दोस्तानी लोग एक लक्ष्य के लिए खुद को कुर्बान करने को प्रेरित हुए थे, वह समाज की सोच का अभिन्न हिस्सा बन गया। खास तौर पर, इस विचार का उद्‌गम हुआ और विकास होने लगा कि हिन्दोस्तानी समाज का, सम्पूर्ण नयी बुनियाद पर, पुनर्गठन करने की ज़रूरत है। बुनियाद नयी होनी चाहिए, उसे आर्थिक संबंधों, राजनीतिक संस्थानों और उन्हें उचित ठहराने वाले सिद्धांतों में, यानी जीवन के हर पहलू में, उपनिवेशवादी विरासत से पूरी तरह नाता तोड़ देना चाहिए। 1857 में मुक्त हिन्दोस्तान का जो नज़रिया सामने आया था, उसकी हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी के सिद्धांत और अभ्यास के विस्तार से और पुष्टि हुई और 20वीं सदी के प्रथम 25 वर्षों में वह यथार्थ रूप लेने लगा।

1857 में मुक्त हिन्दोस्तान का जो नज़रिया सामने आया था, उसकी हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी के सिद्धांत और अभ्यास के विस्तार से और पुष्टि हुई और 20वीं सदी के प्रथम 25 वर्षों में वह यथार्थ रूप लेने लगा।

ग़दरियों के सिद्धांत और कार्यक्रम के आरम्भ में यह माना गया कि हमारे धन को लूटा जा रहा है और मेहनत करने वाले लोग तड़प रहे हैं। इसे सामाजिक पुनरुत्पादन के मूल कानून का हनन माना गया। जो धन पैदा करते हैं, उनकी देखभाल की जानी चाहिए, उन्हें व्यवस्थित तरीके से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी ने समझ लिया कि बर्तानवी साम्राज्यवादियों की गैर और अवैध सत्ता ही हिन्दोस्तानी लोगों की सारी समस्याओं की जड़ है। उसने हिन्दोस्तान की देखभाल करने के लिए एक नयी सत्ता की ज़रूरत पेश की। उसने 1857 के ग़दर की मांग, कि लोगों को हिन्दोस्तान का मालिक बनना होगा, की हिफाज़त की तथा उसे और विकसित किया।

विदेश में निवासी हिन्दोस्तानी लोगों को क्रांति के लिए संगठित करने के दौरान, ग़दर पार्टी इस बात को समझ गयी कि जिन लोगों को हिन्दोस्तान का मालिक बनना होगा, उनमें पंजाबी, बंगाली, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, गुजराती, तमिल, ओड़िया तथा कई और लोग शामिल हैं, जो प्राचीन काल से इस धरती पर बसे हुए हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक स्थाई हिन्दोस्तान बनाने के लिए एकमात्र रास्ता है इनमें से सभी घटकों के अधिकारों का आदर करना और संप्रभु राज्यों का सहकारी संघ बनाना।

संयुक्त राज्य हिन्दोस्तान के गणराज्य संघ की अवधारणा को इस देश में किसी ने भी इससे पहले नहीं पेश किया था। यह अपने समय के लिए बहुत अग्रिम अवधारणा थी। यह ग़दर आन्दोलन के नेताओं के गहरे अंतर्राष्ट्रीयतावाद और दूसरे राज्यों व लोगों के अनुभवों से सबक सीखने में उनकी तत्परता को दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमरीका में सरमायदारी लोकतंत्र और संघवाद तथा उसके बाद, स्वेच्छा के आधार पर स्थापित सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में श्रमजीवी लोकतंत्र की प्रगति से ग़दर आन्दोलन बहुत प्रभावित हुआ था।

संयुक्त राज्य हिन्दोस्तान के गणराज्य संघ की अवधारणा को इस देश में किसी ने भी इससे पहले नहीं पेश किया था। यह अपने समय के लिए बहुत अग्रिम अवधारणा थी।

बीस के दशक में, हिन्दोस्तान के उपनिवेशवाद–विरोधी आन्दोलन के अंदर दो विपरीत धाराओं के बीच टक्कर चल रही थी। एक तरफ, हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की लाइन के अनुसार, उपनिवेशवाद और उसके संस्थानों व सिद्धांतों के प्रति बिना समझौता किये विरोध की धारा थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी व मुस्लिम लीग की अगुवाई में, हिन्दोस्तान के विशिष्ट तबकों द्वारा बर्तानवी राज के अन्दर अपनी जगह बनाने की कोशिश करने की धारा थी।

उस समय देश में अनेक राजनीतिक संगठन थे जो ग़दर पार्टी की लाइन का पालन करते थे। एक पुनः संगठित ग़दर पार्टी हुआ करती थी, जिसके महासचिव संतोख सिंह थे, जिसने 1922 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ संपर्क स्थापित करने की पहल ली थी। इसके अलावा, कीर्ति किसान पार्टी, रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया, नौजवान भारत सभा और हिन्दोस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन भी इस प्रकार के संगठन थे।

फरवरी 1919 में रौलेट एक्ट के पास होने पर, पूरे देश में बड़े–बड़े विरोध–प्रदर्शन होने लगे। रौलेट एक्ट (जिसका सरकारी नाम अराजक

और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था) का मकसद क्रांति के खतरे को मिटाना था। वर्ष 1919 में बर्तानवी राज ने हमारे लोगों पर सबसे भयानक अमानवीय हमलों में से एक आयोजित किया – 13 अप्रैल, 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग का भयानक हत्याकांड। एक जनसभा में इकट्ठे हुए लगभग 10,000 निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने 1600 बार गोलियां चलायीं, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए।

जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश के देशभक्त लोग लामबंध होने लगे। उपनिवेशवादियों के खिलाफ़ लोगों में बहुत ज्यादा नफ़रत थी। इन हालतों में गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की घोषणा की, जिसका घोषित उद्देश्य था "एक वर्ष में स्वराज" हासिल करना। पूरे देश में लाखों–लाखों लोग सड़कों पर उतरकर बर्तानवी सरकार का विरोध करने लगे, टैक्स और आसमान छूने वाले किराये देने से इनकार करने लगे। मज़दूरों और किसानों के सभी क्रांतिकारी संगठनों ने उस जन अभियान में सक्रियता से भाग लिया। परन्तु फरवरी 1922 में जब एक किसान दल ने, पुलिस की बेरहम गोलीबारी की वजह से अपने साथियों की मौत के जवाब में, तत्कालीन संयुक्त प्रदेश (यू.पी.) के चौरी–चौरा में एक पुलिस थाने पर आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों को मार डाला था, तो गाँधी ने अचानक पूरे आन्दोलन को वापस ले लिया था।

1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड
स्रोत : http://channel24.pk/breaking-news/2017/04/13/jalianwala-bagh-massacre/

उस जन अभियान के वापस लिए जाने से लोगों में बड़ी निराशा फैल गयी। बर्तानवी शासकों ने उस परिस्थिति का फायदा उठाकर, सांप्रदायिक तनाव फैलाया और सांप्रदायिक हिंसा भड़काई। 1923 में मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा, दोनों को पुनर्जीवित किया गया और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) की स्थापना की गयी। साइमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 1922 और 1927

हिन्दू-मुसलमान झगड़े की वजह – लार्ड इरविन को जवाब

(हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी के मासिक प्रकाशन द इंडिपेंडेंट हिन्दोस्तान, ग्रन्थ 4, अंक 4, अक्तूबर 1926 से लिया गया बी.एफ. भरुचा का लेख।)

वाइसराय लार्ड इरविन ने, चेम्सफोर्ड क्लब, शिमला में हिन्दू–मुसलमान झगड़ों के बारे में बात करते हुए, दोनों सम्प्रदायों से "आपसी मतभेदों को सुलझाने" की अपील की।

निहत्थे, आपस में बंटे हुए और भूखे लोगों के बीच में सरकार शांति और व्यवस्था क्यों नहीं बनाये रख सकती, जब सरकार के पास सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली सेवाएं उपलब्ध हैं?

सी.आई.डी. राष्ट्रीय नेताओं का पीछा कर सकती है और उनकी सारी गतिविधियों की रिपोर्ट दे सकती है; कम्युनिस्टों को सूंघकर निकाल सकती है और उन्हें जेल की सुरक्षा में भेज सकती है; नगर–निगम के उच्चतम कार्यकर्ताओं को सिर्फ शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर सकती है, आधी रात को उनके घरों की तलाशी ले सकती है और बेकसूरों को अनेक घंटों तक बंद रख सकती है! पर वही सी.आई.डी., वही खुफिया सेवा और स्कॉटलैंड यार्ड कलकत्ता और दूसरे अशांत इलाकों के "गुंडों" और दंगाइयों को नहीं ढूंढ निकाल सकती है!

इसके अलावा, हालांकि हिन्दोस्तानी रियासतों में ऊंची तनख्वाह वाली पुलिस या सेना या खुफिया सेवा नहीं है, परन्तु उनमें हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच दंगों के कोई खास हादसे नहीं हुए हैं। नहीं, उनमें लोगों के बीच संबंध ज्यादातर सामंजस्यपूर्ण रहे हैं। हैदराबाद में मुसलमान शासक और अधिकतम हिन्दू आबादी है; कश्मीर में अधिकतम मुसलमान आबादी और हिन्दू शासक है; मैसूर, बड़ोदा, ग्वालियर, जोधपुर, बीकानेर, इंदौर, इत्यादि जैसे बड़े–बड़े राज्य हैं, परन्तु उनमें कोई हिन्दू–मुसलमान झगड़े नहीं होते हैं। इसके ऊपर आपको क्या कहना है, लार्ड इरविन?

विलियम चार्ल्स हॉपकिन्सन (दांयी तरफ) बर्तानवी हुकूमत के लिये हिन्दोस्तानी आप्रवासियों पर जासूसी करता था। 1914 में राजनीतिक कार्यकर्ता मेवा सिंह ने उसकी हत्या की थी।

स्रोत : https://www.sikh24.com/2017/05/15/100-years-of-surveillance-infiltration-of-sikhs-by-white-indian-governments/#.WSFwd2bhW2d

के बीच, देश में 112 बड़े "सांप्रदायिक दंगे" हुए। हालांकि सरकारी रिकार्ड में उन्हें दंगे बताया गया था, पर वास्तव में उपनिवेशवादी राज्य ने उन्हें आयोजित किया था और स्थिति बहाल करने के नाम पर, बढ़ते सब–तरफा राजकीय दमन को जायज़ ठहराया था। ग़दरियों ने इस बात का पर्दाफाश करने के लिए लगातार प्रचार किया, कि सांप्रदायिक झगड़ों को भड़काने के लिए उपनिवेशवादी राज्य ही जिम्मेदार था।

1920 के दशक के दौरान, मज़दूर वर्ग आंदोलन में कई महत्वपूर्ण प्रगतियां हुईं। 1890 से ही बम्बई के कपड़ा मिलों में मज़दूरों की प्रथम हड़तालें शुरू हो चुकी थीं। अगले कुछ दशकों में भारतीय रेल के मज़दूरों ने विभिन्न क्षेत्रों और देश के अलग–अलग इलाकों में ट्रेड यूनियनों के विस्तार और वृद्धि में अनुकरणीय भूमिका निभाई। जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया था, तब उसके विरोध में बम्बई के मज़दूरों ने हड़ताल की, जो देश में प्रथम राजनीतिक आम हड़ताल थी। 1920 में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) की स्थापना हुई।

ग़दरियों ने इस बात का पर्दाफाश करने के लिए लगातार प्रचार किया, कि सांप्रदायिक झगड़ों को भड़काने के लिए उपनिवेशवादी राज्य ही जिम्मेदार था।

हिन्दोस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन के प्रमुख नेता

स्रोत : http://www.frontiertimes.in/2016/02/24/h-r-a-h-s-r-a/

समाजवादी सोवियत संघ, जिसमें मजदूरों और किसानों की सत्ता बनी, उसके जीते–जागते अनुभव ने बीसवीं सदी के दौरान हिन्दोस्तानी क्रांतिकारियों पर भारी प्रभाव डाला। हिन्दोस्तानी क्रांति को अगुवाई देने के लिये एक एकजुट कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित करने के अनेक प्रयास किये गये। परन्तु उस समय राजनीतिक हालात बहुत ही प्रतिकूल थे। उपनिवेशवादी राज्य सभी संदिग्ध ग़दरियों और "बोल्शेविकों" को भारी संख्या में गिरफ्तार और प्रताड़ित कर रहा था। इसकी वजह से, उपनिवेशवादी शासन से मुक्ति हासिल करने तथा समाजवादी हिन्दोस्तान का निर्माण करने के लक्ष्य के लिये अनेक संगठन अलग–अलग, स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। उनमें से कुछ संगठन हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की लाइन पर डटे रहे, कुछ कांग्रेस पार्टी के समझौतावादी रास्ते पर उसकी पूंछ बनकर चले, जबकि कुछ और उन दोनों के बीच में झूलते रहे।

हिन्दोस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन का एक घोषणापत्र,[1] जिस पर रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया की केन्द्रीय परिषद के अध्यक्ष, "विजय कुमार" (शचीन्द्र नाथ शान्याल का गुप्त नाम) का हस्ताक्षर था, 1 जनवरी, 1925 को प्रकाशित किया गया। उस घोषणापत्र में उस समय हिन्दोस्तानी क्रांति के राजनीतिक उद्देश्य और कार्यक्रम का सटीक बयान था। उस घोषणापत्र ने ग़दर पार्टी की लाइन की बहादुरी से हिफाज़त की और उसे विकसित किया।

हिन्दोस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के 1925 के घोषणापत्र में यह ऐलान किया गया था कि :

> "राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी पार्टी का तत्कालीन उद्देश्य एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के ज़रिये संयुक्त राज्य हिन्दोस्तान के गणराज्य संघ की स्थापना करना है। इस गणराज्य के अंतिम संविधान की रचना और घोषणा ऐसे समय पर की जायेगी जब हिन्दोस्तान के प्रतिनिधियों के पास अपने फैसले को लागू करने की ताक़त होगी। परन्तु इस गणराज्य के मूल असूल होंगे सर्वव्यापक मताधिकार सुनिश्चित करना और उन सभी व्यवस्थाओं को खत्म करना जिनके चलते इंसान द्वारा इंसान का शोषण मुमकिन होता है। मिसाल के तौर पर, रेलवे और यातायात व संचार के दूसरे साधनों, खदानों और इस्पात व जहाजों के विनिर्माण जैसे दूसरे बड़े–बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा।

"इस गणराज्य में मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार होगा, अगर वे ऐसा करना चाहें। इसके बिना, लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जायेगा। इस गणराज्य में विधायिकी के पास कार्यकारिणी पर नियंत्रण करने का अधिकार होगा और ज़रूरत होने पर, उन्हें अपने पदों से हटाने का अधिकार भी होगा।

"क्रांतिकारी पार्टी राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है, यानी कि उसका अंतिम उद्देश्य है अलग–अलग राष्ट्रों के विविध हितों का आदर करके तथा उन्हें सुनिश्चित करके दुनिया में सामंजस्य लाना। उसका उद्देश्य है अलग–अलग राष्ट्रों और राज्यों के बीच स्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग स्थापित करना। इस मामले में वह हमारे गौरवपूर्ण अतीत के महान हिन्दोस्तानी ऋषियों और वर्तमान युग में बोल्शेविक रूस का अनुसरण करती है। हिन्दोस्तानी क्रांतिकारियों के लिये मानव जाति का भला कोई निरर्थक और खोखला शब्द नहीं है। परन्तु जो कमजोर, कायर और शक्तिहीन है, वह न तो अपना भला कर सकता है और न ही मानव जाति का।

"सांप्रदायिकता के सवाल पर, क्रांतिकारी पार्टी का विचार यह है कि अलग–अलग संप्रदायों के लोग जिन–जिन अधिकारों की मांग करते हैं, उन्हें दिया जाना चाहिये, अगर वे दूसरे संप्रदायों के हितों से न टकराते हों और उन्हें देने से, निकट भविष्य में अलग–अलग संप्रदायों का हार्दिक और जीवंत संघ स्थापित हो जाये।

"आर्थिक और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में पार्टी यथासंभव विस्तृत पैमाने पर सहयोग की भावना का पोषण करेगी। पार्टी के विचार में, निजी और असंगठित कारोबारों के बजाय, सहकारी संघ बेहतर होंगे।"

राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी पार्टी का तत्कालीन उद्देश्य एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के ज़रिये संयुक्त राज्य हिन्दोस्तान के गणराज्य संघ की स्थापना करना है।

क्रांतिकारी पार्टी के रणनैतिक लक्ष्य को पेश करने के बाद, हिन्दोस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के घोषणा पत्र में उसकी कार्यनीति और संघर्ष के तौर–तरीकों का मार्गदर्शन करने वाली नीति और असूलों का विवरण दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि :

"यह क्रांतिकारी पार्टी जब–जब संभव हो, सहकार्य की नीति अपनाती है और जब ज़रूरी हो तो कांग्रेस पार्टी व उसके विभिन्न मित्रों से अलग होने की नीति भी अपनाती है। परन्तु यह पार्टी

> इस देश में संविधान के दायरे के अंदर किये गये सभी आंदोलनों को हास्यस्पद और नफ़रत के योग्य मानती है। यह कहना कि हिन्दोस्तान का उद्धार संविधानीय तरीकों से हो सकता है, बहुत बड़ा मजाक होगा जब कोई संविधान है ही नहीं।"

आगे चलकर, घोषणापत्र में यह समझाया गया है कि बर्तानवी उपनिवेशवादी व्यवस्था और उसके कानूनों से पूरी तरह नाता तोड़ना क्यों आवश्यक है। यह कहा गया है कि :

> "संगठित तरीके से मानव जाति की सेवा करना हमारा आदर्श है। यह आदर्श हिन्दोस्तान में तब तक हासिल नहीं हो सकेगा जब तक यह बर्तानवी हिन्दोस्तान रहेगा। इस आदर्श को हासिल करने के लिये हिन्दोस्तान का अलग और आज़ाद अस्तित्व होना होगा। यह आज़ादी शांतिपूर्ण और संवैधानिक तौर–तरीकों से कभी नहीं हासिल होगी। यह बात तो बच्चा–बच्चा समझता है कि बर्तानवी हिन्दोस्तान में लागू होने वाले कानूनों को हिन्दोस्तानियों ने नहीं बनाया है और न ही उन कानूनों पर हिन्दोस्तानियों का कोई नियंत्रण है। बर्तानवी हिन्दोस्तान को बर्तानवी कानूनों और संविधान के ज़रिये संयुक्त राज्य हिन्दोस्तानी गणराज्य संघ में कभी नहीं बदला जा सकता है।"

शासकों के अपमानजनक प्रचार के जवाब में, घोषणापत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि :

> "हिन्दोस्तानी क्रांतिकारी न तो आतंकवादी हैं और न ही अराजकतावादी। इस देश में अराजकता फैलाना उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा है, अतः उन्हें अराजकतावादी नहीं कहा जा सकता है। आतंकवाद उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा है और उन्हें आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। वे यह नहीं मानते कि सिर्फ आतंकवाद से ही आज़ादी मिल सकती है और वे आतंक फैलाने के इरादे से आतंकवाद नहीं चाहते हैं, हालांकि कभी–कभी प्रतिरोध के बहुत ही प्रभावशाली तरीके बतौर वे इस तरीके को अपना सकते हैं।"

रूसी क्रांति और सोवियत संघ में समाजवाद की प्रगति के सबकों के आधार पर, हिन्दोस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के घोषणापत्र में हिन्दोस्तान की मुक्ति के सिद्धांत और कार्यक्रम को आगे और विकसित करने के बारे में विचार पेश किये गये हैं। यह समझते हुये कि भूमि और अन्य संसाधनों को

निजी जायदाद में बदल देना ही बर्तानवी उपनिवेशवादी लूट की व्यवस्था की जड़ है, हिन्दोस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन ने ऐलान किया कि, "पार्टी के विचार में, निजी और असंगठित कारोबारों के बजाय, सहकारी संघ बेहतर होंगे।" उसने ऐलान किया कि उसका उद्देश्य है "उन सभी व्यवस्थाओं को खत्म करना जिनके चलते इंसान द्वारा इंसान का शोषण मुमकिन होता है", जिसका मतलब है पूंजीवाद को खत्म करके उसकी जगह पर समाजवाद का निर्माण करना। उसने "रेलवे और यातायात व संचार के दूसरे साधनों, खदानों और इस्पात व जहाजों के विनिर्माण जैसे दूसरे बड़े–बड़े उद्योगों का" राष्ट्रीयकरण करने का आह्वान किया।

राजनीतिक प्रक्रिया के सवाल पर, हिन्दोस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के घोषणापत्र में उस समय की सबसे उन्नत सोच को पेश किया गया था, जिसमें इन शर्तों को आवश्यक माना गया कि : (1) सर्वव्यापक मताधिकार हो, (2) निर्वाचित विधायिकी, कार्यकारिणी ताक़त को जवाबदेह ठहरा सके और उन्हें कभी भी वापस बुला सके, और (3) मतदाता निर्वाचित प्रतिनिधियों को कभी भी वापस बुला सकें।

रूसी क्रांति और सोवियत संघ में समाजवाद की प्रगति के सबकों के आधार पर, हिन्दोस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के घोषणापत्र में हिन्दोस्तान की मुक्ति के सिद्धांत और कार्यक्रम को आगे और विकसित करने के बारे में विचार पेश किये गये हैं।

18वीं और 19वीं सदियों में यूरोप में जो क्रांतियां हुईं, उनके ज़रिये सरमायदारी लोकतांत्रिक राज्य स्थापित हुये, जिनमें सिर्फ जायदाद वाले पुरुषों के लिये ही राजनीतिक अधिकारों की समानता मान्य थी। इन विशेष अधिकार वाले, अल्पसंख्यक नागरिकों ने खुद को जायदाद वाले वर्गों के प्रतिनिधि बतौर चुनने और चुने जाने तथा निर्धारित अवधि के लिये शासन करने का समान अधिकार दिया। उस प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र की राजनीतिक प्रक्रिया में व्यापक जनसमुदाय शामिल नहीं था। व्यापक जनसमुदाय को सिर्फ उत्पादक ताक़त ही माना जाता था, जिसे अज्ञानता में रखा जाना चाहिये।

1871 में पैरिस कम्यून एक गुणात्मक रूप से उन्नत, श्रमजीवी लोकतंत्र स्थापित करने का प्रथम प्रयास था, जिसमें सभी मेहनतकश लोगों को शामिल किया गया। वह बहुत थोड़े समय के लिये ही कायम रहा। परन्तु उससे राजनीतिक सोच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। पैरिस कम्यून ने यह असूल स्थापित किया कि सभी सरकारी सेवकों को मज़दूरों के समान वेतन मिलने चाहियें, कि न्यायाधीशों का निर्वाचन होना चाहिये और अगर वे सही ढंग से काम नहीं करते तो मतदाता उन्हें वापस बुला सकते हैं।

8 मार्च, 1917 को पेत्रोग्राद, रूस में जनसमुदाय के विद्रोह की शुरुआत

स्रोत : http://www.history.com/this-day-in-history/february-revolution-begins-in-russia

संयुक्त राज्य अमरीका में अश्वेत लोगों की दासता को खत्म करने के लिये गृहयुद्ध तथा सर्वव्यापक मताधिकार के लिये मेहनतकश पुरुषों और महिलाओं के संघर्ष की वजह से सभी नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देने के विषय में कई महत्वपूर्ण विकास हुये। हथियार रखने और धारण करने का अधिकार दिया गया, न्यायाधीशों का निर्वाचन करने तथा समान सामाजिक स्तर की ज्यूरी द्वारा मुकदमे की सुनवाई करने के अधिकार दिये गये। 1903 में लॉस एंजेलिस के नगर–निगम में वापस बुलाने का अधिकार शुरू किया गया और उसके बाद 1908 में मिशिगन तथा ओरेगन की राज्य सरकारों ने भी उसे अपनाया। अमरीका के सरमायदार, राज्य और स्थानीय स्तर पर यह अधिकार दे सकते थे परन्तु संघ के स्तर पर नहीं।

सोवियत राज्य के जन्म के साथ, राजनीतिक सिद्धांत और अभ्यास का और विकास हुआ। सोवियत राज्य मज़दूर वर्ग की राजनीतिक सत्ता थी, जिसमें रूस के ज़ारशाही शासन से मुक्त होकर मज़दूर वर्ग ने मेहनतकश किसानों और सभी दबे–कुचले राष्ट्रों व लोगों के साथ गठबंधन बनाकर राज किया।

सोवियत राज्य के जन्म के साथ, राजनीतिक सिद्धांत और अभ्यास का और विकास हुआ। सोवियत राज्य मज़दूर वर्ग की राजनीतिक सत्ता थी, जिसमें रूस के ज़ारशाही शासन से मुक्त होकर मज़दूर वर्ग ने मेहनतकश किसानों और सभी दबे–कुचले राष्ट्रों व लोगों के साथ गठबंधन बनाकर राज किया। सोवियत संघ वास्तव में अलग–अलग राष्ट्रों व लोगों का स्वेच्छा पर आधारित संघ था। सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान में सभी घटक गणराज्यों के राष्ट्रीय अधिकारों को मान्यता दी गई, जिनमें संघ के सभी गणराज्यों के लिये आत्म–निर्धारण के अधिकार और संघ से अलग होने के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई।

सभी स्तरों के निर्वाचित वैधानिक निकायों में, स्थानीय निकायों से लेकर राष्ट्रीय गणराज्यों और सर्वोच्च सोवियत तक, वापस बुलाने के अधिकार को लागू करना सोवियत सत्ता के प्रथम राजनीतिक कदमों में एक था। हिन्दोस्तानी क्रांतिकारियों के 1925 के घोषणापत्र में इस अधिकार पर जोर दिया गया है। हिन्दोस्तानी क्रांतिकारियों ने ऐलान किया कि इस अधिकार के बिना, "लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जायेगा"। वर्तमान परिस्थिति उनकी सूझबूझ को सही साबित करती है, क्योंकि आज हिन्दोस्तान, अमरीका, ब्रिटेन और दूसरे पूंजीवादी देशों में बड़े सरमायदारों के हितों के प्रतिनिधियों ने वास्तव में लोकतंत्र को एक मजाक बना कर रखा है।

The United States of India

INDIA'S MARTYRS

The Fourteenth Anniversary of the Hindustan Gadar Party

यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया पत्रिका के नवंबर 1926 के अंक का पहला पन्ना

स्रोत : South Asian American Digital Achieves, http://www.saada.org/item/20111212-536

नवंबर 1926 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया पत्रिका के ग्रंथ 4, अंक 5 के पहले पन्ने पर ग़दर पार्टी के जन्म दिवस के अवसर पर एक लेख छपा। उस लेख के प्रारंभिक शब्द इस प्रकार थे, "हिन्दोस्तान की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में संपूर्ण परिवर्तन लाने के उद्देश्य से तेरह वर्ष पहले, हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की स्थापना हुई थी।" आगे, उस लेख में कहा गया कि, "आज़ादी हासिल नहीं हुई है; परन्तु आज़ादी की इच्छा हर हिन्दोस्तानी के दिल में ज्वलंत है। हमारे सदस्यों को फांसी पर चढ़ाया गया है, नज़रबंद और कैद किया गया है। सिर्फ पंजाब में ही, 1915–16 में हमारे 400 सदस्यों को फांसी दी गई है और 5000 को अलग–अलग समय के लिये जेल भेजा गया है।" लेख की समाप्ति इन शब्दों के साथ होती है, "अपने लक्ष्य पर पूरे भरोसे के साथ, हमारी उपलब्धियों पर आत्मविश्वास और आज़ाद लोगों के फैसले पर भरोसे के साथ हम, हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी के सदस्य, अपनी चौदहवीं सालगिरह के अवसर पर सभी का अभिवादन करते हैं!"

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी विदेश में निवासी हिन्दोस्तानियों के बीच सक्रियता से काम करती रही। उपलब्ध दस्तावेज़ दिखाते हैं कि 1928 में पार्टी के संविधान में कुछ परिवर्तन किया गया और कार्यों की सूची को अपनाया गया। उस वर्ष, कैलिफोर्निया में निवासी 6000 हिन्दोस्तानियों में से 1500 पार्टी के सदस्य थे। परन्तु उस समय हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी बर्तानवी हिन्दोस्तान के इलाके के अंदर संघर्ष कर रहे क्रांतिकारियों के साथ कोई संगठनात्मक संबंध नहीं बनाये रख सकी।

1920 के दशक के अंत में एक बहुत ही धमाकेदार घटना हुई। उस समय पूरे देश में मज़दूर वर्ग और सभी क्रांतिकारी पार्टियों व दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। उस आतंक की मुहिम के बीच में हिन्दोस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन ने फैसला किया कि उसकी सशस्त्र शाखा एक बहादुर सांकेतिक कार्यवाही करेगी जो यथास्थिति को झकझोर देगी, लोगों को जगा देगी और उन्हें क्रांति के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ायेगी। केन्द्रीय विधानसभा के सत्र के दौरान, दो खाली सीटों पर दो बम गिराये गये और कई पर्चे फेंके गये। यह काम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया और उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया।

उन दोनों आरोपियों [2] ने एक बयान लिखा, जिसे अदालत में पढ़ा गया। उसमें उन्होंने कहा कि :

> "... हमने असेंबली कक्ष में बम इसलिये फेंका ताकि हम उन सभी की ओर से अपना प्रतिरोध प्रकट कर सकें, जिनके पास अपने दिल के दुख को प्रकट करने का और कोई तरीका नहीं बचा है। हमारा एकमात्र उद्देश्य था **'बहरों को सुनाना'** और जनता के दुख–दर्द की अनदेखी करने वालों को समय पर चेतावनी देना। और भी बहुत सारे लोगों में हमारी ही तरह की तीव्र भावनायें हैं और हिन्दोस्तानी जनसमुदाय के समुद्र, जो इस समय शांत दिखता है, के नीचे से एक भयानक तूफान आने वाला है। हमने सिर्फ **'खतरे का संदेश'** दिया है, उन सब को चेतावनी देने के लिये जो आगे आने वाले घोर खतरों की परवाह किये बिना, तेज़ी से आगे बढ़े जा रहे हैं। हमने सिर्फ आदर्शवादी अहिंसा के युग के अंत का संदेश दिया है, क्योंकि नई पीढ़ी में अहिंसा के रास्ते की निरर्थकता के बारे में कोई शक नहीं रह गया है।"

उस आतंक की मुहिम के बीच में हिन्दोस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन ने फैसला किया कि उसकी सशस्त्र शाखा एक बहादुर सांकेतिक कार्यवाही करेगी जो यथास्थिति को झकझोर देगी।

बर्तानवी उपनिवेशवादी कानून के अनुसार, असेंबली में बम फेंकने के लिये उन दो आरोपियों को आतंकवादी करार दिया गया, हालांकि उन्होंने किसी के खून की एक भी बूंद नहीं गिरायी थी।

"आदर्शवादी अहिंसा", इन शब्दों का इस्तेमाल करने का कारण समझाते हुये, भगत सिंह और उनके सहयोगी आरोपियों ने कहा कि :

> "जब हमलावर तरीके से बल प्रयोग किया जाता है तो उसे **'हिंसा'** कहा जाता है और वह नैतिक तौर पर अनुचित होता है, परन्तु जब किसी जायज़ उद्देश्य को हासिल करने के लिये बल प्रयोग

किया जाता है तो वह नैतिक तौर पर उचित होता है। किसी भी हालत में बल प्रयोग न करना – यह आदर्शवाद है। इस देश में जो नया आंदोलन शुरू हुआ है, जिस सूर्योदय की हमने चेतावनी दी है, वह उसी आदर्श से प्रेरित है जो गुरु गोविन्द सिंह, शिवाजी, कमाल पाशा और रिज़ा खान, वाशिंगटन और गैरीबाल्डी, लाफायेट और लेनिन का आदर्श था।"

जब भगत सिंह से यह सवाल पूछा गया कि क्रांति शब्द का क्या अर्थ है, तो उन्होंने यह जवाब दिया :

"क्रांति का अर्थ यह नहीं कि खूनी हिंसा ज़रूरी हो या व्यक्तिगत बदले की भावना हो। क्रांति का अर्थ बम और पिस्तौल का प्रयोग नहीं है। **क्रांति** से हमारा मतलब है कि वर्तमान व्यवस्था, जो खुलेआम नाइंसाफी पर आधारित है, बदलनी चाहिये। उत्पादनकर्ता या श्रमिक, समाज के सबसे आवश्यक तत्व हैं परन्तु शोषकों द्वारा उनके श्रम के फल को लूटा जाता है और उन्हें अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जाता है। किसान, जो सबके लिये अनाज पैदा करता है, अपने परिवार सहित भूखा मरता है; बुनकर जो दुनिया के बाज़ार में कपड़ों की सप्लाई करता है, उसके पास अपने व अपने बच्चों के तन को ढंकने के लिये कपड़े नहीं होते हैं; राजमिस्त्री, लोहार और बढ़ई, जो शानदार महल खड़े करते हैं, झुग्गी–बस्तियों में जानवरों की ज़िंदगी जीते हैं। पूंजीपति और शोषक, जो समाज के परजीवी हैं, अपनी मनमर्जी के अनुसार दसों–लाखों रुपयों की फजूलखर्ची करते हैं। इन भयानक विषमताओं और जबरदस्ती से बनाए रखी गई असमानता से अराजकता फैलना अनिवार्य है। यह परिस्थिति ज्यादा देर तक नहीं चल सकती और यह स्पष्ट है कि मौज–मस्ती से चलने वाली वर्तमान सामाजिक व्यवस्था एक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठी है।

क्रांति से हमारा मतलब है कि वर्तमान व्यवस्था, जो खुलेआम नाइंसाफी पर आधारित है, बदलनी चाहिये।

"इस पूरी सभ्यता के ढांचे को अगर समय पर न बचाया जाये तो यह गिर जायेगा। अतः एक मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है और जो इस बात को समझते हैं, उनका यह फर्ज़ बनता है कि समाज को समाजवादी आधार पर पुनर्गठित करें। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा और इंसान द्वारा इंसान तथा किसी एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्रों के शोषण को खत्म नहीं किया जायेगा, तब तक मानवजाति को तड़पाने वाली पीड़ाओं और तबाही को नहीं रोका जा सकेगा। जंग

को खत्म करने और विश्वव्यापी शांति का युग स्थापित करने की सारी बातें बेहद कपटी हैं।

"**क्रांति** से हमारा मतलब है कि अंत में ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाये जिसमें इस प्रकार की तबाही का खतरा न हो, और जिसमें श्रमजीवी वर्ग की संप्रभुता को मान्यता प्राप्त हो और एक विश्वव्यापी संघ हो जो मानवजाति को पूंजीवाद की जकड़ व साम्राज्यवादी जंग के दुख–दर्द से बचायेगा।

"यह हमारा आदर्श है और इस आदर्श से प्ररित होकर हमने उचित तरीके से और काफी जोर से चेतावनी दी है। परन्तु अगर हमारी चेतावनी को नहीं सुना जाता है और वर्तमान सरकार की व्यवस्था स्वाभाविक तौर पर उभरती हुई ताक़तों के रास्ते में एक रुकावट बनती रहती है, तो एक घमासान संघर्ष होगा, जिसमें सभी रुकावटों को उखाड़कर फेंक दिया जायेगा और श्रमजीवी वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा, जो क्रांति के आदर्श को पूरा करने का रास्ता खोलेगा।"

उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के अंदर, साम्राज्यवाद के साथ समझौता किये बिना उसका विरोध करने की लाइन, और साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंदर अपनी जगह बनाने की लाइन, इन दोनों के बीच में संघर्ष 1930 व 1940 के दशकों के दौरान भी चलता रहा।

कांग्रेस पार्टी के अधिकारिक इतिहासकार, पट्टाभी सीतारामैया ने कहा है कि, "यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि उस समय पूरे हिन्दोस्तान में भगत सिंह का नाम उतना ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय था, जितना कि गांधी का नाम था।" बर्तानवी सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक गुप्त रिपोर्ट, हिन्दोस्तान में आतंकवाद (1917–1936), में भगत सिंह के बारे में यह कहा गया कि "कुछ समय के लिये, देश के सबसे महान राजनीतिक व्यक्ति का स्थान भगत सिंह ने ले लिया था और गांधी को उस स्थान से हटा दिया था।"

उपनिवेशवाद–विरोधी आंदोलन के अंदर, साम्राज्यवाद के साथ समझौता किये बिना उसका विरोध करने की लाइन, और साम्राज्यवादी व्यवस्था के अंदर अपनी जगह बनाने की लाइन, इन दोनों के बीच में संघर्ष 1930 व 1940 के दशकों के दौरान भी चलता रहा। हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की शाखायें विदेश में निवासी हिन्दोस्तानियों के बीच में सक्रियता से काम करती रहीं, जैसा कि बाबा बूझा सिंह और लातिन अमरीका में अन्य कार्यकर्ताओं के काम से स्पष्ट होता है। कीर्ति किसान पार्टी,

जिसमें सोहन सिंह भकना और अन्य ग़दरियों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, वह सभी हिन्दोस्तानी कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एकता के लिये, 1942 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विलीन हो गई।

गिरफ्तार किये गये गए सोहन सिंह भकना अन्य ग़दरियों के साथ, 1938 में अमृतसर स्टेशन पर

स्रोत : https://americanturban.com/2013/09/19/picture-of-the-day-sohan-singh-bhakna/

हिन्दोस्तान की आज़ादी के आंदोलन और खासतौर पर कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास के इतिहास का अध्ययन करते हुये, हम यह देखते हैं कि हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की लाइन ने व्यापक जन समुदाय और सभी राजनीतिक ताक़तों पर गहरा असर डाला था। हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी और उसके भावी संगठनों का यह असूलन रवैया, कि हिन्दोस्तान के लोगों को अपना भविष्य खुद निर्धारित करना होगा, इसका उपनिवेशवाद–विरोधी आंदोलन पर अहम प्रभाव पड़ा। मिसाल के तौर पर, हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की लाइन का विस्तृत प्रभाव उस राजनीतिक एकता में देखा जा सकता है, जो 1930 के दशक में इस असूल के आधार पर बनी थी, कि आज़ाद हिन्दोस्तान के संविधान को लिखने का काम सिर्फ सर्वव्यापी मताधिकार के आधार पर, हिन्दोस्तानियों द्वारा चुने गये एक वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्ववादी निकाय के हाथों में ही सौंपा जा सकता है।

1930 के दशक में न सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व अन्य क्रांतिकारी पार्टियां, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी ग़दरियों के रवैये का समर्थन करती थी। अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई कांग्रेस पार्टी की बैठक के सत्र में, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे, यह प्रस्ताव पास किया गया कि :

> "कांग्रेस पार्टी हिन्दोस्तान में एक सच्चे मायने में लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करना चाहती है, जिसमें राजनीतिक सत्ता पूरी जनता के हाथ में होगी और सरकार जनता के नियंत्रण में होगी। ऐसा राज्य सिर्फ एक ऐसी संविधान सभा के ज़रिये ही स्थापित हो सकता है, जिस संविधान सभा को बालिग मताधिकार से चुना गया हो और जिसे देश के संविधान पर अंतिम फैसला लेने की ताक़त हो।"

कांग्रेस पार्टी और कई अन्य राजनीतिक दलों ने बाद में हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी के इस रवैये के साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस पार्टी और उन दलों ने संविधान सभा में भाग लिया, जबकि उस संविधान सभा का बालिग मताधिकार के आधार पर निर्वाचन नहीं हुआ था और उसे

हिन्दोस्तानी जनसमुदाय का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में बर्तानवी साम्राज्यवाद ने बड़ी चतुर कार्यनीति अपनाई, जिसकी वजह से सभी देशभक्त ताक़तों की उस राजनीतिक मांग के साथ विश्वासघात किया गया।

1945 के वर्ष में नाज़ी जर्मनी की अंतिम पराजय हुई और उसके बाद जापानी सैन्यवाद की भी पराजय हुई। इसमें समाजवादी सोवियत संघ की निर्णायक भूमिका थी। कम्युनिस्टों की अगुवाई में, यूरोप और एशिया के अनेक देशों के लोगों ने फासीवाद और सैन्यवाद की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी हासिल की। उपनिवेशवादी शासन को खत्म करने के लिये सारी दुनिया में और हिन्दोस्तान में भी जन संघर्ष तेज़ होने लगे।

कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ अलग से समझौता करके तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित करते हुए और उसे समझौतों से बाहर रखकर, बर्तानवी साम्राज्यवादियों ने 1947 में एक सौदा किया।

उस समय सारी दुनिया में क्रांति की लहर तेज़ी से बह रही थी। दुनिया के पूंजीपतियों ने जिन घिनावने फासीवादियों और सैन्यवादियों को आगे किया था, उनसे मानव समाज के मूल्यों और मानव सभ्यता की रक्षा करने के लिये, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन बड़ी दिलेरी के साथ संघर्ष कर रहा था। इन फासीवादियों व सैन्यवादियों में न सिर्फ हिटलर, मुसोलिनी और टोजो, बल्कि स्पेन के फ्रैंकों, पुर्तगाल के सालाज़ार, यूनान के फासी राजशाह, चीन के चियांग–काई–शेक, इत्यादि भी शामिल थे। फासीवाद और सैन्यवाद के खिलाफ़ संघर्ष दुनिया के अनेक भागों में चलता रहा और उसका निशाना मुख्यतः अमरीकी साम्राज्यवाद था, जिसने हिटलर के पतन के बाद फासीवाद का जामा खुद धारण कर लिया था।

उपनिवेशवादी शासन और विदेशी कब्ज़े से आज़ाद हुए अनेक देश सोवियत संघ की अगुवाई में तेज़ गति से विस्तृत होने वाले समाजवादी मोर्चे में जुड़ने का रास्ता अपना रहे थे। इन हालतों में बर्तानवी साम्राज्यवाद ने बड़ी चतुराई से और तेज़ गति से ऐसा कदम उठाया, ताकि हिन्दोस्तान को क्रांतिकारी रास्ते पर आगे बढ़ने से रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिन्दोस्तान विश्व साम्राज्यवाद के मोर्चे के अंदर ही रहेगा।

कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ अलग से समझौता करके तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित करते हुए और उसे समझौतों से बाहर रखकर, बर्तानवी साम्राज्यवादियों ने 1947 में एक सौदा किया।

उस सौदे का मकसद था हिन्दोस्तान को सांप्रदायिक आधार पर बांटना और देश के अंदर उन वर्गों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण करना, जिन्हें बर्तानवी साम्राज्यवादियों ने खुद ही पाला–पोसा व तैयार किया था। बर्तानवी संसद के फैसले के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण होने के साथ, उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष का अंत हुआ। इस सत्ता के हस्तांतरण के साथ–साथ, बर्तानवी उपनिवेशवादी हिन्दोस्तान के इलाके को सांप्रदायिक आधार पर, दो राज्यों, हिन्दोस्तान और पाकिस्तान, में बांट दिया गया। इसकी वजह से विशाल पैमाने पर खून–खराबा हुआ और मानव इतिहास में सबसे बड़े पैमाने पर लोगों का बलपूर्वक विस्थापन किया गया।

संप्रभुता को लंदन से लाकर, नई दिल्ली और कराची के दो शासक दलों के हाथों में सौंपा गया। यह कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के लिये एक जीत थी, क्योंकि उनका मकसद था सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक आज़ादी हासिल करना। परन्तु मेहनतकश जनसमुदाय के साथ यह एक अहम विश्वासघात था। हमारे क्रांतिकारी शहीदों के, उपनिवेशवादी विरासत से पूरी तरह नाता तोड़ने के लक्ष्य को पांव तले रौंद दिया गया। सत्ता का हस्तांतरण इस रूप से किया गया कि उपनिवेशवादी संस्थानों और दमन व लूट की व्यवस्था को बरकरार रखा गया, सिर्फ शासक उपनिवेशवादी नहीं रहे। इस हस्तांतरण के दौरान, हिन्दोस्तान और पाकिस्तान के राज्यों के बीच में स्थाई दुश्मनी और तनाव के बीज बोने के इरादे से, हिन्दोस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा को मनमाने तरीके से निर्धारित किया गया तथा जल्दबाज़ी में लागू किया गया।

सीमित और सांप्रदायिक मताधिकार के आधार पर चुने गये सदस्यों वाली एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता हावी थे। उस संविधान सभा ने पूरी जनता के नाम से, हिन्दोस्तान का संविधान अपनाया।

सीमित और सांप्रदायिक मताधिकार के आधार पर चुने गये सदस्यों वाली एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता हावी थे। उस संविधान सभा ने पूरी जनता के नाम से, हिन्दोस्तान का संविधान अपनाया। यह ऐसे समय पर किया गया जब पूरा देश सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा था और कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकतम सदस्य जेल में बंद थे।

1950 में अपनाया गया संविधान मुख्यतः 1935 में बर्तानवी संसद द्वारा पास किये गये भारत सरकार अधिनियम की प्रतिलिपि था। बड़े

पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यह फैसला किया कि उसी दमनकारी सांप्रदायिक राज्य, उसकी राजनीतिक प्रक्रिया व "कानून के शासन" को बरकरार रखा जायेगा, जिसे बर्तानवी पूंजीपति वर्ग ने, हमारी भूमि व श्रम का शोषण और लूट करने के लिये, हमारे मेहनतकश जन समुदाय को बांटकर हमारे ऊपर शासन करने के लिये, स्थापित किया था।

आज़ाद हिन्दोस्तान जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि ग़दर पार्टी और उसके भावी संगठनों का वह मूल्यांकन सही था कि उपनिवेशवादी संस्थानों और सिद्धांतों को जड़ से उखाड़ फेंके बिना, हिन्दोस्तानी समाज की प्रगति नहीं हो सकती है।

यह हैरानी की बात है कि आज़ाद हिन्दोस्तान के वर्तमान शासक, बड़ी हेकड़बाज़ी के साथ, अन्याय और समाज की खतरनाक दिशा के खिलाफ़ प्रतिरोध करने वालों को "राष्ट्र–विरोधी" घोषित कर देते हैं। सच्चाई को फिर से तोड़ा–मरोड़ा जा रहा है, ताकि क्रांति को रोका जा सके और दिन–ब–दिन असहनीय होती जा रही यथास्थिति को बरकरार रखा जा सके।

आज़ाद हिन्दोस्तान जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि ग़दर पार्टी और उसके भावी संगठनों का वह मूल्यांकन सही था कि उपनिवेशवादी संस्थानों और सिद्धांतों को जड़ से उखाड़ फेंके बिना, हिन्दोस्तानी समाज की प्रगति नहीं हो सकती है।

सारांश में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी और हिन्दोस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन, जिसे बाद में हिन्दोस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन का नाम दिया गया था, समेत उसके अनेक भावी संगठनों ने हिन्दोस्तान की मुक्ति के सिद्धांत में अहम योगदान किये थे। हिन्दोस्तानी समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन में रुचि रखने वाले सभी लोगों को उस सिद्धांत और कार्यक्रम पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिये, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी और वर्तमान राज्य का प्रबंधन करने के लिये आपस में स्पर्धा करने वाली दूसरी पार्टियों के सिद्धांत और कार्यक्रम का बिल्कुल विपरीत है।

संदर्भ

[1] http://shahidbhagatsingh.org/index.asp?link=revolutionary.
[2] https://archive.org/stream/MartyrdomOfShaheedBhagatSingh/MartyrdomOfShaheedBhagatSingh_djvu.txt

अध्याय 5

ग़दर जारी है

"हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कुछ मुट्ठीभर लोग, चाहे विदेशी हों या देशी या दोनों का गठबंधन, हमारी जनता के श्रम और संसाधनों का शोषण करते रहेंगे। हमें इस रास्ते से कोई नहीं हटा सकेगा।"

ग़दरियों के ये अमर शब्द आज भी सही हैं।

ग़दर जारी है

कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि देशी और विदेशी पूंजीपति आज भी हमारे लोगों के श्रम और संसाधनों का शोषण और लूट करते जा रहे हैं। बर्तानवी सरमायदारों के उपनिवेशवादी राज की जगह पर, आज एक उतना ही हेकड़बाज अभिजात वर्ग राज कर रहा है, जो यह मानता है कि मेहनतकश बहुसंख्या को जानवरों की तरह जीना चाहिए जबकि उसे खुद को दुनिया में ऊंचे–ऊंचे स्थानों पर पहुंचना चाहिए।

मानव समाज आज भी साम्राज्यवाद और श्रमजीवी क्रांति से युग से गुजर रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद से हम ऐसी अवधि से गुजर रहे हैं जब क्रांति की लहर पीछे हट रही है। प्रतिक्रांति की ताक़तें हमलावर हैं। मेहनतकश जनसमुदाय अपनी रोज़ी–रोटी और अधिकारों पर हमलों के खिलाफ़ प्रतिदिन कठिन संघर्ष कर रहा है। इन रक्षात्मक संघर्षों के दौरान, हम कम्युनिस्ट उन हालतों को तैयार कर रहे हैं जिनमें मज़दूर वर्ग और लोग सही समय पर अपना क्रांतिकारी हमलावर संघर्ष शुरू कर सकेंगे।

उपनिवेशवादी शासन को समाप्त हुए लगभग 70 वर्ष बीत गए हैं, परन्तु हिन्दोस्तान के लोगों की मेहनतकश बहुसंख्या आज भी अतिशोषण, लूट, राजकीय आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, जातिवादी भेदभाव और महिलाओं पर अत्याचार से मुक्त नहीं है।

संकटग्रस्त पूंजीवादी दुनिया के अन्दर हिन्दोस्तान को एक उभरती हुयी आर्थिक और सैनिक ताक़त माना जाता है। हिन्दोस्तान एक ऐसा राज्य है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों के विशिष्ट गिरोह में शामिल होने का दावा कर रहा है। परन्तु इसके साथ–साथ, हिन्दोस्तान में अत्यंत गरीब और बीमार लोगों की संख्या सबसे अधिक है। उपनिवेशवाद के बाद के विकास का यह अंतर्विरोधी चरित्र इस बात का परिणाम है कि उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष के अंत में साम्राज्यवादियों ने सत्ता का ऐसा हस्तांतरण आयोजित किया कि राजनीतिक आज़ादी तो मिली परंतु सामाजिक क्रांति नहीं हुई।

उपनिवेशवादी शासन को समाप्त हुए लगभग 70 वर्ष बीत गए हैं, परन्तु हिन्दोस्तान के लोगों की मेहनतकश बहुसंख्या आज भी अतिशोषण, लूट, राजकीय आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, जातिवादी भेदभाव और महिलाओं पर अत्याचार से मुक्त नहीं है। विदेशों में निवासी हिन्दोस्तानी लोग भी नस्लीय भेदभाव और शारीरिक हमलों से मुक्त नहीं हैं।

पूंजीवादी विकास ने बड़ी–बड़ी छलांगें लगाई गयी हैं। बर्तानवी साम्राज्यवादियों द्वारा स्थापित और उनके बाद, कांग्रेस पार्टी तथा

हिन्दोस्तानी सरमायदार वर्ग की अन्य पार्टियों द्वारा बरकरार रखी गयी व और संवारी गयी उपनिवेशवादी शैली की राज्य सत्ता ने पूंजीवाद के इस विकास में पूरी मदद की है।

हमारे समाज के एक ध्रुव पर सरमायदार वर्ग है, जो सामाजिक उत्पादन के साधनों का मालिक है, जिसकी पूरी या मुख्य आमदनी (मुनाफ़ा, ब्याज और किराया) उसकी निजी जायदाद से ही है। उस वर्ग की अगुवाई करने वाले लगभग 150 इज़ारेदार पूंजीवादी घराने हैं, जिसमें उस वर्ग का सबसे अमीर और प्रभावशाली भाग शामिल है। खनन, उद्योग, परिवहन, व्यापार और दूसरे क्षेत्रों में उत्पादन के अधिकतम साधनों पर उसका नियंत्रण है। देश के वित्त संसाधनों पर भी उसका नियंत्रण है, जो विशाल बैंकों, गैर–बैंकिंग संस्थानों व बीमा कंपनियों में संकेंद्रित हैं। वे केन्द्रीय राज्य की मशीनरी पर नियंत्रण करते हैं और देश की दिशा को निर्धारित करते हैं।

बर्तानवी सरमायदारों के उपनिवेशवादी राज की जगह पर, आज एक उतना ही हेकड़बाज अभिजात वर्ग राज कर रहा है, जो यह मानता है कि मेहनतकश बहुसंख्या को जानवरों की तरह जीना चाहिए जबकि उसे खुद को दुनिया में ऊंचे–ऊंचे स्थानों पर पहुंचना चाहिए।

दूसरे ध्रुव पर मज़दूर वर्ग है, जिसकी रोज़ी–रोटी का साधन पूरी तरह या मुख्यतः उसके वेतन की आमदनी ही है। तेज़ गति से हो रहे पूंजीवादी विकास की वजह से, मज़दूर वर्ग की संख्या बढ़ती जा रही है और उसके गठन में बहुत परिवर्तन हो रहा है। 1947 में वेतन की आमदनी पर निर्भर परिवार पूरी आबादी के एक चौथाई या शायद एक पांचवें हिस्से से भी कम थे। परन्तु आज वे देश की पूरी आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। मज़दूर वर्ग का बढ़ता हिस्सा शिक्षित है और उत्पादन की कम्प्यूटर समर्थित आधुनिक प्रक्रियाओं में शामिल है। महिलाएं मज़दूर वर्ग का एक अहम और लगातार बढ़ता भाग हैं।

पूंजीपति वर्ग और मज़दूर वर्ग के बीच, विभिन्न मध्यवर्ती तबके हैं – जो अपने छोटे उत्पादन के साधनों के साथ काम करते हैं। अधिकतम किसान, कारीगर, दुकानदार, निजी प्रैक्टिस करने वाले डाक्टर और कई अन्य पेशेवर इस प्रकार के "स्व–रोज़गार" वाले लोग हैं। साल दर साल, इन मध्यवर्ती तबकों में से किसान और अन्य लोग अपनी जायदाद को खो बैठते हैं, नौकरी की तलाश करते हुए मज़दूर वर्ग की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं और वेतन की आमदनी पर गुजारा करने लगते हैं। किसानों की बहुत बड़ी संख्या ज़मीन के छोटे–छोटे पट्टों

पर टिकी हुई है परन्तु परिवार के गुजारे के लिए अधिक से अधिक हद तक वेतन की आमदनी पर निर्भर है। वे अर्ध–श्रमजीवी हैं, जो अपनी श्रम शक्ति बेचने पर पूरी तरह निर्भर होते जा रहे हैं। श्रमजीवी वर्ग की संख्या बढ़ती जा रही है जबकि मध्यवर्ती तबकों, उत्पादन के छोटे साधन वालों की संख्या घटती जा रही है। 1947 में किसान आबादी की बहुसंख्या हुआ करते थे, परन्तु अब मज़दूर वर्ग की संख्या सबसे अधिक है और किसानों की दूसरे नंबर पर। हर इलाके में और पूरे देश में, मज़दूर और किसान मिलकर आबादी की बहुसंख्या में हैं।

राज्य हमेशा मुट्ठीभर शोषकों द्वारा धन संचय को बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप करता है। यह अपरिवर्तनशील रहा है, बेशक उस हस्तक्षेप के तौर–तरीके नेहरू की अवधि से लेकर वर्तमान उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के युग तक, बदलते रहे हैं। केन्द्रीय राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करता है कि इज़ारेदार पूंजीपति घरानों के मुनाफ़े हमेशा अधिकतम बने रहें।

श्रमजीवी वर्ग की संख्या बढ़ती जा रही है जबकि मध्यवर्ती तबकों, उत्पादन के छोटे साधन वालों की संख्या घटती जा रही है। ... हर इलाके में और पूरे देश में, मज़दूर और किसान मिलकर आबादी की बहुसंख्या में हैं।

इस अवधि में हिदोस्तानी इज़ारेदार पूंजीपति पूंजी के प्रमुख निर्यातक बतौर उभर कर आगे आये हैं। वे विदेश में अपने बाज़ारों और निवेशों का विस्तार कर रहे हैं और दूसरे देशों के इज़ारेदार पूंजीपतियों के साथ स्पर्धा कर रहे हैं। कई अगुवा हिन्दोस्तानी इज़ारेदार समूह देश के अन्दर निवेश की गयी पूंजी से कम और विदेश में निवेश की गयी पूंजी से ज्यादा मुनाफ़े कमा रहे हैं।

हिन्दोस्तानी इज़ारेदार पूंजीपति हिन्दोस्तान में निवेश की गयी विदेशी पूंजी को एक ऐसा कारक मानते हैं, जिसके सहारे वे और तेज़ गति से आगे बढ़ सकते हैं तथा दुनिया में विस्तार कर सकते हैं। संयुक्त कारोबारों और प्रमुख क्षेत्रों में सहकार्य के ज़रिये उन्होंने हमारी भूमि और श्रम के शोषण और लूट को खूब बढ़ा दिया है। खनन, बागान, विनिर्माण, परिवहन और संचार जैसे हिन्दोस्तानी अर्थव्यवस्था के "संगठित" क्षेत्रों में देशी और विदेशी पूंजीपतियों द्वारा मिलकर बेशी मूल्य निचोड़ने की गति या श्रम के शोषण की औसतन गति 1990–91 में 89 प्रतिशत से बढ़कर 2007–08 में 175 प्रतिशत हो गयी है।[1] इसका यह मतलब है कि 2007–08 में, मज़दूरों को वेतन बतौर दिए गए प्रत्येक 100 रुपए

के लिए, पूंजीवादी मालिकों ने अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी क्षेत्र में बेशी मूल्य के रूप में 175 रुपए कमाए।

देश के कई भागों में किसानों की दुखभरी दशा असहनीय हो गयी है। पूंजीवादी वैश्विक बाज़ार के साथ तेज़ी से संघटन, कृषि उत्पादों पर आयात शुल्कों का घटाया जाना, बीजों, उर्वरक सप्लाई और फसलों की खरीदारी में विशाल पूंजीवादी कंपनियों के विस्तार और वर्चस्व के साथ–साथ, अनाज की सरकारी खरीदारी और आबंटन की मौजूदा व्यवस्था का विनाश – इन कारणों से किसानों की असुरक्षा और उनके कर्ज़ बोझ बहुत बढ़ गये हैं। इसके अलावा, इज़ारेदार पूंजीवादी कम्पनियां विशेष निर्यात क्षेत्रों (सेज़) और औद्योगिक पार्कों के लिए सबसे लुभावनी भूमि हड़प लेने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से, किसानों की असुरक्षा और बढ़ गयी है।

निजीकरण और विनिवेश के झंडे तले, हिन्दोस्तानी और विदेशी इज़ारेदार कंपनियों ने अनेक रणनैतिक महत्व वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक संसाधनों को हड़प लिया है।

निजीकरण और विनिवेश के झंडे तले, हिन्दोस्तानी और विदेशी इज़ारेदार कंपनियों ने उद्योग, ऊर्जा, परिवहन और संचार के अनेक रणनैतिक महत्व वाले ढांचागत क्षेत्रों में सार्वजनिक संसाधनों को हड़प लिया है। अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र, जिसे बीते दिनों में इज़ारेदार पूंजीपतियों के हित के लिए जनता के पैसे से बनाया गया था, को व्यवस्थित तरीके से नष्ट किया जा रहा है ताकि इज़ारेदार कम्पनियां इन संसाधनों पर सीधा नियंत्रण कर सकें और इनका पूरा–पूरा दोहन कर सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पानी, जन परिवहन, बिजली वितरण, आदि जैसी आवश्यक जन सेवाएं, जिनके लिए लोग उम्मीद करते हैं कि राज्य उनको मुफ्त या मुनासिब दाम पर मुहैया करायेगा, उन्हें अब इज़ारेदार पूंजीपतियों के लिए खोल दिया जा रहा है, ताकि वे लोगों को लूटकर अधिकतम मुनाफ़े बना सकें। पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) के नाम से, केंद्र और राज्य सरकारें निजी निवेशकों के अधिकतम मुनाफ़े सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ सौदे कर रही हैं, जबकि सभी दायित्वों और खतरों को जनता पर लाद दिया जा रहा है।

बर्तानवी उपनिवेशवादी राज्य ने "सर्वोपरि अधिग्रहण अधिकार" की अवधारणा को लागू करके, हिन्दोस्तान के विभिन्न लोगों के वनों और दूसरी सांझी संपत्ति व संसाधनों का अधिग्रहण किया और उसे वैध स्थापित किया

था। वर्तमान हिन्दोस्तानी राज्य ने उन्हीं उपनिवेशवादी कानूनों को बरकरार रखा है तथा उन्हें और सुधारा है ताकि "जनहित" के नाम पर किसानों और आदिवासियों की भूमि को हड़पने और उसे निजी कंपनियों को सौंपने की पूरी प्रक्रिया को कानूनी समर्थन दिया जा सके। संसद में कई कानून बनाये गये हैं जिनके ज़रिये पूंजीवादी कंपनियों के लिये, लोगों को उनके परंपरागत निवास स्थानों से विस्थापित करके, उनकी भूमि के नीचे पड़ी खनिज दौलत को लूटना और आसान किया जा सके।

शासक वर्ग हिन्दोस्तान के संवर्धन के बारे में जितनी डींग मारता है, उतनी ही यह सच्चाई बार–बार सामने आती है कि हिन्दोस्तानी समाज में तब तक कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती जब तक वर्तमान हालातों से पीड़ित मज़दूरों, किसानों और सभी लोगों द्वारा सामाजिक क्रांति को कामयाब न किया जाये।

शासक वर्ग हिन्दोस्तान के संवर्धन के बारे में जितनी डींग मारता है, उतनी ही यह सच्चाई बार–बार सामने आती है कि हिन्दोस्तानी समाज में तब तक कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती जब तक वर्तमान हालातों से पीड़ित मज़दूरों, किसानों और सभी लोगों द्वारा सामाजिक क्रांति को कामयाब न किया जाये।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी और उसके समर्थकों ने सामाजिक क्रांति, हमारे श्रम और संसाधनों के शोषण और लूट को खत्म करने वाली क्रांति, की ज़रूरत को समझा था। उन्होंने एक संपूर्णतया नए राज्य की स्थापना की ज़रूरत को समझा था, जो सभी की खुशहाली और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये वचनबद्ध होगा। उनका यह मानना था कि बर्तानवी शासकों को बाहर भगाने के बाद, हिन्दोस्तानी लोग अपना संविधान बनायेंगे और उसके आधार पर उस राज्य की स्थापना करेंगे। हिन्दोस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के 1925 के घोषणा पत्र में यह उद्देश्य बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। 1930 के दशक में उस उद्देश्य से अधिकतम हिन्दोस्तानी लोग बहुत आकर्षित हुये थे। परन्तु 1947 में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने उस उद्देश्य के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने जनता की पीठ के पीछे एक सौदा करके, देश के सांप्रदायिक विभाजन और अपने हाथों में सत्ता के हस्तांतरण को अपनी सहमति दे दी।

आज वही लोग, जिन्होंने उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष के अधिकतम योद्धाओं के जज़बातों के साथ विश्वासघात किया था, वे अपनी अमिट लालच और साम्राज्यवादी इरादों को पूरा करने के लिये, हमारे देश को

एक ख़तरनाक, राष्ट्र–विरोधी रास्ते पर खींच रहे हैं। इसके साथ–साथ, उस ख़तरनाक रास्ते पर चलने से इंकार करने वालों को राष्ट्र–विरोधी करार दिया जा रहा है। सच को झूठ और झूठ को सच बताया जा रहा है।

बर्तानवी उपनिवेशवादी शासन से आज़ाद होने के लिये एकजुट हुये विभिन्न राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और लोगों को संगठित करके एक हिन्दोस्तान की रचना करने की परियोजना, यानी राष्ट्र–निर्माण की असली परियोजना 18वीं सदी में ही शुरू हो गई थी। यह परियोजना उन्हीं दिनों में शुरू हो गई थी जब हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बर्तानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ़ विभिन्न रजवाड़ों को एकजुट करने की कोशिश की थी। 1857 के महान ग़दर के समय तक इसका राजनीतिक उद्देश्य बहुत स्पष्ट रूप से घोषित हुआ। "हम हैं इसके मालिक – हिन्दोस्तान हमारा!", इस नारे से इसके राजनीतिक उद्देश्य को घोषित किया गया। हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी और हिन्दोस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन समेत उनके समर्थकों ने इस राजनीतिक लाइन को और विकसित किया तथा एक आधुनिक लोकतांत्रिक हिन्दोस्तान के लक्ष्य को आगे रखा था, जो स्वेच्छा पर आधारित विभिन्न राज्यों का संघ होगा और चंद रईसों द्वारा मेहनतकश वर्गों व पूरे–पूरे राष्ट्रों के शोषण को खत्म करके, सभी की खुशहाली और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की एक खास विशेषता यह थी कि उसके काम का दार्शनिक नज़रिया अपने पूर्वजों के अनुभव से सीखने और आधुनिक मज़दूर वर्ग व सारी दुनिया के क्रांतिकारी आंदोलनों के अनुभवों से सीखने का नज़रिया था। यह आज भी सभी क्रांतिकारियों के लिए एक अहम सबक है।

हमारे लोगों के पास राज्य चलाने के तौर–तरीकों, राजनीतिक सत्ता के रूपों, अधिकार और फर्ज़ की धारणाओं आदि के 5,000 से अधिक वर्षों के अनुभव हैं। वेदों के समय से, रामायण और महाभारत की अवधि से, अर्थशास्त्र व आईन–ए–अकबरी से हमें बहुत अनुभव मिलता है। हमारे लोगों ने बौद्ध, जैनी, चार्वाक और अनेक प्रकार के दर्शनशास्त्रों

हमारे लोगों के पास राज्य चलाने के तौर–तरीकों, राजनीतिक सत्ता के रूपों, अधिकार और फर्ज़ की धारणाओं आदि के 5,000 से अधिक वर्षों के अनुभव हैं। वेदों के समय से, रामायण और महाभारत की अवधि से, अर्थशास्त्र व आईन–ए–अकबरी से हमें बहुत अनुभव मिलता है।

व विचारधाराओं को जन्म दिया है। हमने भक्ति और सूफी आंदोलनों जैसे, समान अधिकारों व ज्ञान के लिए कई सदियों तक लगातार चलने वाले आंदोलनों का अनुभव किया है। हम हिन्दोस्तानी कम्युनिस्टों को आज के संदर्भ में, इन विचारों की विरासत को आलोचनात्मक नज़र से समझना होगा। हमें इस विरासत से उन सभी चीजों को अपनाना होगा जो आज की समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त हैं और उन सभी चीजों को ठुकराना होगा जिनका समय बीत चुका है।

हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल से राजनीतिक सत्ता के बारे में सिद्धांत पेश किये, जो राजा और प्रजा के आपस के संबंध की परिभाषा और विस्तारपूर्वक वर्णन से देखा जा सकता है। प्रजा शब्द का मतलब है वह जिसने राजा को जन्म दिया। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे इतिहास में एक ऐसी अवधि हुआ करती थी, जिसमें लोगों को अपना राजा चुनने का अधिकार होता था। अगर राजा सभी की सुख और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य को नहीं निभाता था तो लोगों को उसे वापस बुलाने का अधिकार भी होता था। राजा को चुनने के लोगों के अधिकार को उसके बाद की अवधि में नकारा गया और राजा खुद संप्रभु बन गया। संप्रभु शासक की अवधारणा को हिन्दोस्तानी राजनीतिक सिद्धांत से बाहर निकालना होगा, ताकि उसे आधुनिक बनाया जा सके। लोगों को खुद अपने ऊपर शासन करना होगा।

2002 में मुंबई में हुए वर्ल्ड सोशल फोरम में भाग लेते हुए ग़दर पार्टी के कार्यकर्ता

हमें हिन्दोस्तानी राजनीतिक सिद्धांत (राजधर्म) को आधुनिक बनाना होगा, यानी उसे आधुनिक हालतों के अनुकूल बनाना होगा। आधुनिक हालतों की विशेषता यह है कि सामूहिक मानवीय श्रमशक्ति का इस्तेमाल करके बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है और सभी क्षेत्रों में समूह की ही प्रधानता है। आर्थिक संगठन और राजनीतिक सत्ता का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत को इन हालतों के अनुकूल बनाना होगा। लोगों को संप्रभुता दिलाने वाले नये राज्य की स्थापना करने के लिये, पूंजीवादी शोषण और साम्राज्यवादी लूट को खत्म करने के लिये, पूंजीवाद से पूर्व के संबंधों के अवशेषों और संपूर्ण उपनिवेशवादी विरासत को मिटाने के लिये, हमें अपने रास्ते को रोशन करने वाले एक आधुनिक हिन्दोस्तानी क्रांतिकारी सिद्धांत को विकसित करना होगा। जाति और वर्ग के भेदभावों तथा साम्राज्यवाद की जंजीरों समेत, हमारे समाज को अपनी जकड़ में पकड़कर रखने वाली सभी ताकतों से उसे मुक्त कराने तथा विश्वस्तर पर शांति और सामाजिक प्रगति की ताक़त बतौर, सभ्यता के महामार्ग पर हिन्दोस्तान के आगे बढ़ने का यह सिद्धांत है।

हमें इस विरासत से उन सभी चीजों को अपनाना होगा जो आज की समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त हैं और उन सभी चीजों को ठुकराना होगा जिनका समय बीत चुका है।

मार्क्स और एंगेल्स ने समझाया था कि हर युग के दर्शनशास्त्र में पूर्वजों से प्राप्त कुछ खास विचार होते हैं, जिनसे उस दर्शनशास्त्र की शुरुआत होती है। मार्क्स और एंगेल्स ने अपने द्वंद्ववादी भौतिकवाद के दर्शनशास्त्र को स्थापित करने के लिए, हेगेल व अन्य जर्मन दार्शनिकों के दर्शनशास्त्र को आलोचनात्मक नज़र से समझा था। उन्होंने जर्मन दर्शनशास्त्र के विचारों को ठुकराया नहीं। इस प्रक्रिया के बारे में एंगेल्स ने कहा कि :

> "हेगेल को पूरी तरह ठुकराया नहीं गया। इसके विपरीत, हमने उनके क्रांतिकारी पक्ष ... उनके द्वंद्ववादी तरीकों से शुरुआत की। परंतु हेगलवादी रूप में उस द्वंद्ववादी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था"।[2]

मार्क्स और एंगेल्स ने हेगेल से द्वंद्ववादी तरीका अपनाया, यानी वह अपनाया जो मूल्यवान था, जबकि उन्होंने हेगेल के दर्शनशास्त्र को उसकी आदर्शवादी बुनियाद से अलग किया।

हमें यूरोकेन्द्रीयवाद और मार्क्सवाद को एक हठधर्म के रूप में पेश करने के दबावों से सतर्क रहना होगा क्योंकि ये धाराएं हम हिन्दोस्तानी लोगों को अपने अतीत से विरासत में पायी हर चीज को पिछड़ा और "सामंती" मानकर ठुकराना तथा हर समस्या को हल करने के लिए विदेशी नमूनों की ओर देखना सिखाती है।

यूरोकेन्द्रीयवाद इस पूर्वधारणा पर आधारित है कि आधुनिक समाज के लिये उपयोगी सभी ज्ञान पश्चिमी यूरोप से आता है और उसका स्रोत यूनानी दर्शनशास्त्र में है। यूरोकेन्द्रीयवाद में, हिन्दोस्तान, फारस, चीन व एशिया के अन्य लोगों तथा दुनिया के अन्य भागों के लोगों की सभ्यताओं के अनुभवों और विचारों को दरकिनार किया जाता है। अगर हिन्दोस्तानी व्यक्ति का दिमाग अपनी विरासत को ठुकरा देता है और यूरोकेन्द्रीय दृष्टिकोण का शिकार बन जाता है, तो वह हिन्दोस्तान की मुक्ति के सिद्धांत और कार्यक्रम में योगदान देने के काबिल नहीं रह जाता है।

यूरोकेन्द्रीयवाद इस पूर्वधारणा पर आधारित है कि आधुनिक समाज के लिये उपयोगी सभी ज्ञान पश्चिमी यूरोप से आता है और उसका स्रोत यूनानी दर्शनशास्त्र में है।

अगर सभी हिन्दोस्तानी विचारों को दरकिनार कर दिया जाये तो एक किस्म का यांत्रिक भौतिकवाद बचा रहेगा, जो एक आयातित विचार होगा और जो हिन्दोस्तानी क्रांतिकारी सिद्धांत के विकास को रोकेगा। इस प्रकार के नज़रिये से हिन्दोस्तानी मार्क्सवादी का एक ऐसा व्यंग्य चित्र बनेगा, जो अपनी ही विरासत के सभी पहलुओं को पूरी तरह से ठुकराता है और हिन्दोस्तानी लोगों के दिमागों पर यूरोकेन्द्रीयवाद के प्रभुत्व को और बढ़ाता है।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी को यह श्रेय जाता है कि उसने आज से एक सदी पहले, यूरोकेन्द्रीयवाद को ठुकरा दिया और अपनी क्रांतिकारी विरासत पर गंभीरता से ध्यान दिया। ग़दरियों ने 1857 के क्रांतिकारी विद्रोह के अनुभव का अध्ययन किया। उन्होंने पंजाबी, उर्दू और हिन्दी भाषाओं में प्रकाशित, अपने साप्ताहिक अख़बार ग़दर के ज़रिये लगातार प्रचार करने का कौशल विकसित किया। ऐसे समय पर जब परिवहन और संचार के माध्यम बहुत महंगे और धीमी गति के हुआ करते थे, ग़दर पत्र सारी दुनिया में दस लाख से अधिक लोगों के पास जाता था। यह वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक है और हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की राजनीतिक लाइन के प्रति दुनिया के लोगों के अत्यधिक आकर्षण तथा उसकी संगठनात्मक क्षमता को दर्शाता है।

लोगों को अपनी राजनीति के इर्द–गिर्द लामबंध करने में हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की इस शानदार सफलता के कारण ये थे कि उनके कार्यक्रम की विषयवस्तु बहुत स्पष्ट थी और वे मेहनतकश लोगों की तमाम बोलियों में, सरल तथा काव्यरूप में अपने संदेशों को बहुत ही सफलतापूर्वक दूर–दूर तक पहुंचा पाते थे। उन्होंने अपनी विरासत को ठुकराया नहीं बल्कि अपनी विरासत के सर्वोत्तम तत्वों को आगे लाये।

हमारे देश में अंग्रेजी भाषा व तौर–तरीकों में प्रशिक्षित बुद्धिजीवियों का एक पूरा तबका बनाया गया है, जो बर्तानवी संसदीय परंपराओं, अमरीकी व्यवहारवाद और यूरोपीय सोशल डेमोक्रेसी की पूजा करता है और अपने अतीत की हर चीज़ को बुरा समझता है। इस तबके के सदस्य नेहरू द्वारा पेश की गई इस सोच को मानते हैं, जिसके अनुसार 1857 का ग़दर बर्तानवी उपनिवेशवादी शासन द्वारा लायी गयी आधुनिकता की "सामंती प्रतिक्रिया" थी। इस प्रकार का यूरोकेन्द्रीय और पूर्वाग्रही दृष्टिकोण, जो नेहरू द्वारा लिखित भारत की खोज में पाया जाता है, आज खुद को मार्क्सवादी कहलाने वालों समेत अधिकतम अंग्रेजी में प्रशिक्षित हिन्दोस्तानी बुद्धिजीवियों की सोच को प्रभावित करता रहा है।

कम्युनिस्ट आंदोलन के अनेक अगुवा चिंतकों ने क्रांतिकारियों से आह्वान किया है कि हिन्दोस्तानी विचारों की विरासत को पिछड़ा और सामंती मानकर उसे ठुकरायें। इससे बहुत हानि हुई है। इसी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जैसे संगठन हिन्दोस्तानी विरासत के रक्षक होने का दावा कर सकते हैं। हम कम्युनिस्टों को उनकी इस ढोंगबाजी का पर्दाफाश करना होगा। हमें लोगों को समझाना होगा कि जब भाजपा की सरकार अपने ही देश में, अपनी ही भूमि, खदानों और उत्पादन के साधनों को हड़पने के लिये विदेशी कंपनियों को बुलाती है, जब वह हिन्दोस्तानी और विदेशी निजी कंपनियों को जनता की संपत्ति बेच देती है, तो वह राजधर्म के मूल सिद्धांतों का घोर हनन कर रही है। हमें यह स्पष्ट करना होगा कि जब भाजपा हमारे इतिहास को उग्र–राष्ट्रवादी और फूटवादी तरीके से पेश करती है, तो वह बर्तानवी उपनिवेशवादियों द्वारा फैलाये गए सभी झूठों और गलत विचारों को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है।

कम्युनिस्ट आंदोलन के अनेक अगुवा चिंतकों ने क्रांतिकारियों से आह्वान किया है कि हिन्दोस्तानी विचारों की विरासत को पिछड़ा और सामंती मानकर उसे ठुकरायें। इससे बहुत हानि हुई है।

जब हम संपूर्ण कम्युनिस्ट आंदोलन के सामूहिक अनुभव का मूल्यांकन करते हैं, तो हम यह देखते हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभ में हमारे क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित किये गये ठोस निष्कर्षों से विभिन्न कम्युनिस्ट नेता और पार्टियां हट गईं, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट आंदोलन को बहुत नुकसान हुआ। मिसाल के तौर पर, हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी और उससे पैदा होने वाले संगठनों ने इस बात को साफ–साफ समझा था कि बर्तानवी शासकों ने हमारे देश में चुनावों के ज़रिये प्रतिनिधित्व की जिस राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया को शुरू किया था, वह मेहनतकश जनसमुदाय को एक अंधी गली में ले जाकर फंसाने का ही तरीका था। वे समझ गये थे कि इस राजनीतिक प्रक्रिया से हमारे उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। परन्तु संसदीय प्रणाली से, क्रमशः सुधारों के ज़रिये तथाकथित समाजवाद का निर्माण करने की कांग्रेस पार्टी की लाइन के साथ समझौता करने वालों ने क्रांतिकारियों के उस ठोस निष्कर्ष को नकार दिया।

किसी खास पार्टी या गठबंधन को निशाना बनाकर, अगले चुनाव में किसी अन्य पार्टी को जिताना – यही समाधान बताया जाता है।

हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गई कि पंजाब हिन्दू महासभा और आल इंडिया मुस्लिम लीग जैसे खुलेआम सांप्रदायिक और उग्र–राष्ट्रवादी संगठन, तथा कांग्रेस पार्टी जैसी तथाकथित धर्म निरपेक्ष पार्टियां, दोनों का सांझा इरादा था हमारे देश के लोगों को बांटकर हमारे ऊपर राज करने की बर्तानवी साम्राज्यवादियों द्वारा स्थापित व्यवस्था को बरकरार रखना। परन्तु "सांप्रदायिक ताक़तों से हिन्दोस्तानी गणराज्य की धर्म निरपेक्ष नींव" को बचाने की कांग्रेस पार्टी की लाइन के साथ समझौता करने वाले हमारे क्रांतिकारियों के उस सही निष्कर्ष को नकार रहे हैं।

वर्तमान चुनाव प्रक्रिया और उसके साथ–साथ किया गया प्रचार लोगों के मन में यह धारणा पैदा करते हैं कि हमारा भविष्य सत्ता में आने वाली पार्टी की नीतियों और कार्यों पर निर्भर है। राजनीतिक कार्यकारिणी का नियंत्रण करने वाली पार्टी या गठबंधन को सभी समस्याओं के लिये दोषी ठहराया जाता है जबकि सत्ताधारी वर्ग व राज्य के अन्य संस्थानों की भूमिका पर परदा डाला जाता है। इस तरह, मज़दूर वर्ग और दूसरे उत्पीड़ित लोगों को राजनीति से दूर रखा जाता है; उन्हें इस सच्चाई को समझने से रोका जाता है कि संघर्ष एक वर्ग का दूसरे वर्ग के खिलाफ़ है।

किसी खास पार्टी या गठबंधन को निशाना बनाकर, अगले चुनाव में किसी अन्य पार्टी को जिताना – यही समाधान बताया जाता है। इस भ्रम को बनाये रखा जाता है, हालांकि हमारे जीवन का अनुभव बार–बार यही दिखाता है कि कार्यकारिणी पर नियंत्रण करने वाली पार्टी के बदलने से राज्य का वर्ग चरित्र नहीं बदलता है। राज्य सरमायदार वर्ग का अधिनायकत्व ही बना रहता है। 2004 में, भाजपा की जगह पर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में शासक गठबंधन को सत्ता में लाने से देश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार, 2014 में फिर से, कांग्रेस पार्टी की जगह पर भाजपा को सत्ता में लाने से भी देश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परन्तु श्रम के शोषण और मेहनतकश जनसमुदाय के अधिकारों और रोज़ी–रोटी पर हमलों की निष्ठुरता बद से बदतर होती रही है। हर सरकार पिछली सरकार से बदतर ही महसूस होती है, चाहे उसकी अगुवाई खुलेआम सांप्रदायिक पार्टी कर रही हो या तथाकथित धर्म निरपेक्ष पार्टी।

इस भ्रम को बनाये रखा जाता है, हालांकि हमारे जीवन का अनुभव बार–बार यही दिखाता है कि कार्यकारिणी पर नियंत्रण करने वाली पार्टी के बदलने से राज्य का वर्ग चरित्र नहीं बदलता है।

संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के प्रमुख प्रतिस्पर्धियों को पूंजीपति वर्ग से धन मिलता है। इज़ारेदार पूंजीवादी घरानों द्वारा समर्थित पार्टियों को टीवी पर अधिक से अधिक समय तथा अनेक अन्य विशेष अधिकार मिलते हैं। उनके चुनाव अभियानों के बजट आसमान को छूते हैं। ऐसी पार्टियां ही उम्मीदवारों का चयन करने की प्रक्रिया पर हावी होती हैं। मेहनतकश जनसमुदाय को उन्हीं उम्मीदवारों में से चुनने को मजबूर किया जाता है जिन पर उन्हें कोई भरोसा नहीं होता है। चुनावों का इस्तेमाल करके उस पार्टी और नेता को चुनकर आगे लाया जाता है, जो सबसे असरदार तरीके से लोगों को बुद्धू बना सकता है, जो वह सब कुछ कह सकता है जो लोग सुनना चाहते हैं और फिर वही करता है जो बड़े सरमायदारों ने निर्धारित कर रखा है।

हमारे समाज में सभी वर्गों के बीच में एक अत्यंत खतरनाक झूठा प्रचार फैलाया जाता है कि हिन्दोस्तान का संविधान कोई पूजनीय चीज है जो सभी वर्गों के लिये बहुमूल्य है। इस संविधान को 1950 में अंग्रेजों द्वारा शिक्षित–प्रशिक्षित कुछ व्यक्तियों ने बनाया और अपनाया था। बर्तानवी राज की निगरानी में, सांप्रदायिक तौर पर बंटे हुये हिन्दू बहुसंख्या और मुसलमान अल्पसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में, कुछ गिने–चुने जायदाद वाले लोगों ने उनका चयन किया था।

मेहनतकश बहुसंख्या का न तो संविधान सभा में कोई प्रतिनिधित्व था, और न ही संविधान को लिखने और अपनाने में उनसे कोई सलाह की गई थी। देश के मूल कानून को स्थापित करने में मेहनतकश बहुंसख्या की कोई भूमिका नहीं थी। संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और संविधान सभा में पूरी बहस अंग्रेजी भाषा में ही की गई। हिन्दोस्तानी भाषाओं में उनके अनुवाद 1950 के बाद ही उपलब्ध हुये, जब तक संविधान अपनाया जा चुका था।

मेहनतकश बहुसंख्या का न तो संविधान सभा में कोई प्रतिनिधित्व था, और न ही संविधान को लिखने और अपनाने में उनसे कोई सलाह की गई थी। देश के मूल कानून को स्थापित करने में मेहनतकश बहुंसख्या की कोई भूमिका नहीं थी।

हिन्दोस्तानी गणराज्य का संविधान "संसद की संप्रभुता" के असूल पर आधारित है। अंग्रेज सरमायदारों के राजनीतिक सिद्धांत के अनुकूल, इस असूल के मुताबिक सिर्फ संसद को ही कानून बनाने और बदलने की ताक़त है। संसद के अंदर, फैसले लेने की ताक़त शासक पार्टी या गठबंधन के मंत्रीमंडल के हाथों में संकेन्द्रित है। जनता के पास कोई और ताक़त नहीं है, इसके सिवाय कि चुनाव के दिन सरमायदार वर्ग के अलग–अलग खंडों द्वारा समर्थित प्रतिस्पर्धी पार्टियों के चयनित उम्मीदवारों के बीच में से किसी एक को वोट दें। केन्द्र सरकार के पास सभी राज्य सरकारों से ज्यादा अधिकार है। केन्द्र सरकार को, "राष्ट्रीय सुरक्षा" या किसी और बहाने, किसी भी निर्वाचित राज्य सरकार को बर्खास्त करने का भी पूरा अधिकार है।

चुनाव में जो पार्टी जीतकर आगे आती है, वह दावा करती है कि उसे "जनादेश" मिला है। परन्तु वास्तव में उसे पूंजीपति वर्ग के आदेश को ही लागू करने का दायित्व दिया गया है। पूंजीपति वर्ग की मनमर्जी को ही पूरे समाज पर थोप दिया जाता है। इस व्यवस्था में मेहनतकश जनसमुदाय के पास कोई ताक़त नहीं है, बल्कि उनका वोट सरमायदारों के अधिनायकत्व की इस व्यवस्था को वैधता देने का काम करता है।

कम्युनिस्ट आंदोलन ने हिन्दोस्तान में रहने वाले लोगों की संप्रभुता को मान्यता देने पर आधारित एक नये संविधान को बनाने और अपनाने की मांग को नहीं उठाया है। इससे स्पष्ट होता है कि कम्युनिस्ट आंदोलन उस रणनैतिक राजनीतिक लक्ष्य से भटक गया है, जिस लक्ष्य को 20वीं सदी के प्रारंभ में ग़दरियों ने अपनाया था। हमारे देश की वस्तुगत हालतें आज भी उस नये राज्य की स्थापना के लिये कराह रही हैं,

जिसका ग़दरियों ने सपना देखा था। परन्तु संसदीय लोकतंत्र और मौजूदे संविधान के बारे में ढेर सारे भ्रम फैलाकर, मज़दूर वर्ग और लोगों से इस सच्चाई को छिपाया जा रहा है।

एक बहुत हानिकारक धारणा पैदा की गई है कि एक नये संविधान या वर्तमान संविधान की पुनः समीक्षा की मांग करना खतरनाक है क्योंकि ऐसा करने से भाजपा व उसके सहयोगी संगठनों, जिन्हें सामूहिक रूप से संघ परिवार कहा जाता है, को तथाकथित फायदा होगा। परन्तु क्या उन्नत विचार वाले हिन्दोस्तानी लोगों को किसी भी प्रकार के परिवर्तन से सिर्फ इसलिये पीछे हटना चाहिये, कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो हमारे अतीत से सबसे पिछड़े विचारों को फिर से उभारना चाहते हैं? ऐसा रवैया अपनाने से हम प्रगति के खिलाफ़ जायेंगे। ऐसा सोचना कि 1950 में अपनाये गये मूल कानून को हमेशा के लिये बरकरार रखना होगा, यह समाज की गति, समाज की आवागमन की स्थिति, पुरानी चीज के खत्म होने और नई चीज के आने की स्थिति, को नकारता है।

चुनाव में जो पार्टी जीतकर आगे आती है, वह दावा करती है कि उसे "जनादेश" मिला है। परन्तु वास्तव में उसे पूंजीपति वर्ग के आदेश को ही लागू करने का दायित्व दिया गया है।

संघ परिवार की सांप्रदायिकता से समाज को बचाने के नाम पर, हिन्दोस्तानी राज्य की तथाकथित धर्म निरपेक्ष बुनियादों के बारे में हानिकारक भ्रम फैलाये जाते हैं। अगर हिन्दोस्तानी राज्य की बुनियादें धर्म निरपेक्ष हैं, तो बार–बार सांप्रदायिक हिंसा क्यों होती रहती है? इसके जवाब में कहा जाता है कि हिन्दोस्तान के लोग सांप्रदायिक और पिछड़े हैं। हमें बताया जाता है कि हिन्दोस्तानी राज्य धर्म निरपेक्ष और सांप्रदायिकता–विरोधी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे लोग पिछड़े हैं और धर्म के आधार पर बंटे हुये हैं, कि "शांति" और "सांप्रदायिक सद्भावना" बहाल करना हिन्दोस्तानी राज्य का काम है।

बर्तानवी उपनिवेशवाद ने यह मनगढ़ंत विचार फैलाया कि हिन्दोस्तान में कोई राष्ट्र या राष्ट्रीयतायें नहीं हैं, सिर्फ धार्मिक संप्रदाय ही हैं। उन्होंने हिन्दोस्तान के लोगों को "हिन्दू बहुसंख्या" और मुसलमान, सिख, ईसाई और अनेक अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों में बांट दिया। ऐसा दिखाया गया कि हिन्दोस्तान के लोग पिछड़े हैं और हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। यह कहा गया कि ये "मूल निवासी" तभी शांति से रह सकेंगे जब अंग्रेजी में शिक्षित उदार मन वाले लोग उन पर शासन करेंगे,

सांप्रदायिक सद्भावना बनाये रखेंगे और सहनशीलता का पाठ पढ़ाते रहेंगे। सक्षेप में, यह प्रचार किया गया कि पिछड़े और सांप्रदायिक तौर पर बंटे हिन्दोस्तान में "सुव्यवस्था" बनाये रखना श्वेत पुरुष का "बोझ" था। इस उद्देश्य और कार्यक्रम के साथ बर्तानवी उपनिवेशवादी, एक तरफ इस उपमहाद्वीप के लोगों को बांटने, गुमराह करने और गुलाम बनाने के इरादे से सांप्रदायिक हिंसा आयोजित करते रहे, और दूसरी तरफ धर्म निरपेक्षता की नसीहत देते रहे।

भाजपा और कांग्रेस पार्टी जैसी हिन्दोस्तानी सरमायदारों की मुख्य पार्टियां अभी भी उपनिवेशवादी तौर–तरीकों और सांप्रदायिक दृष्टिकोण को अपनाती हैं। भाजपा हिन्दू उग्र–राष्ट्रवाद को राष्ट्रवाद के रूप में पेश करती है और धार्मिक अल्पसंख्यकों से यह मांग करती है कि वे "हिन्दू बहुसंख्या के रीति–रिवाज़ों" को अपना लें। कांग्रेस पार्टी यह प्रचार करती है कि "हिन्दू बहुसंख्या" को मुसलमानों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति सहनशील होना चाहिये। भाजपा और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों का एक ही सांप्रदायिक दृष्टिकोण है, कि हिन्दोस्तान में एक हिन्दू बहुसंख्या और अनेक धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। राजनीतिक चर्चा का सांप्रदायिकीकरण करने तथा बांटो और राज करो के तौर–तरीकों को लागू करने में ये दोनों पार्टियां एक–दूसरे की अनुपूरक हैं।

भाजपा और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों का एक ही सांप्रदायिक दृष्टिकोण है, कि हिन्दोस्तान में एक हिन्दू बहुसंख्या और अनेक धार्मिक अल्पसंख्यक हैं।

बर्तानवी शासन का तख्तापलट करने के बाद हिन्दोस्तान में स्थापित होने वाले राज्य को परिभाषित करने के लिये, हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी या हिन्दोस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन ने कभी भी "धर्म निरपेक्षता" या "धर्म निरपेक्ष" शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यक्रम को सिर्फ इस सिद्धांत पर आधारित किया था कि तमाम राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और आदिवासी समुदायों समेत, समाज के सभी सदस्यों और समूहों के अलंघनीय अधिकारों की हिफ़ाज़त करना राज्य का फर्ज़ है। उन्होंने भक्ति और सूफी आंदोलनों से उभरने वाली गहरी प्रगतिशील परंपराओं को आगे ले जाते हुये, ज़मीर के अधिकार की हिफ़ाज़त की। 1857 के शहीदों की भावना को आगे ले जाते हुये, उन्होंने धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर, उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ़ संघर्ष में सभी हिन्दोस्तानी लोगों की एकता बनाई।

उन्होंने एक ऐसे हिन्दोस्तान की परिकल्पना की जो राज्यों का बहुराष्ट्रीय संघ होगा। उन्होंने इस असूल का अनुमोदन किया कि हिन्दोस्तान के लोग ही उसके मालिक हैं, अतः बर्तानवी शासकों को बाहर भगाकर, हिन्दोस्तानी लोग सर्वव्यापक मताधिकार के ज़रिये खुद अपनी संविधान सभा को चुनेंगे। उन्होंने यह माना कि ऐसी संविधान सभा को ही आज़ाद हिन्दोस्तान का संविधान लिखने का अधिकार होगा।

कम्युनिस्ट आंदोलन के सामूहिक अनुभव का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि राज्य के खिलाफ़ कोई भी हथियारबंद संघर्ष तब तक क्रांतिकारी संघर्ष नहीं होता जब तक मेहनतकश जनसमुदाय उसमें शामिल न हो और संघर्ष के ज़रिये हासिल करने वाले नये राज्य और व्यवस्था के बारे में स्पष्ट नज़रिया न हो। हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी ने विचारधारात्मक संघर्ष और सत्ता पर कब्ज़ा करने के लिए सशस्त्र क्रांतिकारी संघर्ष, दोनों पर बहुत ध्यान दिया था। नयी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का नज़रिया पेश किये बिना, उसका निर्माण करने के ठोस कार्यक्रम के बिना और क्रांतिकारी वर्गों की विचारधारात्मक और राजनीतिक तैयारी किये बिना, सामाजिक क्रांति की विजय मुमकिन नहीं है। नयी राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करने के लिए अगर नये राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित न किया जाये तो सशस्त्र संघर्ष से सिर्फ हिंसा का वातावरण ही बढ़ेगा। शासक वर्ग मेहनतकशों को राजनीति से दूर रखने और आतंकित करने के लिए इसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं।

अर्थव्यवस्था की समस्याओं को तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक अर्थव्यवस्था को इज़ारेदार पूंजीपतियों की लालच पूरी करने की दिशा में चलाया जायेगा, न कि मानव ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में।

एक और अहम सबक यह है कि अर्थव्यवस्था की समस्याओं को तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक अर्थव्यवस्था को इज़ारेदार पूंजीपतियों की लालच पूरी करने की दिशा में चलाया जायेगा, न कि मानव ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में। सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया का लक्ष्य और प्रेरक शक्ति इन दोनों में से एक ही हो सकती है – या तो पूंजी के मालिकों के निजी मुनाफ़ों को अधिक से अधिक किया जाये या तो संपूर्ण आबादी की बढ़ती ज़रूरतें पूरी की जायें। इन दोनों के बीच में कुछ और नहीं हो सकता है। ग़दरी क्रांतिकारी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे कि अधिकतम लूट की दिशा को बदलकर, सभी की ज़रूरतें पूरी करने की दिशा अपनानी होगी। बीते समय में सोवियत और चीनी संशोधनवाद का पालन करने वालों

ने पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की किसी मध्यवर्ती व्यवस्था के बारे में बहुत गलत विचार फैलाये हैं। इस प्रकार के अवैज्ञानिक विचारों से कांग्रेस पार्टी और उस तरह की अन्य पार्टियों द्वारा फैलाये गये भ्रम – कि कोई "मध्य मार्ग", तथाकथित "मानवीय चेहरा वाला" सुधरा हुआ पूंजीवाद संभव है – के साथ अनिवार्यतः समझौता किया गया है।

ग़दरियों के संघर्ष के लक्ष्य को आगे ले जाने का मतलब है वर्तमान हालतों में क्रांति की जीत के लिये संगठित करना। इस समय हिन्दोस्तान में जिस प्रकार की क्रांति की ज़रूरत है, वह इन बातों से निर्धारित होती है कि (1) अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति पूंजीवाद है, जिसके साथ–साथ, अधिक से अधिक शोषण बनाये रखने के लिये, पुराने सामाजिक संबंधों को भी बरकरार रखा जाता है; (2) राज्य उपनिवेशवाद की विरासत है, वर्गीय और राष्ट्रीय दमन, सांप्रदायिक फूट और जातिवादी भेदभाव को बनाये रखने वाला साधन है; और (3) पूंजीवादी विकास के चलते, विशाल इज़ारेदार पूंजीवादी कंपनियां आज मैदान में आ गई हैं और हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग बड़े हमलावर तरीके से साम्राज्यवादी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

पूंजीवाद, सभी सामंती अवशेषों, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को मिटाना – यह हिन्दोस्तान में क्रांति का वर्तमान पड़ाव है।

पूंजीवाद, सभी सामंती अवशेषों, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को मिटाना – यह हिन्दोस्तान में क्रांति का वर्तमान पड़ाव है। इस क्रांति का उद्देश्य पूंजीवाद के विकास की जगह को विस्तृत करना नहीं बल्कि पूंजीवाद की कब्र खोदना और समाजवाद का निर्माण करना है। सिर्फ मज़दूर वर्ग ही, किसानों और सभी शोषित–उत्पीड़ित लोगों के साथ गठबंधन बनाकर, इस क्रांति को कामयाब कर सकता है। हम कम्युनिस्टों को समाज के इस क्रांतिकारी परिवर्तन के लिये नज़रिया पेश करना होगा और संघर्ष को अगुवाई देनी होगी।

हमारे जैसे बहुराष्ट्रीय देश में राज्य सत्ता के बारे में दो मुख्य सवाल उठते हैं। पहला सवाल है नागरिकों तथा राज्य के बीच में संबंध पर और दूसरा सवाल है हिन्दोस्तानी संघ व उसके घटकों के बीच में संबंधों पर। ये दोनों सवाल आपस में जुड़े हुये हैं और इन दोनों से यह निर्धारित होता है कि संप्रभुता, यानी फैसले लेने की सर्वोच्च ताक़त किसके हाथ में है।

आज हिन्दोस्तान में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था मौजूद है, जो "हिन्दोस्तान के राज्यों का संघ" है। इसमें, संसद में केन्द्रीय मंत्रीमंडल के पास, राज्य स्तर के निर्वाचित निकायों पर अपना फैसला थोपने की ताक़त है और निर्वाचित निकायों के पास, उनका निर्वाचन करने वाले मतदाताओं पर अपने फैसले थोपने की ताक़त है। इस प्रकार की राजनीतिक सत्ता बर्तानवी उपनिवेशवादी सत्ता के सार की निरंतरता है। बर्तानवी हिन्दोस्तान को बनाने के लिये जिस पूरे इलाके पर उपनिवेशवादियों ने कब्ज़ा किया था और जिसे अपना उपनिवेश बनाया था, उस पर मुट्ठीभर बड़े पूंजीवादी शोषकों की हुकूमत की यह निरंतरता है। नया सार होगा आधुनिक मज़दूर वर्ग की अगुवाई में, सभी राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं के मेहनतकश जनसमुदाय का शासन। उसके लिये एक नये प्रकार की राज्य सत्ता और प्रतिनिधित्व व शासन की नई राजनीतिक प्रक्रिया की ज़रूरत है। सर्वोच्च फैसले लेने का अधिकार, यानी संप्रभुता उन सभी घटकों के हाथ में होनी चाहिये जो स्वेच्छा के साथ मिलकर हिन्दोस्तानी संघ का गठन करते हैं। संप्रभुता हिन्दोस्तान की संपूर्ण जनता के हाथों में होनी चाहिये।

सर्वोच्च फैसले लेने का अधिकार, यानी संप्रभुता उन सभी घटकों के हाथ में होनी चाहिये जो स्वेच्छा के साथ मिलकर हिन्दोस्तानी संघ का गठन करते हैं। संप्रभुता हिन्दोस्तान की संपूर्ण जनता के हाथों में होनी चाहिये।

देश की आबादी में मज़दूरों और किसानों की बहुसंख्या है। मज़दूरों और किसानों को फैसले लेने वाले उच्चतम निकायों में तथा समाज के कार्यक्रम को तय करने में भाग लेने के लिए अपने सबसे बेहतर प्रतिनिधियों का चयन करके उन्हें नियुक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें चुने गये प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने तथा किसी भी समय वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। लोगों को कानून बनाने और बदलने, जनमत संग्रह के ज़रिये प्रमुख फैसलों पर मत देने और जब ज़रूरी हो तो संविधान को फिर से लिखने का अधिकार होना चाहिए।

हमें एक नये राज्य और नई राजनीतिक प्रक्रिया को बनाने के लिए मज़दूरों और किसानों को संघर्ष में लामबंध करना होगा। यह नया राज्य और नई राजनीतिक प्रक्रिया इन असूलों पर आधारित होना चाहिए कि संप्रभुता लोगों की है; सभी की खुशहाली व सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है; और लोगों को एक संगठित सचेत ताक़तवर नेतृत्व प्रदान कर, लोगों को खुद अपना शासन करने में समर्थ बनाना एक राजनीति पार्टी का कर्तव्य है। इस तरह का राज्य शोषण, दमन व

2010 में ग़दर पार्टी के कार्यकर्ता अमरीकी साम्राज्यवाद के मुखिया की यात्रा के विरोध में दिल्ली में एक संयुक्त प्रदर्शन में भाग लेते हुए

हर तरह के भेदभाव को तथा समाज में सभी प्रकार के वर्ग व जातीय विभाजनों को हमेशा के लिए खत्म करने के संघर्ष को आगे बढ़ाने का साधन होगा। वर्गीय दृष्टिकोण से, यह श्रमजीवी वर्ग का अधिनायकत्व होगा – मज़दूर वर्ग के नेतृत्व में मेहनतकश बहुसंख्या का गठबंधन होगा।

हम कम्युनिस्टों को एक नई संविधान सभा की स्थापना करने में मज़दूर वर्ग और मेहनकश जनसमुदाय को अगुवाई देनी होगी, जो जनता को संप्रभुता दिलाने के असूल पर आधारित एक नया संविधान बनायेगी। नये संविधान को मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों तथा सभी मनुष्यों के अलंघनीय अधिकारों की परिभाषा देनी होगी, जिनमें ज़मीर का अधिकार और सभी बालिग नागरिकों के समान राजनीतिक अधिकार शामिल होंगे। नया संविधान यह ऐलान करेगा कि इन सभी अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करना तथा इनका हनन करने वालों को सज़ा देना राज्य का फर्ज़ होगा। नये संविधान को हिन्दोस्तान के तमाम राष्ट्रों, राष्ट्रीयताओं और लोगों के अधिकारों की परिभाषा और गारंटी देनी होगी, जिनमें आत्म–निर्धारण और अलग होने के अधिकार शामिल होंगे। संविधनीय गारंटियों को सख्ती से लागू करने के लिये ज़रूरी कानून और तंत्र बनाने होंगे।

ऐसे नये राज्य और व्यवस्था का निर्माण करने के लक्ष्य के इर्द–गिर्द राजनीतिक तौर पर एकजुट, मज़दूर वर्ग और जनवादी आंदोलन के मजबूत हो जाने से, अलग–अलग तबकों के लोगों के छिटपुट और भिन्न–भिन्न विरोध संघर्ष एक विशाल क्रांतिकारी लहर में बदल जायेंगे। तब हिन्दोस्तान साम्राज्यवाद की जंजीर में वह कमजोर कड़ी बन सकता है, जहां श्रमजीवी क्रांति फूट पड़ेगी। इस चुनौती भरे दृष्टिकोण के साथ, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी कम्युनिस्ट आंदोलन में एकता को पुनः स्थापित करने की कोशिश करती आ रही है।

ग़दरियों के रास्ते पर डटे रहें और सोशल डेमोक्रेसी, वर्तमान राज्य और पूंजीवाद व समाजवाद के बीच के किसी तथाकथित मध्य मार्ग के साथ समझौता करने के रास्ते को ठुकरा दें! सभी कम्युनिस्टों, उन्नत विचार वाले हिन्दोस्तानियों और वर्तमान व्यवस्था से पीड़ित तथा क्रांतिकारी परिवर्तन के इच्छुक लोगों को कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का यह आह्वान है।

1857 में जो ग़दर शुरू हुआ था, 1915 में जो फिर ज्वलंत हो गया था, वह ग़दर आज भी जारी है। वह आज हमें यह बुलावा दे रहा है कि हम उठकर आगे आयें, एक ऐसे समाज और राज्य का निर्माण करने के लिये संगठित हों, जो सभी की खुशहाली और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अपने सपनों के हिन्दोस्तान को हकीक़त में बदलने के लिए, आइए, मज़दूर वर्ग और सभी शोषित–पीड़ित लोगों को क्रांति के रास्ते पर अगुवाई दें। यही हमारे शहीदों का पैग़ाम है। यही आज हमारा कर्तव्य है।

ग़दर पार्टी लाल सलाम!
इंक़लाब ज़िन्दाबाद!

संदर्भ

[1] स्टेटमेंट 76.1, नेशनल एकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स 2009; सेंट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गेनाईजेशन

[2] एफ. एंगेल्स, "लुडविग फॉयरबाक़ एंड दी एंड ऑफ क्लासीकल जर्मन फीलासोफी", अध्याय 4; http://www.marxists.org/archive/marx/works/1886/ludwig-feuerbach/ch04.htm पर उपलब्ध

शब्दावली

आईन–ए–अकबरी	अकबरनामा का तीसरा खंड, जिसमें प्रशासनिक रिपोर्टें, आंकड़ों का संचय या गज़ट के ज़रिये अकबर के शासनकाल की सूचना उपलब्ध है।
अर्थशास्त्र	शासन–तंत्र, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति के विषयों पर संस्कृत में लिखित एक प्राचीन हिन्दोस्तानी ग्रन्थ
आवागमन	वस्तुओं और प्राकृतिक गतिविधियों का अस्तित्व में आना और खत्म हो जाना
भक्ती लहर	पूरे उपमहाद्वीप में कई सदियों तक चलने वाला एक आंदोलन। उस आंदोलन ने ज़मीर के अधिकार की पुष्टि की और जाति–प्रथा व समाज के अन्य पिछड़े रीति–रिवाज़ों के विरोध में लागों को लामबंध किया। उसके प्रचारक भिन्न–भिन्न धर्मों, जातियों और सामाजिक तबकों से थे।
बोल्शेविक	लेनिन के नेतृत्व में विजयी अक्तूबर क्रांति को अगुवाई देने वाली सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्शेविक) के सदस्य
चार्वाक	हिन्दोस्तानी भौतिकवाद की एक प्राचीन दार्शनिक धारा
दर्शन	वेदों और अन्य पारंपरिक शास्त्रों पर आधारित तथा विचारों की विभिन्न धाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दर्शनशास्त्र, दुनिया को देखने के नज़रिये और शिक्षाएं
ग़दर	एक उर्दू शब्द, जिसका मतलब है 'क्रांति'
ग़दरी	क्रांतिकारी
गुरुद्वारा	गुरुओं तक पहुंचने का द्वार। सिखों का धार्मिक स्थल
हिन्दू राष्ट्र	यह दो–राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित अवधारणा है, जिसके अनुसार हिन्दू और मुसलमान, अपनी धार्मिक भिन्नताओं की वजह से, दो अलग राष्ट्र हैं। यह अवधारणा, सांझी भाषा, संस्कृति व ऐतिहासिक पहचान के आधार पर राष्ट्रों व राष्ट्रीयताओं की परिभाषा के विपरीत है। बर्तानवी उपनिवेशवादियों ने, अपना शासन बरकरार रखने के लिये, उसे हिन्दोस्तानी लोगों में धर्म के आधार पर फूट डालने के लिये एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया।

महाभारत	प्राचीन हिन्दोस्तान के दो प्रमुख संस्कृत के महाकाव्यों में से एक। इसके विशेष भागों में उस काल की शासनकला सहित, दार्शनिक और राजनीतिक विचार वस्तु का वर्णन पाया जाता है।
मुजाहिद्दीन	बाहरी हमलों से अपने धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा।
नव–निर्माण	एक नये राज्य और राजनीतिक प्रक्रिया की स्थापना करना, जिसका एक नया संविधान होगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जायेगा कि हर राष्ट्र, राष्ट्रीयता और लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होगा; मज़दूरों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों, राष्ट्रीय, भाषाई, धार्मिक व अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं होगा और समाज के हर व्यक्ति के लोकतांत्रिक व मानव अधिकारों का हनन नहीं होगा।
राजधर्म	अपनी प्रजा को रक्षा और सुरक्षा दिलाने के शासकों के कर्तव्य को सुनिश्चित करने वाले अलंघनीय असूलों की सूची
रामायण	प्राचीन हिन्दोस्तान का एक महाकाव्य
ऋषी	एक पैगम्बर या ज्ञानी जो महान तपस्या के ज़रिये सच्चाई और चिरकालिक ज्ञान प्राप्त करता है
संघ परिवार	यह नाम हिन्दू राष्ट्रवादी सगठनों के समूह को दिया जाता है जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर.एस.एस.) व ऐसे कई और संगठन शामिल हैं।
सूफ़ी लहर	14वीं से 16वीं सदियों के बीच का एक सामाजिक–धार्मिक आंदोलन जो मनुष्यों के बीच बराबरी, ज़मीर के अधिकार और सर्वव्यापी भाईचारे का प्रचार करता था

हमारे अन्य प्रकाशन

नोटबंदी के असली इरादे और झूठे दावे (2017)
इस पुस्तिका में तथ्यों और गतिविधियों के विश्लेषण के ज़रिये पर्दाफाश किया गया है कि नोटबंदी के असली इरादे क्या हैं
हिन्दी, पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध

यह चुनाव एक फरेब है! (2015)
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का मज़दूर एकता लहर के संपादक, कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार
हिन्दी, पंजाबी व अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध

भ्रष्टाचार, पूंजीवाद और हिन्दोस्तानी राज्य (2014)
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह का, मज़दूर एकता लहर के संपादक, कामरेड चन्द्रभान के साथ साक्षात्कार
हिन्दी, पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध

ग़दर जारी है... – हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी का इतिहास (2013)
हिन्दोस्तान ग़दर पार्टी की अमरीका में स्थापना की शताब्दी के अवसर पर पार्टी की प्रस्तुति
हिन्दी व अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध

हम हैं इसके मालिक, हम हैं हिन्दोस्तान, मज़दूर, किसान, औरत और जवान (1998)
अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, लोगों को राजनीतिक सत्ता दिलाने के लिए और हिन्दोस्तान के लोकतांत्रिक नवीकरण के लिए तात्कालिक कार्यक्रम
हिन्दी, पंजाबी, मराठी, तमिल व अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध

हिन्दोस्तान किस दिशा में? (1995)
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव कामरेड लाल सिंह द्वारा पार्टी की केन्द्रीय समिति की ओर से 23–24 दिसम्बर, 1995 को नई दिल्ली में हुए पार्टी के तीसरे सलाहकार सम्मेलन में पेश की गयी रिपोर्ट
हिन्दी, पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध

किस प्रकार की पार्टी? (1993)
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की दूसरी राष्ट्रीय सलाहकार गोष्ठी, जो 29–30 दिसम्बर 1993 को की गयी थी, में अपनाया गया दस्तावेज़
हिन्दी, पंजाबी, मराठी, तामिल व अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध